कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान

भाग-2

10th

दसवीं कक्षा

©KTBS
Not to be republished

कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी
100 फीट रिंग रोड, बनशंकरी तीसरा स्टेज,
बेंगलूरु - 560 085.

www.textbookpdf.in

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
7.	स्वतंत्रता संघर्ष	1
8.	गाँधीयुग और राष्ट्रीय संघर्ष	8
9.	स्वातंत्र्योत्तर भारत	28
10.	20वीं शताब्दी के राजनैतिक आयाम	35
	राजनीति शास्त्र	
4.	वैश्विक समस्याएँ और भारत की भूमिका	45
5.	वैश्विक समस्याए	49
	समाज शास्त्र	
3.	सामाजिक आंदोलन	59
4.	सामाजिक समस्याएँ	69
	भूगोल	
8.	भारत के खनिज तथा शक्ति संसाधन	84
9.	भारत के यातायात एवं सम्पर्क	93
10.	भारत के उद्योग धन्धे	103
11.	भारत की प्राकृतिक विपदाएँ	110
12.	भारत की जनसंख्या	116
	अर्थशास्त्र	
3.	धन और उधार (ऋण)	121
4.	सार्वजनिक धन और आय-व्यय	130
	व्यावहारिक अध्ययन	
3.	व्यवहारिक सार्वभौमिकता	138
4.	ग्राहकों की शिक्षा और रक्षा	144

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

इतिहास

अध्याय - 7

स्वतंत्रता संघर्ष

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी ।

- राष्ट्रीयता का उदय
- भारती राष्ट्रीय कांग्रेस
- नर्मदल, गर्मदल तथा क्रांतिकारी

राष्ट्रीयता का उदय :

स्वतंत्रता का संघर्ष भारत के इतिहास में अत्यंत महत्व पूर्ण और प्रचलित अध्याय है। राष्ट्रीयता की परिकल्पना 19वी शताब्दी के अंतिम भाग में तीव्रता से विकसित हुयी। विदेशियों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास राजप्रभुत्व द्वारा इससे पूर्व कई बार हम देख चुके हैं। किंतु उसके कारण राजनैतिक हित मात्र थे। विदेशी साम्राज्य शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण उनका यह प्रयास राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारंभिक कारण कहा जा सकता है।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यातायात और संपर्क, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, पत्रकारिता उद्योग, सांस्कृतिक संघटन का उदय आदि का विकास देखा जा सकता है। किंतु अकाल और अंग्रेजी अर्थिक नीति द्वारा उत्पन्न समस्याओं से लोग त्रस्त थे। परिणामतः अंग्रेज विरोधी आक्रोश को भारतीयो ने व्यक्त करना प्रारंभ किया। इस समय हुये कृषक और आदिवासी संघर्ष इसके प्रमाण हैं। विविध प्रकार की समस्याओं से त्रस्त भारतीय सन् 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक तौरपर अपना प्रतिरोध प्रदर्शित कर प्रथम भारतीय संग्राम के कारण बने। परिणामस्वरूप सन् 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने एक घोषण की जिसके अनुसार अग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और सीधे अंग्रेज सरकार के प्रशासन को ब्रिटेन की रानी के नाम जारी किया । भारतीयों ने शासन रचना प्रक्रिया में लगे कानून को 1861 के अधिनियम द्वारा आरंभ किया। इन सबके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सीखे नए विद्वान वर्ग राष्ट्रीयता की परिकल्पना को स्पष्ट करने तथा लोगों में इसे प्रसार करने का प्रयास कर रहे थे। इससे राष्ट्रीयता को एक आशय के रूप में स्पष्ट स्वरूप मिला। इसका अगला चरण संस्थात्मक रूप ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सन् 1857के प्रथम् स्वतंत्रता संग्राम की घटना के बाद भारत राजनैतिक पर्व मना रहा था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण युक्त अनेक नए संघटन विद्वान (शिक्षित) भारतीयों के नेतृत्व में

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

प्रारंभ हुए। इनमें 'द हिन्दू मेला,' 'द ईस्ट इंडिया असोसिएशन' आदि प्रमुख थे। पत्रिकाएँ अंग्रेजी सरकार के शोषण का विरोध करने लगी। पत्रिका स्वतंत्रता को रोकने के लिए 'वर्नाकुलर प्रेस' अधिनियम को अंग्रेज सरकार ने लार्ड लिट्टन के समय लागू कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय संघटन उदित हुआ।

भारत की राजनैतिक दिशा में परिवर्तन लाने वाला 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' दिसंबर 1885 में बाम्बे नगर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्लयू. सी.बेनर्जी थे। इस संघटन के प्रारंभ की पृष्ठभूमि में अविरत प्रयास करने वाले निवृत्त अंग्रेज नागरिक सेवाधिकारी ए.ओ.हयूम थे जिन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता केंद्रों में राजनैतिक नेताओं से मिलकर उनके साथ सार्वजनिक हित संबंधी विषयों पर चर्चा की। फलस्वरूप काँग्रेस संस्था की स्थापना हुयी। आरंभिक सभा में ही कांग्रेस ने अपने प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित कर उसे विकसित करना है, कहकर इसका प्रचार कर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुमुखी धारा से युक्त भावना को भारतीयों में एकता लाने का धीरे-धीरे प्रयास किया। इस समय राष्ट्रीय नेताओं में भी यह भावना थी।

देशी भाषाओं में पत्रिकाओं को मुद्रित कर इसके माध्यम से राजनैतिक समस्याओं की चर्चा आरंभ हुयी। इससे राजनैतिक समस्याएँ और विचार सामान्य जन तक पहुँचे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बलवती होते देख अंग्रेजों ने अपनी फूट डाल कर शासन करने की नीति को लागू किया। हिन्दू-मुसलमानों को अलग करने के राजनैतिक प्रयोज को जारी करने का प्रयत्न किया। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय विचारों से संबंधित रचनात्मक कार्य विधिको निरूपित किया।

19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्टीय कांग्रेस में राजनैतिक मतभेद प्रकट हुए। कार्यनीति, विश्वास, सिद्धांत तथा संघर्ष के प्रकार से उन्हें नर्म दल तथा गर्मदल के रूप में जाना गया।

नर्मदल

सांप्रदायिक रुप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक पच्चीस वर्षों को नर्मदल (मंदगामी) युग कहा जाता है। इनमें डब्ल्यू सी.बेनर्जी. एम. जी रानाडे, सुरेंद्रनाथ बेनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्णगोखले प्रमुख हैं। नर्मदल के नेता अंग्रेजी प्रशासन और न्यायपरता में विश्वास

दादाभाई नौरोजी

गोपाल कृष्ण गोखले

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

रखते थे। वे संवैधानिक सीमा में प्रार्थना तथा विनती द्वारा अपनी माँगों को सरकार के समक्ष रखते थे। नर्मदल के लोगों ने जनता में राजनैतिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया।

इन्होंने भारतीयों को प्राप्त होने वाले न्याय के संबंध में सभा बुलायी, इस पर चर्चा कर सरकार को अपनी बिनती पूर्वक माँग को स्पष्ट किया। देश के औद्योगिक विकास, सैनिक व्यय कम करना, उत्तम शिक्षा प्रदान करना, गरीबी के प्रति जाँच और परिहार कार्यक्रम को अंग्रेज सरकार द्वारा लागू किए जाने की माँग को ही सरकार के सम्मुख रखा।

भारत में अँग्रेजी प्रशासन के दुष्परिणाम को सर्वप्रथम नर्मदल के लोगों ने सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करने का प्रयास किया। इन्होने भारत की सम्पत्ति किस प्रकार इंग्लैण्ड को बहती जा रही है इसका लेखा-जोखा लगाकर विवरण दिया। दादाभाई नौरोजी ने इसे 'सम्पत्ति बहने का सिद्धांत' कहा । आयात को बढाकर निर्यात कम करने से प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुयी और देश की सम्पत्ति इंग्लैण्ड को बहकर जाने लगी, इसे प्रतिपादित किया। अंग्रेज अधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, निवृत्ति वेतन, तथा प्रशासनिक व्यय को भारत द्वारा ही भरपाई करने की स्थिति में अपार सम्पत्ति ब्रिटेन को परोक्ष रूप से बह कर जाती थी। इसका विवरण देकर विश्लेषित कर उन्होंने लोगों के सामने रखा। दादाभाई नौरोजी की तरह आर.सी. दत्त ने भी अपनी रचनाओं द्वारा भारत की सम्पत्ति को अंग्रेजों द्वारा खाली करने का विवरण दिया है। नर्मदल वालों के काल को उदार राष्ट्रीयवाद काल कहा गया है। सन् 1885 से सन् 1905 के बीच का समय नर्मदल वालों का युग' नाम से इतिहास में जाना जाता है।

गर्मदल (उग्रगामी) -

नर्मदल के नेताओं का अंग्रेजोंद्वारा कोमल शोषण से त्रस्त कांग्रेस में ही अत्यंत असंतुष्ट एक और दल ने इंहें 'राजनैतिक भिक्षुक' कहा। नर्मदल के शोषक पर टिप्पणी कर, तीक्ष्ण आधार को प्रतिपादित करने वाले समूह को गर्मदल के रूप में जाना गया। अरविंदो घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपतराय, तथा बालगंगाधर तिलक आदि इस दल के प्रमुख थे। संवैधानिक नियमों द्वारा भारतीयों को शासन सभाओं में नामांकन करने के द्वारा उन पर बडा उपकार करने की अंग्रेजों की भावना का बलपूर्वक विरोध किया (भारतीय अधिनियम 1861 तथा 1892 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए)

© TBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अरविंदो घोष बालगंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिनचंद्र पाल

बंगाल विभाजन : बंगाल तीव्र रूप से अंग्रेज विरोधी भावना एवँ कार्य कलापों का केंद्र था। इसे दबाने के लिए वायसराय लार्ड कर्जन ने प्रशासकीय बहाने से बंगाल विभाजन की योजना बनाई। वास्तव में बंगाल प्रांत हिंदू और मुसलमान समुदाय से पूर्ण था। पूर्वीभाग में मुसलमान और पश्चिम में हिन्दू अधिक थे। जनसंख्या की गणना के रिपोर्ट द्वारा इस अंश की जानकारी होने पर अंग्रेज सरकार ने इसप्रांत की भौगोलिक विशालता का बहाना बनाकर बंगाल को सन् 1905 में विभाजित कर दिया। इसी प्रकार समुदाय के बीच फूट डाल कर स्वतंत्रता संग्राम की तीव्रता को कम करने की योजना भी बनाई।

अंग्रेजों की नीति फूट डाल कर शासन करना द्वारा सन् 1905 के बंगाल विभाजन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। किंतु बंगाली भाषा मुसलमानों तथा हिंदू समुदाय को एक साथ जोडने की शक्ति के रूप में आगे आयी। हिदू और मुसलमान समुदायों के बीच भावैक्यता बढाने के लिए रक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। बंगाल विभाजन के सम्पूर्ण देश में विरोध व्यक्त हुआ। इस विरोध के एक स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे पूरे देश में गर्मदल के नेताओं ने फैलाया। विदेशी वस्तुआँ तथा उसे प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरु हुआ। भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी। भारतीयों की इस तीव्र विरोध की पृष्ठभूमि में बंगाल विभाजन को सन् 1911में अंग्रेज सरकार ने वापस लिया।

तिलक का 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे' नारा बहुसंख्यक भारतीयों के मन की भावना को छू गया। पूर्ण स्वराज्य पाना गर्म दल के नेताओं का लक्ष्य था। इन्होंने संघर्ष के लिए जनसामान्य को संघटित करने का प्रयास किया। इसी पृष्ठभूमि में धार्मिक आचरण द्वारा लोगों को संघटित कर अंग्रेज विरोधी संघर्ष के लिए उन्हें तैयार किया। गणेश, शिवाजी, दुर्गा आदि उत्सवों द्वारा लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इन सभी विकास की पृष्ठभूमि में सन् 1906 में अलग से मुस्लिम अस्मिता को स्वरूप देने वाली

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

'मुस्लिम लीग' प्रारंभ हुयी। तिलक ने मराठी भाषा में 'केसरी' और अंग्रेजी में 'मराठा' पत्रिकाओं का संपादन अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया इन पत्रिकाओं द्वारा जनसामान्य को राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरण दी। उनके क्रांतिकारी लेखन ने लोगों को उत्तेजित किया। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने तिलक को बंदी बना लिया। कारगृह (जेल) में भी इस समय का सदुपयोग कर तलिक ने 'गीतारहस्य' ग्रंथ की रचना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को और बल दिया।

> ***आपको ज्ञात रहे -***
> *तिलक ने गणेश पर्व और शिवाजी उत्सव द्वारा लोगों को राष्ट्रीयता के लिए प्रोत्साहित किया था।*

क्रांतिकारीगण :

क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था। भारतीयों पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजों को हिंसात्मक मार्ग से मात्र भारत से भगाया जा सकता है, ऐसी उनकी बलपूर्ण धारणा थी। इन्होंने रहस्य पूर्ण संघ द्वारा भारत तथा विदेशों में अपनी शाखा स्थापित कर धन, शस्त्रास्त्र संग्रह के कार्य द्वारा क्रांतिका रियों को प्राशिक्षण दिया। इंगलैण्ड में 'लोटस और डागर' नामक गुप्त संघटन उदित हुआ। इसके द्वारा वहाँ स्थित अरबिंदो घोष आदि क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इच्छा जाहिर की। इसी प्रकार अमेंरिका में प्रारंभ हुआ 'गदा' क्रांतिकारी संघटन उल्लेखनीय है। भारत में 'अनुशीलन समिति' और'अभिनव भारत' रहस्य संघटन प्रमुख है। इन्होंने अपने लक्ष्यकी प्राप्ति के लिए बम तथा बंदूक का प्रयोग किया। सरकार ने इन्हें दबाने का भरसक प्रयास किया। क्रांतिकारी हत्या की योजना के आरोप में बंदी बनाए गए, उन्हें अपराधी घोषित कर आजीवन सजा दी गयी। इसी संदर्भ में कई लोगों को फाँसी दी गयी। वी.डी. सावरकर, अरबिंदोघोष, अश्विनीकुमारदत्ता, राजनारायण बोस, राजगुरु, चाक्सीकर बंधु, विष्णुशास्त्री, चंपूकर, श्यामाजी कृष्णवर्मा, रास बिहारी घोष, मैडम कामा, खुदीरामबोस, रामप्रसाद बिस्मील, अश्फतुल्लाखान, भगत सिंह, चेद्रशेखर आजाद, जतिन दास इन्हें क्रांतिकारियों में प्रमुख माना जाता हैं।

भगतसिंह

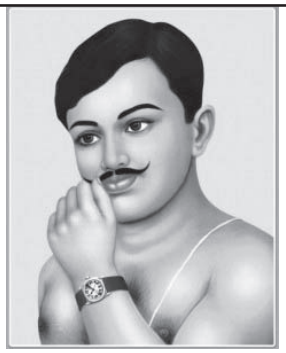
चंद्रशेखरआजाद

वी.डी.सावरकर

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

क्रांतिकारियों का अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था को चोट पहुँचानेके द्वारा शीघ्रता से स्वतंत्रता लाने का स्वप्न पूरा न हो सका। फिर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए स्पूर्तिदायक स्रोत रहे। गर्म दल के नेताओं ने आगामी दिनों में क्रांतिकारियों के रूप में अपना संघर्ष जारी रखा। उनमें अरबिंदो घोष प्रमुख थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विविध सोपानों में क्रांतिकारियों का सोपान अनेक कारणों से विशेष था।

अभ्यास

I. निम्न लिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना _____ में हुयी।
2. धन का रिसाव- इस सिद्धांत के प्रतिपादक _____ थे।
3. स्वराज्य मेंरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह _____ ने घोषित किया।
4. बाल गंगाघर तिलक ने मराठी भाषा में _____ पत्रिका का संपादन किया।
5. अभिनव भारत नामक रहस्य संघटन _____ से युक्त था।

II. निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान पर उचित विकल्प चुनकर लिखिए :-

1. भारतीत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक _____ थे।
   ए) महात्मा गाँधीजी बी) ए.ओ. ह्यूम
   सि) बाल गांगाधर तिलक डी) गोपाल कृष्ण गोखले
2. मराठा पत्रिका के संपादक _____ थे।
   ए) जवाहरलाल नेहरू बी) रास बिहारी बोस
   सि) बाल गांगाधर तिलक डी) वी. डी. सावरकर
3. मुस्लिम लीग सन् _____ में प्रारंभ हुआ ।
   ए) 1924 बी) 1922 सि) 1929 डी) 1906
4. बंगाल विभाजन के वायसराय थे _____
   ए) लार्ड कार्नवालिस बी) डलहौजी
   सि) लार्ड कर्जन डी) राबर्ट क्लाइव

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

III. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौनकौन से संघटन थे?
2. अंग्रेज सरकार के सम्मुख मंदगामी (नर्मदल) द्वारा रखी गयी माँगे क्या थी?
3. धन के रिसाव के सिद्धांत का विवरण दीजिए।
4. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का नाम लिखिए।
5. स्वतंत्रता आंदोलन में बालगांगाधर तिलक की भूमिका का विवरण दीजिए।
6. बंगाल विभाजन प्रस्ताव की वापसी का कारण क्या था?

IV. क्रिया कलाप :-

1. स्वतंत्रता संग्रामियों के चित्रों का संग्रह कर अल्बम बनाइए ।
2. नर्मदल संग्रामियों के चित्र संग्रह कर उनके जीवन चरित्र संबंधी पुस्तकें पढिये।

V. परियोजना :-

1. विद्यालय में देश प्रेम में सहायक नाटक का आयोजन कीजिए ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 8
गाँधीयुग और राष्ट्रीय संघर्ष

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी ।

- गाँधीजी का जीवन
- गाँधीजी की अंत:सत्व उपलब्धियाँ
- खिलाफत आंदोलन
- कानून विरोध आंदोलन
- गोल मेंज सम्मेलन
- डॉ.बी.आर अंबेडकर और उनके सुधार
- मोहम्मद अली जिन्ना
- भारत में गाँधीजी का आरंभिक संघर्ष
- जलियाँवालाबाग हत्याकाँड
- असहयोग आंदोलन
- भारत छोडो आंदोलन
- सुभाषचंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय फौज
- जयप्रकाश नारायण
- जवाहर लाल नेहरु

भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष (संग्राम) में महात्मा गाँधीजी की बडी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने राष्ट्रीय संग्राम में 'गाँधी आदर्श' या गाँधी तरीके की रचना की। सन् 1920-47 की अवधि में गाँधीजी के विचार उनके संघर्ष का सैद्धांतिक आधार बनने के कारण थे। तथा उनके संघर्ष का तरीका भारतीय राष्ट्रीय संग्राम की दिशा को गणनीय रूप दे चुका था इसलिए इस समय को गाँधी युग कहा गया।

आरंभिक जीवन और विकास :

'बापू' के नाम से जाने जाने वाले मोहनदास करमचंद गाँधीजी का जन्म सन् 1869. अक्टूबर 2 को गुजरात के काठियावाड जिले के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता करमचंद गाँधी राजकोट संस्थान में दीवान रहे। माता पुंतलीबाई थी। इनका गहरा नैतिक प्रभाव गाँधीजी के जीवन पर पडा। गाँधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुयी। सन् 1888 में ये इंग्लैण्ड में कान्न का अध्ययन करने गए और 'बार एट ला' की पढाई पूरी करके भारत वापस लौटे। सन् 1893 में दादा अब्दुल्ला और कंपनी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के 'नटाल' स्थान गए। यहाँ गाँधीजी केवल तीन महीने रहने वाले थे किंतु लगभग अगले 20 वर्ष उन्होंने वहीं बिताए। यहाँ मुख्य रुप से वहां के

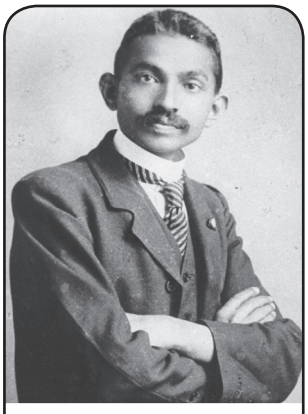

दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

काले लोगों तथा भारतीयों के प्रति वहाँ की अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदर्शित असहनीय वर्णभेद नीति और जनांगीय असमान ता की नीति का विरोध किया। इस संघर्ष के द्वारा गाँधीजीने 'सत्याग्रह' नामक नवीन सामाजिक खोज की और उसकी नीति का निरुपण किया। अनेक अफ्रीकियों के लिए बडे गर्व का विषय यह है कि आपने बिना कुछ बने गाँधी को भेजा, हमने आपको यह गाँधी दिया।

आपको ज्ञात रहे :

अफ्रीका में गाँधीजी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह, अहिंसा के तत्वों के आधारपर संघर्ष प्रारंभ किया। नटाल भारतीय कांग्रेस नामक संस्था बनाई। गाँधीजी ने सर्वप्रथम इंडियन ओपीनियन (भारतीय मत) नामक पत्रिका का सम्पादन किया जिसमें अपने विचार व्यक्त करने तथा लोगों के मत व्यक्त होने लगे। गाँधीजी ने अपने संघर्ष को तीव्र करने के लिए 'पैसिव रेसिस्टेंस आर्गनाइजेशन' नामक सँस्था स्थापित की। सत्याग्रह और संघर्ष का प्रशिक्षण देने के लिए गाँधी जी ने अफ्रीका में 'फोनिक्स' और 'टॉलस्टाय फाम्स' नामक आश्रम स्थापित किया गाँधीजी के मित्र क्यालेनबाक, पत्नी कस्तूरबा, बच्चे तथा मित्रों सहित अनेक भारतीयों ने गाँधीजी का संघर्ष में साथ दिया। अंत में भी ऐसे संघर्षों से दबाव का अनुभव कर अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण अफ्रिका के काले लोगों और भारतीय के विरोध में सभी प्रतिबंध और निषेध संबंधी कानून को वापस लेलिया। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे, तब एक बार डर्बन से प्रिटोरिया रेल यात्रा कर रहे थे। प्रथम दर्जे का टिकट होने पर भी जबरदस्ती रेल के अधिकारी ने गाँधीजी को उस बोगी (डिब्बे) से बाहर निकाल दिया। दक्षिण अफ्रीका की कालोनी में वास करने वाले भारतीय लोगों के कष्ट को देखने - समझने का मौका इन्हें मिला। इंग्लैण्ड से भी तीव्ररूप में जनांगीय भेदभाव और अपमानजनक स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी इसे स्वयं उन्होंने व्यक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के लम्बी अवधि के संघर्ष के बाद गाँधीजी सन् 1915 में भारत आए।

भारत में गाँधी द्वारा प्रारंभ हुए संघर्ष :

भारत आए गाँधीजी ने अपने राजनैतिक गुरु गोखले के मार्गदर्शन में यहाँ के लोगों के जीवन, समाज और उस समय के समाज की वास्तविकता को समझने के लिए रेल में तृतीय दर्जे (श्रेणी) की बोगी में यात्रा कर भारत दर्शन किया। सन् 1916 में उन्हांने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और इससे अपने संघर्ष को संस्थात्मक स्वरूप दिया। किसानों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीब लोगों के कष्ट तथा समस्याओं को समझा। सन् 1917 में गाँधीजी बिहार के चम्पारन में, नील की खेती से परेशान (संकट में पडे) किसानों की ओर से 'चम्पारन आंदोलन' प्रारंभ किया। और अंग्रेज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। सन् 1918 में अहमदाबाद के कपास मिल (कारखाना) के मजदूरों का वेतन

© KBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

बढाने के लिए उनके साथ मिलकर आंदोलन आरंभ कर ख्याति पाई। इसी वर्ष गुजरात के खेडा नामक स्थान पर हुए 'किसान पर लगाया कर संबंधी' संघर्ष भी सफल हुआ। इन सभी संघर्षों में गाँधीजी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग का परिचय देकर इसका प्रयोग किया। साथ ही आम भारतीय जनता के साथ बातचीत करके स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को जनमुखी रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की।

महात्मा गाँधीजी के प्रवेश से स्वतंत्रता आंदोलन को नवीन आयाम मिला। गाँधीजी ने अपने संघर्ष में 'परोक्ष विरोध', 'अहिंसा' तथा सत्याग्रह को संघर्ष के प्रमुख तत्व। (तकनीक) के रूप में उपयोग किया। अपने सिद्दांतों को इन्होंने 'हरिजन' और 'यंग इंडिया' पत्रिका में प्रकाशित किया।

आपको ज्ञात रहे :

गाँधीजी के प्रवेश को नवीन कांग्रेस ने अपनी सदस्यता से सबको मुक्त कर, इसे जनसामान्य का संगठन बनाया। संघ द्वारा लिये जाने वाले निर्णय को जबरदस्ती थोपने पर असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यतंत्र रचा गया। अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक करोड रुपए की पूजी द्वारा तिलक स्वराज्य फँड को प्रारंभ किया। इस प्रकार महात्मा गाँधीजी के प्रवेश से कांग्रेस में सम्पूर्ण बदलाव देखा जा सकता है। इस सभी कारणों से इस काल को गाँधीजी का युग कहा जाता है।

गाँधीजी के संघर्ष की आंतरिक उपलब्धि

सत्याग्रह : गाँधीजी के संघर्ष का बडा प्रमुख तरीका ही सत्याग्रह है। 'सत्याग्रह' पद का अर्थ सत्य का आग्रह या दबाव ही है। अफ्रीका में गाँधीजी द्वारा अपनाया गया यह अस्त्र उनकी नैतिक शक्ति का प्रतीक है। सत्याग्रह - अहिंसा पर आधारित था, गलत, हिंसा और असत्य का सीधे विरोध करने का तरीका था। इस अस्त्र को भारत के राष्ट्रीय संग्राम में लगातार उपयोग किया गया। यह एक सामाजिक खोज थी।

अहिंसा : गाँधीजी के संघर्ष का मूलभूत आशय अहिंसा था। सशस्त्र बल के प्रयोग के विपरीत अहिंसा और सत्याग्रह द्वारा आमने-सामने बात करना इनका लक्ष्य था। अंग्रेजी दर्प के (घमंड का) अस्त्र, फौज, पुलिस, कानून आदि के विरुद्ध सत्य, अहिंसा, व्रत, जैसे मातृत्व के मांत्रिक अस्त्रों का उपयोग कर उन्हें हराने में गाँधीजी का संघर्ष एतिहासिक संदेश है।

हिंदू मुसलमान एकता : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हिंदू मुसलमान की एकता को बलपूर्वक प्रतिपादित करने वाले गाँधीजी ही थे। इनका मानना था कि इन

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

समुदायों के बीच यदि एकता न होती तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति और भविष्य में राष्ट्र के रूप में स्थापित होना कठिन होगा। गाँधीजी ने हिंदू और मुसलमान को भारत माता की दो आँखे माना। इसी पृष्ठ भूमि मं उन्होंने सन् 1919 में खिलाफत आंदोलन के लिए कांग्रेस संघटन से सहयोग की अपेक्षा की।

*यह पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है न कि लालच को - **गाँधीजी***

असहयोग आंदोलन के प्रेरक तत्व

जलियाँवाला बाग हत्याकाँड :

अंग्रेज सरकार के रोलेक्ट एक्ट को सन् 1919 मार्च में जारी किया गया। इसके द्वारा अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय वादियों को नियंत्रित करने लगे। इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बंदी बनाकर, कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित कर दंड दिया जा सकता था। इससे भारतीयों की स्वतंत्रता संघर्ष संबधी सभा आयोजन, संघठन तथा मुक्त रूप से अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता छिन गई। गाँधीजी ने इसके विरोध के लिए 'सर्वयाग्रह सभा' नामक संस्था स्थापित कर संघर्ष प्रारंभ किया। वृहत् सभा, जुलूस, बहिष्कार आदि विविध राजनैतिक कार्यों को इसके माध्यम से किया गया।

जलियाँवाला बाग हत्याकाँड

अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के अनुष्ठान के विरुद्धध किए जाने वाले विरोधों का दमन करने का निर्णय लिया। गाँधीजी ने सन् 1919, 6 अप्रैल को एक वृहत् सभा बुलायी। पंजाब में डॉ फकरुद्धीन, डॉ सत्यपाल आदि को बंदी बनाया गया। इसका विरोध करने के लिए सन् 1919, 13 अप्रैल को पंजाब अमृतसर में जलियाँवाला बाग में लोग बैसाखी पर्व की तरह विरोधी सभा में शामिल हुए। अमृतसर के सेनाधिकारी जनरल डायर ने वहाँ जुटे लोगों पर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलवायी, जिससे लगभग 380 लोग मर गए और हजारों लोग घायल हुए। इस घटना से गाँधीजी सहित अनेक भारतीय शोकाकुल हुए। इस घटना के बाद पंजाब में सैनिक प्रशासन लागू हुआ। इस हत्याकाण्ड का विरोध कर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड पदवी अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दिया। गाँधीजी के असहयोग आंदोलन आरंभ करने का यह एक प्रमुख कारण था। बेचारे भारतीय संघर्षकर्ताओं की हत्या करने वाले डायर की हत्या क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने की।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

खिलाफत आंदोलन

तुर्क (टर्की) के सुल्तान मुसलमानों के धर्मिक नेता थे। जो खलीफा कहलाते थे। प्रथम महायुद्ध के संदर्भ में खलीफाओं पर अंग्रेजों के अत्याचार का खंडन करते हुए मुसलमानों ने सारे विश्व में विरोध प्रदर्शित किया। इसी क्रम में मुहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने भारत में तुर्कियों के पक्ष में खिलाफत आंदोलन सन् 1919 में प्रारंभ किया। हिंदू - मूसलमानों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हडताल करने पर मात्र अंग्रेज पीछे हटेंगे, ऐसा गाँधीजी का मानना था। गाँधीजी ने माना कि इसी पृष्ठ भूमि में मुसलमानों का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बडा महत्वपूर्ण है। परिणामतः गाँधीजी ने खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग दिया। यह आंदोलन हिंदू मुसलमानों की एकता द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन था। अनेक राष्ट्रीय नेता तथा कांग्रेस संघटन खिलाफत आंदोलन के सहयोग में खडा था।

असहयोग अंदोलन

सन् 1920, 4 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए अनुमोदन रखा। अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्ति, अंग्रेजों की निर्दयी प्रशासन के विकृत रचनास्वरूप से लोगों को परिचित कराना और प्रमुख रूप से जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड जैसी घटना को भविष्य में न दोहराने के लिए विरोध करना, अंग्रेजी प्रशासन का पूर्णतः विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही रोलेट एक्ट को अंग्रेज सरकार को वापस लेने और नवीन राजनैतिक सुधार को जारी करने के द्वारा भारत को स्वराज्य देने की माँग प्रमुख थी।

असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम

1. विद्यालय - महाविद्यालय तथा न्यायालयों का बहिष्कार करना।
2. सन् 1919 के अधिनियम के अनुरूप प्रांतीय प्रशासन सभा के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना।
3. अंग्रेजों द्वारा सम्मान पूर्वक दी गई पदवी और स्थान को वापस देना।
4. स्थानीय सभा के लिए निर्देशित सदस्यों द्वारा इस्तीफा/त्यागपत्र देना।

असहयोग आंदोलन

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

5. सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेकर बहिष्कार करना।
6. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।

इनके साथ असहयोग के अन्य प्रमुख कार्यों में हथकरघा, बुनाई को प्रोत्साहन तथा खादी वस्त्र तैयार करना, राष्ट्रीय विद्यालय खोलना, हिंदू-मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना, अस्पृश्यता निर्मूलन तथा स्त्रियों की शोचनीय स्थिति को उबारना, उनमें सबलीकरण लाना था।

असहयोग आंदोलन के समय का प्रमुख विकास :

1. देशबंधु चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्रप्रसाद आदि बड़े वकीलों ने अपनी वकील वृत्ति का त्याग किया।
2. विद्यार्थियों ने स्कूल-कॉलेज छोड दिए।
3. चुनाव में अभ्यर्थियों को नामांकित किए बिना सन् 1919के अधिनियम के तहत कांग्रेस ने प्राँतों में होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया।
4. काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई।
5. रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'नाइट हुड' की पदवी अंग्रेज सरकार को वापस लौटायी।
6. स्त्रियों सहित जनसामान्य ने कांग्रेस संघर्ष के लिए भेंट दी। विदेशी वस्तुओं को बेचनेवाली दुकानों के सामने हडताल की और विदेशी वस्त्रों को जलाया गया।
7. सन् 1921 में 'प्रिस ऑफ वेल्स' राजकुमार के आने के कार्यक्रम का विरोध किया।

असहयोग आंदोलन के परिणाम : इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर भी कुछ गंभीर परिणामों की सृष्टि हुयी। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय संघर्ष जनसामान्य के संघर्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। काँग्रेस प्रणीत आँदोलन क्रांतिकारी आयाम लेने लगे। हिंदू-मूसलमान भ्रातृत्व की तात्कालिक ही सही, सृष्टि हुई। राष्ट्रीय संघर्ष, नगरों से निकल गाँवों (ग्रामीण प्रदेशों) तक फैलने लगा। अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों को भी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश आदि उल्लेखनीय परिणाम हुए।

चौरी-चौरा घटना : सन् 1922, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर लगभग 3000 किसानों सहित एक बडा समूह पुलिस थाने के सामने इकटठा हुआ। उनका प्रमुख उद्देश्य शराब (मद्य) की दुकानों के सामने हडताल कर रहे कांग्रेस संघर्ष कर्ता ओं को तकलीफ देने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विरोध व्यक्त करना था। इसके विपरीत पुलिस ने वहाँ आए लोगों पर गोलियाँ बरसाना प्रारंभ किया। जिससे जनता कुपित हो उठी। और उनके पुलिस थाने को उन्होंने आग लगा दी।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

इससे अंदर स्थित 22 पुलिस कर्मचारी सजीव जल कर मर गए। दूसरे स्थानों पर भी ऐसी हिंसात्मक घटनाएँ घटीं। परिस्थिति की गंभीरता को मद्दे नजर रखते हुए गाँधीजी ने लोगों पर और अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आवश्यक तैयारी और नैतिक शक्ति की कमी को समझा। इस प्रकार 12 फरवरी सन् 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गाँधीजी जनता को प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा कर 10 मार्च सन् 1922 को गाँधीजी को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने 6 वर्ष तक कारावास की सजा सुनाई। किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण दो वर्ष बाद उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया गया। गाँधीजी के इस निर्णय से राजनैतिक शून्यता उत्पन्न हुई।

स्वराज पक्ष : असहयोग आंदोलन को वापस लेने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस जनों में उत्साह ठंडा पड गया। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रशासन सभा का बहिष्कार समाप्त कर उन्हे प्रवेश करने का आग्रह किया। इससे स्वतंत्रता आन्दोलन को और बल प्राप्त होने की बात कही। सितंबर सन् 1923 में सी. आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पक्ष स्थापित हुआ। उसी वर्ष अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज पक्ष के लोगों को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुयी। सन् 1923 नवंबर हुए चुनावमें स्वराज पक्ष के 101 स्थानों में से 42 स्थान विजयी रहा।

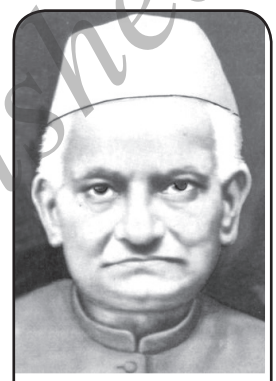
मोतीलाल नेहरु

नागरिक अधिनियम भंग आंदोलन के आरंभ होने के कारण तत्व :

सन् 1927 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। सन् 1919 में जारी हुए भारत सरकार अधिनियम (मांटेग्यू-चार्ल्सफर्ड अधिनियम) के अनुष्ठान और परिणामों की चर्चा हेतु 3 फरवरी, सन् 1928 को साइमन कमीशन भारत आया तब 'साइमन गो बैक' (साइमन वापस जाओ) की घोषणा द्वारा व्यापक विरोध व्यक्त हुआ। मुंबई, लाहौर, मद्रास आदि स्थानों पर बंद का आचरण हुआ। लाहौर में हुए संघर्ष के संदर्भ में लाला लाजपतराय पर लाठी से प्रहार होने के कारण उनका देहांत हो गया। इससे भारत में राष्ट्रीय संघर्ष और तीव्र हो गया।

लाला लाजपतराय के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए।

ब्रिटिश (अंग्रेज) सरकार ने भारतीयों के लिए परोक्ष रूप से प्रश्न उठाया। जो सभी राजनैतिक पक्षों तथा समुदायों के अनुकूल एक संविधान की रचना करने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने से जुडा था। इस पृष्ठभूमि में सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

में एक समिति बिठाई गई और नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। गाँधीजी ने भी नेहरू समिति की श्लाधना की। नेहरू रिपोर्ट में भारत के डोमेनियल (प्रजातांत्रिक स्वरूप) स्टेटस के साथ फेडरल राज्य व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार देने, भारत की जनता को प्रजाप्रभुत्व लाने आदि की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात् अंग्रेज मेंदूर पक्ष के प्रमुख रामसे मैकडोनाल्ड, वायसराय लार्ड इर्विन के साथ बात-चीत कर भारत को डोमेंनियन स्टेटस (प्रजातंत्रात्मक स्वरूप) देने के बारे में परिशीलन की घोषणा की।

उसके बाद हुए प्रमुख विकास में सन् 1929 का लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन सम्मेलन था। इस सम्मेंलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष और बलबती बना। जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में कांग्रेस और राष्ट्रीय संघर्ष के मूल उद्देश्य 'पूर्ण स्वराज' को अंगीकार किया गया। सन् 1930, 26 जनवरी को स्वतंत्रता का दिन घोषित किया गया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाले अवज्ञा आंदोलन की पूरी जिम्मेंदारी गाँधीजी को सौंपी गई। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को बढाने के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान को सन् 1950, 26 जनवरी को अंगीकृत किया गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन :

नमक सत्याग्रह

सन् 1930 फरवरी में कांग्रेस कार्यकारी समिति ने साबरमती सभा बुलायी और अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया। गाँधीजी ने सन् 1930, 2 मार्च को ग्यारह अंशों वाला एक माँग पत्र वायसराय को लिखा। यदि सरकार इससे सहमत न हुयी तो 'कर' निराकरण के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरु करने की घोषणा गाँधीजी ने की । वायसराय ने इसपक्ष की माँग को अस्वीकृत किया इस कारण सन् 1930, 12 मार्च को अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तट तक 'डांडी' तक लगभग 375 कि.मी. की दूरी पैदल तथा की। 6 अप्रैल को गाँधीजी डांडी (दंडी) पहुँचे और अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोडा। इस आंदोलन में चरखा काफी प्रसिद्ध होगा। हजारों लोग गाँधीजीके आह्वान पर आगे आए और आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। नमक सत्याग्रह के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय आन्दोलन सप्राह मनाया गया।

अवज्ञा आन्दोलन में गाँधीजी के साथ भाग लेने वालों में विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरु, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद और हजारों लोगों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

यह आंदोलन देश के विविध भागों में व्यापक हो गया।

आपको ज्ञात रहे :

- *साबरमती से दंडी (डांडी) तक पैदल यात्रा करने वाले समूह में कर्नाटक का 18 वर्षीय तरुण मैलार महादेवप्पा भी था।*
- *कर्नाटक कांग्रेस ने भी आर.आर. दिवाकर कौजलगी हनुमंतराय, गागाधर देशपांडे, हर्डिकर मंजप्पा और कार्नाड सदाशिवराय सहित सत्याग्रह समिति की रचना की और कारवार जिले के अकोला तालुक में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।*

इस बीच पूर्व ही प्रस्तावित लंदन में भारतीय जन प्रतिनिधि सम्मेंलन का आयोजन सन् 1930 में किया गया। यह प्रथम गोलमेंज परिषद सम्मेंलन था। इससे व्यक्त हुआ कि भारतीयों को छोडकर सरकार एकमुखी रूप से निर्णय नहीं ले सकती। इस सम्मेंलन में सर्वप्रथम बार अस्पृश्य समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इस सम्मेंलन में भाग लेने के संबेध में बंदी हुए गाँधीजी और कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को छुडवाया गया। किंतु कांग्रेस और गाँधीजी ने इस सम्मेंलन में भाग लेने से इंकार कर दिया। इस सम्मेंलन में देशी संस्थान के प्रतिनिधि, विविध समुदायों के प्रमुख रहे डॉ.बी. आर. अंबेडकर, एम.आर. जयकर, तेजबहादुर सप्रु, मुहम्मद अली जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री आदि ने भाग लिया। डोमेंनियन स्टेटस (प्रजातांत्रिक स्वरूप) जिम्मेंदार सरकार तथा मतीय प्रतिनिधियों से संबंधित विषयों को इस सम्मेंलन में सम्मति मिली। किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गोलमेंज परिषद सम्मेंलन में भाग लेने के संबंध में सम्मेंलन अपूर्ण रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाकर गोलमेज सम्मेलन के उद्देश्यको भली भाँति पूरा करने की दृष्टिसे गाँधीजी और वायसराय इर्विन के बीच सन् 1931 मार्च को एक समझौता हुआ। इसे गाँधी-इर्विन समझौता कहा जाता है। परिणामतः कांग्रेस पक्षने सविनय अवज्ञा आन्दोलन रोक कर द्वितीय गोलमेंज परिषद सम्मेंलन में भाग लेने का निर्णय लिया। मुहम्मद अली जिन्ना और डॉ.वई.आर अंबेडकर ने भी इस सभा में भाग लिया था।

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए अलग से मतक्षेत्र की माँग की। यह माँग गाँधीजी ने अस्वीकृत कर दी। इससे गाँधीजी और अंबेडकर के बीच तात्विक भिन्नमत उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्वितीय गोल मेंज परिषद् सम्मेंलन भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। किंतु अंग्रेज सरकार ने अस्पृश्यों के लिए अलग से मतक्षेत्र की घोषणा की। इससे उस वर्ग को दिये जाने वाले हर मतक्षेत्र संबंधी 'मतीय मुद्दे' के लिए सन् 1932 को नियम जारी हुए। इसका विरोध करते हुए गाँधीजी ने आमरण व्रत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस समय अंबेडकर का मनजीतने के प्रयत्न भी हुए। परिणामतः पूना समझौता हुआ। इसके अनुसार अलग मतक्षेत्र के बदले सामान्य मतक्षेत्रों में ही कुछ क्षेत्रोंको अस्पृश्योंके लिए

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आरक्षित किया गया। ऐसे स्थानों में अस्पृश्य प्रतिनिधि सभी जनों के प्रतिनिधि होते थे। अलग मतक्षेत्रके बदले कुछ क्षेत्रों को अस्पृश्योंके लिए निम्न वर्ग मेंआरक्षित किया गया।

अंग्रेज सरकार ने केंद्र में मिले जुले स्वरूप की सरकार राज्यों में प्रांतीय सरकारकी रचना करनेकी सूचना दी। इस पृष्ठभूमि में तृतीय गोलमेंज परिषद् सम्मेंलन सन् 1932में हुआ। सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था को धिक्कारते हुए कांग्रेस सम्मेंलन में भाग नहीं लिया। गोलमेंज परिषद् के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सन् 1935 के भारत सरकार का अधिनियम जारी किया। इस अधिनियम ने भारतीय संघ की रचना और प्राँतीय स्वायत्ता का अवसर दिया। भारतीयों को राजनैतिक अधिकार मिले। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव प्रतियोगिता में भाग लिया। कांग्रेस ने बहुमत पाकर संघीय सरकार की रचना की। इस समय द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो चुका था। और यूरोपीय राज नैतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में भारत के वायसराय ने एकपक्षीय रूप से भारत की ओर से जर्मनीके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसका विरोध कर कांग्रेस मंत्रिमंडल से बाहर आ गया। वायसराय के निर्णय का विरोध कर गाँधीजी ने वैयक्तिक रूप से सत्याग्रह का एलान किया। तब भारतीयाँ को खुश करने के लिए स्टाफर्ड क्रिप्स को समझौते के लिए भेजा गया।

भारत छोडो आंदोलन (1942)

अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं के समझौते के लिए भेजे गए स्टाफर्ड क्रिप्स आयोग ने सन् 1942 में कुछ सलाह भातीयों के समक्ष रखे। यह आयोग भारत को डोमेंनियन (प्रजातांत्रिक) स्थान दिलाने, उसके लिए संविधान की रचना के लिए सभा बुलाना, नये संविधान में भारतीय संघ में जुडने या निकलने की स्वतंत्रता से संबंधित राज्यों को छोडने की सलाह दी गई। इस सलाह को कांग्रेस ने अस्वीकार कर 'भारत छोडो' आंदोलन को प्रारंभ किया। 'अंग्रेजों भारत छोडो' यह क्विट इंडिया का आशय था।

भारत छोडो आंदोलन

गाँधी ने अपने देशवासियों को 'करो या मरो' का नारा दिया। इस नारे की पृष्ठभूमि में गाँधीजी नेहरू, राजेंद्रप्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, कस्तूरबा गाँधी आदि नेताओं को

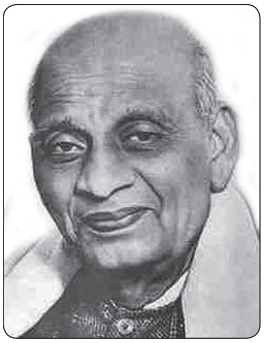

वल्लभ भाई पटेल

मौलाना अबुल कलाम आजाद

www.textbookpdf.in

अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के बंदी होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग संघटन प्रमुख भूमिका निभा रहा था। ये नये नेताओं के उदय का कारण रहा। इस संदर्भ में अंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया।

ये कांग्रेस के समाजवादी पक्ष के प्रमुख नेता थे। ये अपने अनुयायियों सहित देश के विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्यों में लगे रहे। समाजवादियों ने दि फ्रेंड स्ट्रगल फ्राँट नामक दस्ताबेज द्वारा अपनी गतिविधियों को अनुष्ठानित किया। इसके द्वारा उन्होंने अपने कर्मियें को प्रशिक्षण दिया। जनता को संघर्ष में भाग लेने के लिए आह्वानित किया। धन इकट्ठा किया। इसप्रकार दिशाहीन संघर्ष को दिशा देने वाले यही थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी संदर्भ में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भारत की सीमा के बाहर प्रारंभ हुआ। इस दिशा में सुभाष चंद्रबोस का प्रयत्न अद्वितीय था। सन् 1937 के चुनाव के बाद सरकार की सहभागिता में मुस्लिम लीग को सरकार की रचना द्वारा छोड दिया गया। सन् 1939 में भारत सरकार के एक मुखीरूप से द्वितीय महयुद्ध में भारत को शामिल करने के संदर्भ में मंत्रिमंडल में सभी काग्रेसियों द्वारा बाहर निकलने पर मुस्लिम लीग 'विमुक्ति दिवस' का आचरण किया। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने भारत छोडो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जिसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव सामने रखा।

आपको ज्ञात रहे :

ईसूरु घटना : *मैसूरु संस्थान के शिवमोग्ग जिले के शिकारीपुर के निकट एक गाँव ईसूरु है। स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान प्राप्त किए इस गाँव का 'स्वतंत्रता गाँव' नाम दिया गया। यहाँ सभी गाँधी टोपी पहनते थे। अधिकारियों को गाँव में प्रवेश निषेध था। किंतु सन् 1942 में वहाँ आए अधिकारियों को गाँधी टोपी पहनने पर जोर दिया। इसका विरोध कर अधिकारियों के साथ आए पुलिस कर्मियों ने जनता पर गोली चलायी। इससे क्रोधित हुयी जनता ने उसकी हत्याकर दी। इसे इतिहास में ईसूरु घटना के नाम से जाना जाता है।*

किसानों और मेंदूरों का संघर्ष :

स्वतंत्रता संग्राम में किसान मेंदूर संघटन का संघर्ष भी बडा महत्वपूर्ण स्थान रखना है। इस संघटन में कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रभावित थे। और कुछ संघटन मार्क्सवादियों से प्रभावित था। अंग्रेजी प्रशासन की अवधि में जमीनदार और यूरोपीय प्लास्टर के विरुद्ध किसानों ने कई भागों में विद्रोह किया। चंपारण्य (चंपारन) जिले में नील की खेती का विरोध हुआ। भू-राजस्व के विरुद्ध हडताल किया। गाँधीजी के सत्याग्रह द्वारा अंग्रेज अधिकारियों का मन जीतकर 'कर' को रद्द करवाया।

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

राष्ट्रीय संघर्ष के हिस्से के रूप में किसानों को संघटित करने का प्रयत्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। चंपारण्य, खेडा, आदि प्रदेशों के किसानों के कार्य गतिविधियों में गाँधीजी का प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव से तेभाग, मालाबार आदि क्षेत्रों में शोषित किसानों ने जमीनदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्रविद्रोह किया। असहयोग आंदोलन, करनिराकरण, भारत छोडो आंदोलन आदि में किसानों की समस्या भी जुड गयी। कई संघर्ष वाम पंथियों की विचारधारा से रचित किसान सभा के अंतर्गत संघटित हुआ। संघर्ष कभी कभी कांग्रेस के साथ तो कभी कांग्रेस के विरुद्ध खडा था। तेलंगाना का किसान संघर्ष जमीनदारों तथा निजाम रजाक के विरुद्ध विद्रोह करने लगा। बंगाल के किसान जमीनदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। महाराष्ट्र में किसानों ने कम मेंदूरी के विरुद्ध आंदोलन किया।

मजदूर विद्रोह :

ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में लागू राजस्व और अरण्य नीति आदिवासी विद्रोह को सीधे प्रेरणा रही। आदिवासी विद्रोह में संथालों का विद्रोह, कोलार विद्रोह, और मुंडा आंदोलन प्रमुख था। कर्नाटक में हलगली के आखेटकों (शिकारियों) का विद्रोह इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

संथाल आदिवासी विद्रोह को भारत का प्रथम विद्रोह माना गया है। इन आदिवासी लोगों को बंगाल तथा उडीसा के पर्वतीय प्रदेशों में देखा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लागू स्थायी जमींनदारी पद्धति से ये अदिवासी लोग गरीब हो गए। स्वयं श्रम करके भूमि को कृषि योग्य बनायी गई भूमि आदिवासी जनों से जमींनदारों को मिल गयी। बंगाल के जमींनदार, लेन-देनदार तथा कंपनी सरकार संथालों का सीधा शोषण कर रहे थे। संथालों की शांति प्रियता और सभ्यता को कंपनी सरकार ने शोषण में उपयोग किया। इससे खिन्न संथालों ने रहस्यसभा कर जमींनदारों और लेन-देन दारों को लूटने का फैसला किया। विद्रोह बाराहाट, भगतपुर और राजमहल में बडा तीव्र हुआ। परिणामतः आदिवासी लोगों ने अपने शत्रुओं की हत्या की। इससे अनेक जमींनदारों और लेनदेन दारो ने पलायन किया। संथालों का विद्रोह दवाने के लिए अंग्रेजों ने सेना का उपयोग किया। संथालों का विद्रोह भले ही अंत हो गया किंतु इसका उत्साह आगे के अनेकों संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रद रहा। इसीप्रकार कोलार और मुंडाओं का विद्रोह/संघर्ष अंग्रेजों और जमींनदारों के विरुद्ध किया गया।

कोलार और मुंडा के बारे में और जानकारी संग्रह कीजिए ।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस

ये मूलतः उडीसा में कटक के थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका मील का पत्थर है। भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा (ICS) में चौथी श्रेणी प्राप्त करने वालो बोस देशाभिमान से अंग्रेज सरकार के प्रतिष्ठित पद का त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पडे। ये 'नेताजी' के नाम से जनप्रिय रहे।

गाँधीजी के विनम्र संघर्ष के विपरीत इन्होंने 30 वें दशक के प्रारंभ में विदेश में स्थित भारतीयों को संघटित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया। इन्होंने विविध देशो के नगरों वियेना, बर्लिन, रोम, इस्लांबूल आदि क्षेत्रों में देशाटन कर मातृभूमि को अपना समर्थन देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। युरोप में उदित कम्यूनिस्ट और समाजवादी लहर ने भारत में कांग्रेस संघटन को भी परिवर्तित किया। कांग्रेस में स्पस्ट रूप से समाजवादी वामपंथीयता दिखाई देने लगी। इसी पृष्ठभूमि में सन् 1934 तक जवहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने काँग्रेस के समाजवादी पक्ष की स्थापना की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गाँधीजी के समर्थन से बोस अध्यक्ष बने। अंग्रेजों की युद्ध नीति की तैयारी से संबंधित, नम्र भावना रखने वाले गाँधीजी और अंग्रेजों के विरुद्ध कठोर धारणावाले सुभाष के मध्य बंधुत्व में दरार पड गयी। गाँधीजी ने अंतराष्ट्रीय मदद माँगने की बजाय इसकी टीका की (विरोध किया)। सन् 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्रबोस ने गाँधीजी के विरोध के बीच भी काँग्रेस की अध्यक्षता की।

> ***आपको ज्ञात रहे:***
> *'जर्मन लोगों के आने से पूर्व भारत को आजाद होना है। यूरोप में इग्लैंण्ड को मिली चोर के साथ भारत पर अंग्रेजों की सम्राज्यशाही पकड निश्चित ही ढीली पडेगी'।*
>
> **- सुभाष चंद्र बोस**

तत्पश्चात् के दिनों में गाँधीजी और बोस के बीच मतभेद तीव्र हो गया। कांग्रेस के अंदर स्थित अंग्रेजों को भगाने की बोस के प्रयास की गतिविधियाँ धीमी पड गयी। सुभाष चंद्र बोस ने गाँधीजी के कार्य करने के तरीके से निराश होकर काँग्रेस से बाहर आकर 'फारवर्ड ब्लॉक' नामक नया पक्ष बनाया। जो कांग्रेस में रहकर प्रगतिपूर्ण तथा तीव्र आशय रखता था। अंग्रेजों के युद्ध की तैयारी और विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का सुभाष चंद्र ने विरोध किया। परिणमतः अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अंग्रेज विरोधी सारी शाक्तियाँ एक होकर अंग्रेजो के विरुद्ध संघर्ष की इच्छा से गृहबंधन से छूट कर (भागकर) जर्मनी पहुँची। जर्मनी के सर्वाधिकारी हिटलर ने इन्हें सभी प्रकार की सहायता देने का विश्वास दिया था। बोस ने जर्मनी में भारतीय युद्ध के कैदियों को संघटित किया। 'आजाद हिंद रेडियो' द्वारा अपने भाषण का प्रसारण भारतीयों के लिए किया। युद्ध में जापान की विजय के बारे में जानकर उनकी सहायता से भारत की आजादी की संभावना से संबंधित भारतीयों का संघटन करने वाले रास बिहारी बोस ने टोकियों में स्थापित 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' के सेना विभाग को भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के नाम से पुकारा। बाद के दिनों में आइ.एन.ए. का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस संदर्भ में 'दिल्ली चलो' की घोषणा की। तुम मुझे खून दो, मै तुम्हें आजादी दूगा का वचन दिया । भारतीय राष्ट्रीय सेना में झाँसी रेजिमेंट (पलटन) नामक विभाग था। कैप्टन (कप्तान) लक्ष्मी सहगल ने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया।

आपको ज्ञात रहेः

'भारत और 38 करोड अपने देशवासियों को मुक्त कराऊँगा। कह कर ईश्वर की शपथ लेता हूँ।..... स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी स्वतंत्र भारत को बचाने के लिए अपनी रक्त की अंतिम बूँद बहाने के लिए सदा तैयार हूँ'।

- सुभाष चंद्र बोस

सुभाष ने रंगून द्वारा अंग्रेजों के हाथ से दिल्ली को वश में करने के लिए युद्ध की योजना बनाई। तब तक भारत से आइ.एन.ए. में जुडे हजारों योद्धा दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करते रहे। इसी पृष्ठभूमि में सुभाष के आदेशानुसार सशस्त्र संघर्ष बर्मा की सीमा में आरंभ किया। अंग्रेज तथा आइ.एन.ए. के बीच घमासान युद्ध के समय सुभाष आकस्मिक रुप से विभाग दुर्घटना में चल बसे। वर्मा की राजधानी रंगून अंग्रेजों के वश में होने के कारण आइ.एन.ए. सैनिकों को अंग्रेजों ने बदी बना लिया। बाद के दिनों में गाँधीजी सहित काँग्रेस के बहुत से नेताओं ने आइ.एन.ए. सैनिकों को बंधनयुक्त कराने में अपना श्रम लगाया।

डॉ.बी.आर. अंबेडकर

सामाजिक समानता रहित स्वतंत्रता को अर्थहीन मानने में डॉ.बी.आर. अंबेडकर का पूर्ण विश्वास था। इन्होंने भारत की श्रेणीकृत (वर्ग) व्यवस्था के अंतिम मनुष्य को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न होने पर राजनैतिक स्वतंत्रता को अर्थ हीन माना। उन्होंने कहा कि वह केवल मरीचिका बन कर रहजाएगा। उन्होंने भारत को केवल एक राजनैतिक परिकल्पना के रूप में न देख उसके सम्पूर्ण मुख का परिचय दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर उसे नष्ट करने के लिए संघर्ष की रचना

डॉ.बी.आर. अंबेडकर

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

की। अस्पृश्यों के न्यूनतम अवसर मिले होने के बारे में भी बताने के लिए 'महद' का नारा दिया और 'कालाराम' मंदिर आंदोलन चलाया। इन्होंने तृतीय गोल मेंज परिषद सम्मेलन में भाग लेकर निम्न वर्गों को विविध प्रकार की बेडियों से मुक्त करने के लिए आवश्यक बहुमूल्य मुझाव दिए। हरिजन उद्धार और अस्पृश्यों के नेतृत्व के संबंधों में गाँधीजी और अंबेडकर में मतभेद उत्पन्न हुए। अस्पृश्यों की रक्षा के लिए अलग से मतक्षेत्र की माँग गाँधीजी और अंबेडकर के बीच मतभेद का कारण बनी। इन्होंने बडोदा के महाराज के यहाँ दीवानपद पर काम किया था। इन्होंने मुंबई लेजिस्लेटिव (विधायक परिषद) काउन्सिल और बाद में वायसराय एक्सिक्युटीव (कार्यकारी) परिषद में भी बडी चतुराई से अपना कार्यभारा निभाया। अंबेडकर ने कांग्रेस पक्ष में न रहकर 'बहिष्कृत हितकारणी सभा' नामक संघटन और स्वतंत्र मेंदूर पक्ष नामक स्वतंत्र पक्ष का संघटन स्थापित किया। 'प्रबुद्ध भारत', 'जनता', 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', पत्रिकाएँ चलायी। कम्यूनिस्ट और समाजवादी धारण से दूर ही रहकर कृषक मेंदूरों के उद्धार के लिए इन्होंने काम किया।

आपको ज्ञात रहे:

'पत्रिकाओं में न होने वाले नेता पंखहीन पक्षी की भांति होता है'।

- डॉ.बी.आर अंबेडकर

स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक दिशा के रूप में भारतीय संविधान की रचना करनी पडी। संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे चलकर संविधान रचना की प्रारुप समिति के अध्यक्ष रूप में डॉ.बी.आर. अंम्बेडकर को सर्वानुमति से चयन किया गया। इन्होंने संविधान में समानता का प्रतिपादन कर आस्पृश्यता आचरण के विरुद्ध कानून सुरक्षा स्थापित की। अस्पृश्यता आचरण को भारतीय संविधान में अपराध के रूप में गणना की गई है। स्वतंत्र भारत में डॉ. बी. आर. अंबेडकर कानून मंत्री बने। आधुनिकता, वैचारिकता और पाश्चात्य विद्वानों से प्रेरित होकर देशी जडों की ओर झुकाव प्रदर्शित किया। जाति व्यवस्था से परेशान होकर इन्होंने हिंदू धर्म को छोडकर भारतीय संस्कृति के हिस्से, जाति और सामाजिक श्रेणी (वर्ग) का विरोध कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मार्क्सवाद जो परिवर्तन रक्त और हिंसा द्वारा ला सकता है उसे बौद्ध धर्म शांति और अहिंसात्मक रूप से ला कता है, यह उनका विश्वास रहा। उनकी आजीवन साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरान्न 'भारत रत्न' देकर गौरव प्रदान किया।

अंबेडकर द्वारा प्राप्त शैक्षिक पदवी और रचित कृतियों के बारे में और जानकारी संग्रह कीजिए।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आपको ज्ञात रहे :

महाराष्ट्र के 'महद' नामक शहर में तालाब के जल को अस्पृश्य उपयोग नहीं कर सकते थे। जल का उपयोग शहर के अस्पृश्यों के लिए हो सके, ऐसा आंदोलन 'महद' आंदोलन कहलाता है। इसी प्रकार 'कालाराम' नामक मंदिर में शेष स्थानों की तरह ही अस्पृश्यों का प्रवेश निषेध था। वहाँ भी अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश पाने हेतु क्रांतिकारक योजना भी अंबेडकर ने बनायी। किंतु इसयोजना ने जनता में जागृति उत्पन्न करने पर भी यह आंदोलन उस समय अधिक प्रसिद्ध न हो सका। ऐसी समस्याओं का कानूनी तौर पर समाधान पाना ही सही माना।

जवाहर लाल नेहरू

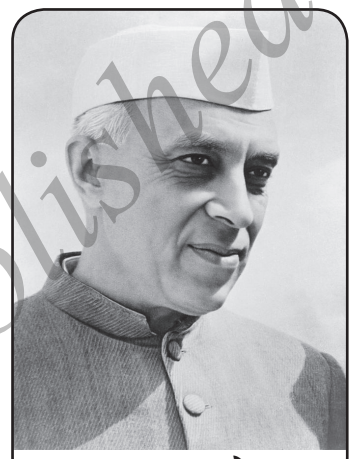

जवाहर लाल नेहरू

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमरूल आंदोलन के साथ स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया। सन् 1920 में हुए असहयोग अंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेहरू ने सन् 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की गई। गाँधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण नेहरू ने निराशा व्यक्त की।

नेहरु की विचारधारा ने राजनैतिक गतिविधियों को नवीन मोड दिया। ये कम्यूनिस्ट सिद्धान्त से प्रभावित थे। परिणामतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथी आशय बलवली हुए। इसके फलस्वरूप नेहरु और सुभाष चंद्र बोस ने सन् 1934 में समाजवादी पक्ष की स्थापना की।

नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49 वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साम्राज्यशाही युद्ध में दूर ही रहने का संदेश दिया। 'चरखा' और 'हरिजन' आंदोलन के अधिक परिणामकारी न होने की बहस की। इस अधिवेशन में गाँधीजी की विचारधारा से ये दूर हटते नजर आए। फिर भी गाँधीजी के प्रति इनका गौरव कम नहीं हुआ। विविध बौद्धिक धाराओं से प्रभावित नेहरू ने उनका समन्वय कर समष्टिज्ञान का प्रतिपादन किया। यह दृष्टि कोण हम उनके द्वारा प्रतिपादित विदेशांग नीति 'अलिप्तनीति' मिश्र आर्थिक व्यवस्था द्वारा हम स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। 50वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में नेहरु ने अपने समाजवादी और कम्यूनिस्ट विचारों के बारे में कोमल धारणाएँ बनायी। उन्हों कहा कांग्रेस आज भारत में पूर्ण प्रजाप्रभूत्व के लिए खडा है और प्रजा प्रभुत्व के लिए ही संघर्षरत रहेगा न कि समाजवाद के लिए।

औद्योगिकीकरण तथा नवभारत के शिल्पी के रूप में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में नेहरू को हम देखते हैं। 'लौहपुरुष' के नाम से प्रख्यात भारत के प्रथम गृहमंत्री

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत के अनेक देशी संस्थानों के विलीनीकरण के लिए नेहरू कारण रहे। तत्पश्चात भाषाई तौर पर प्रांतों की रचना द्वारा भारत की विविधता को दर्शाने वाला तात्विक आधार बनाया। पूँजी तथा समाजवादी तत्वों से युक्त नेहरु की मिश्र आर्थिक नीति आधुनिक भारत के विकास के लिए मील का पत्थर बनी। बृहत औद्योगिकीकरण से देश का विकास हो सकता है, इसे दृढता से कहा। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के विकास का स्वप्न देखा। विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा मूलभूत और वृहत् औद्योगिकीकरण को प्रारंभ किया। भारत को परमाणु अस्त्र होने चाहिए, के आशय से एच.जे.भाभा के नेतृत्व में भद्रा की नींव रखी गयी। विदेशांग नीति से संबंधित भारत में वर्णों की द्रवीकृत व्यवस्था से विमुक्त होकर अलिप्त नीति को प्रतिपादित किया। पंचशील तत्वों के आधार पर शक्ति राजनीति से दूर ही रही। ये शांति, सौहार्द्र, पारस्परिकता जैसे सूत्रों को अनुष्ठानित करने के प्रमुख कारण रहे। सन् 1964 में इनका निधन हुआ।

> ***क्रिया कलाप***
>
> पंडित जवाहर लाल नेहरू -द्वारा प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में निर्मित विदेशांग नीति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए।

मुहम्मद अली जिन्ना

मुहमाद अली जिन्ना सन् 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुडे और दादाभाई नौरोजी के विशेष कार्यदर्शी (सचिव) रूप में कार्य रत रहे। तिलक के विरुद्ध मुकदमों के संदर्भ में उनका पक्ष लेने के कारण, जिन्ना को काफी प्रशंसा मिली। इन्होंने होम रूल लीग में दाखिला लिया। सन् 1916 के अनेक सम्मेलनों में हिंदू और मुहमदीय के बीच एकता की आवश्यकता को इन्होंने समझाया। राजनीति मुसलमानों की ओर माने जाने के कारण अंग्रेजों के आंदोलन का जिन्ना ने विरोध किया। रोलेट एक्ट (अधिनियम) का विरोध कर इन्होंने अपने केंद्रीय शासन सलाहकारी समिति को त्यागपत्र दिया। गोलमेंल सम्मेंलन में जिन्ना ने एकमात्र स्वयं को राष्ट्रीयवादी मुसलमान घोषित किया। सन् 1939 में चुनाव के बाद कांग्रेस और मुस्लिमलीग सम्मिश्र सरकार बनाने में जब असफल रही तब जिन्ना ने अपनी कार्यनीति में परिवर्तन किया। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता पाना निकट आते ही जिन्ना ने पाकिस्तान की माँग को विविध रीति से तेज कर दिया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय देश विभाजन कर पाकिस्तान प्राप्त किया।

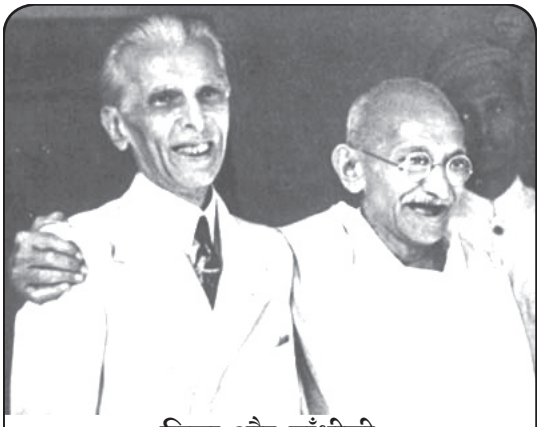

जिन्ना और गाँधीजी

© KTBS not to be republished

www.textbookpdf.in

भारत का विभाजन

स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखंड राष्ट्र की कल्पना लिए था। किंतु मुहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अलग राष्ट्र की माँग रखते ही रहे। सम् 1940 में हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने हिंदू और मुस्लिम का एक देश हो ही नहीं सकता कह कर घोषित किया। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर ब्रिर्टन में मजदूर पक्ष अधिकार में आया। इसने भारत के राजनैतिक संकट का समाधान करने का जिम्मा लिया। इसने केबिनेट नियोग को भारत में स्वयं अधिकार देने से संबंधित बातचीत करने का विचार भेजा। इस नियोग ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ चर्चा की। भारत को फेडरल स्वरूप का सरकार कहा। संविधान रचना सभा बुलानेके लिए तथामध्यांतर राष्ट्रीय सरकार की स्थापनाकी सिफारिश की। किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मद्यांतर सरकार बनाने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुआ। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र हेतु सन् 1946, 16 अगस्त को सीधे कार्याचरण दिन की घोषण कर दी गयी। इससे पूरे देश में कौमी दंगे होने लगे। डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एकत्रित संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदू और मुसलमानों में विभाजन की इच्छा अंग्रेज भी रखते थे। बंगाल विभाजन, 1909 के अधिनियम के अनुष्ठान के समय अंग्रेजों द्वारा अपने राजनैतिक हितों की रक्षा के प्रयास को भी हम देख सकते हैं। विभाजन की जडें देश विभाजन के रूप में परिवर्तित हो गयी।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बडे खराब हो गए। इस समय अंग्रेज सरकार ने शीघ्रता से अधिकार हस्तांतरण की बात की। सन् 1946 मार्च में लार्ड माउन्ट बेटेन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। बेटेन ने गाँधीजी, जिन्ना तथा अन्य नेताओं के साथ बातचीत करके भारत विभाजन को निरुपित किया। सन् 1947 जुलाई में भारत की स्वतंत्रता का मसला अधिनियम का रूप ले चुका था। अधिनियम के अनुसार सन् 1947, अगस्त 15 को भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट्रों का उदय हुआ। रेडक्लिफ आयोग ने इन देशों की सीमनिर्धारित की। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में प्रमाण वचन स्वीकार किया।

सन् 1948, 30 जनवरी को प्रार्थना सभा को जाते समय हिंदू-मुस्लिम भावैक्यता के प्रमुख गाँधीजी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। भौतिक रुप से गाँधीजी का अंत होने पर भी उनकी समानता की इच्छा, मानवीय संवेदनाएँ, भावेंक्यता का स्वप्न, मनुकुल का आदर्श बनी हुयी है।

©TBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. गाँधीजी का जन्म _____ में हुआ।
2. जलियाँवाला बाग हत्याकांड _____ अधिनियम के विरुद्ध था ।
3. अली भाइयों द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन _____ था।
4. मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र की माँगको _____ ने मंडित किया।
5. सन् 1929 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष _____ थे।
6. महद और कालाराम मंदिर आंदोलन की रचना करने वाले _____ थे।
7. भारतीय राष्ट्रीय सेना के झाँसी रेजिमेंट (पलटन) का नेतृत्व _____ ने किया।
8. नमक सत्याग्रह को गाँधीजी ने _____ स्थान पर कार्यगत किया।
9. भारत छोडो आंदोलन _____ में हुआ।

II. निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों की पूर्ति सही विकल्प द्वारा कीजिए :-

1. प्रथम गोलमेज परिषद् सम्मेलन _____ में हुआ।
   ए) 1930 बी) 1932 सि) 1931 डी) 1942
2. स्वराज पक्ष की स्थापना का वर्ष _____ है।
   ए) 1924 बी) 1922 सि) 1929 डी) 1906
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता _____ ने की थी।
   ए) सरदार वल्लभ भाई पटेल बी) डॉ.बी.आर. अंबेडकर
   सि) लाल लाजपत राय डी) सुभाष चंद्र बोस
4. भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले प्रसिदध व्यक्ति _____ थे।
   ए) भगत सिंह बी) चेंद्रशेखर आजाद
   सि) अबुल कलाम आजाद डी) सरदार वल्लभ भाई पटेल

III. निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. गाँधीजी के संघर्ष की उपलब्धि क्या थी?
2. असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों की सूची बनाइए।
3. बंगाल विभाजन को वापस लेने का कारण क्या था?
4. चौरी-चौरा घटना का विवरण दीजिए।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

5. नमक सत्याग्रह का वर्णन कीजिए।
6. भारत छोडो आंदोलन की विफलता का कारण क्या था?
7. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रुप से देखे जाने वाले गर्मदल के नेताओं के नाम लिखिए।
8. दूसरा (द्वितीय) गोलमेंज परिषद सम्मेंलन का परिणाम क्या था?
9. स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धि क्या थी?
10. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वर्ग के विद्रोह का वर्णन कीजिए।
11. नेहरू के प्रधान मंत्री बनने के बाद राष्ट्र को उनकी प्रमुख देन क्या थी? वर्णन कीजिए।

IV. कार्य कलाप :-

1. स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का चित्र संग्रह कर अलबम तैयार कीजिए।
2. अंतर्जाल की सहायता से जलियाँवाला बाग, दांडी (डांडी) सत्याग्रह से संबंधित चित्रों को सूचना (जानकारी) सहित संग्रह कीजिए।
3. गाँधीजी के सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में व्याख्यान का आयोजन कीजिए।
4. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का अभिप्राय निबंध रूप में लिखिए।

V. परियोजना :-

1. स्वतंत्रता संग्राम के पूरक नाटक वाद विवाद आदि का आयोजन कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 9
स्वातंत्र्योत्तर भारत

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी ।

- भारत विभाजन के परिणाम
- राज्यों का पुनर्विभाजन
- संस्थानों का विलीनीकरण
- निराश्रितों की समस्या
- सरकार रचना की समस्या

15 आगस्त सन् 1947 को भारत को खुशी के साथ-साथ संकट का भी सामना करना था। स्वतंत्रता असंख्य शहीदों के त्याग और बलिदान का परिणाम थी। देश विभाजन का नया प्रश्न उठ खडा हुआ। इस प्रश्न का नई सरकार से किस प्रकार सामना किया इसे जानने के साथ-साथ उसके परिणाम को जानना होगा।

सर्वप्रथम, देशविभाजन से नई समस्याओं का जन्म हुआ। सारा देश मतीय झगडों में फँसा हुआ था। दो नये राष्ट्रों से मिलियन (अरबों) लोग अपने नए जीवन की आशा से अपने राष्ट्र का चयन करने लगे। भारत आए निराश्रितों की भोजन और उनकी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही एक बडी समस्या हो गयी। पाकिस्तान जाने वालों से अधिक भारत आए लोगों की संख्या गणनीय थी।

दूसरा, देशी संस्थानों का विलीनीकरण बडी समस्या थी। लगभग 562 देशी संस्थानों में कई संस्थान आरंभिक झिझक के कारण अनिवार्य रूप से भारत में एकीकृत हुए। किंतु उत्तर में कश्मीर जूनागढ तथा दक्षिण में हैदराबाद संस्थान सरलता से विलीन प्रक्रिया में नहीं जुडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे सवाल के रूप में स्वीकार कर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय भावैक्यता बनाने के लिए नयी प्रक्रिया प्रारंभ हुयी।

तीसरा, विभाजन से भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कृषि, उद्योग और वाणिज्य क्षेत्रों का पुनर्परिशीलन कर उन्हें स्थिरता प्रदान करना था। इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों को नवीन नीतियों को जारी करने के द्वारा विश्वास दिलाया गया। क्योंकि उपनिवेश शाही शक्ति लगभग ढाई शताब्दी तक भारत के संसाधनों का शोषण करती रही। दादाभाई नौरोजी ने अपने "निस्पंदन सिद्दांत" में इन विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। चौथा, भारत का अपने संविधान को नवीन रूप देना एक समस्या थी। राजनैतिक और प्रशासनिक रूप से कानून के तहत भारत की स्थिरता के साथ साथ एक प्रजासत्वात्मक गणराज्य का उदय भी होना था।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

डॉ.बी.आर अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्मित संविधान प्रारुप सामिति ने भारत का विशिष्ट संविधान तैयार किया। इसके द्वारा कार्यांग, शासकांग और-न्यायांग संस्थाएँ बलबती हुयीं। पाँचवाँ, भारत को दीर्घ संघर्ष द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता को पडोसी शत्रुओं से बचाना था। इसी पृष्ठभूमि में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मेंबूत करने के लिए आवश्यक मार्ग ढूंढ़ने लगे। आज भारत की फौज शक्ति विश्व की किसी भी फौज शक्ति से कम नहीं है। इस शक्ति के आरंभिक कदमों पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए।

छठवाँ, भारत जाति और लिंग संबंधी स्वरूप की असमानता वाला समाज होने के कारण इनमें समानता के आशय से सबली करण के नवीन मार्ग खोजना अनिवार्य था। साथ ही नवीन धन संबंधी व्यवस्था, विदेशांग नीति का स्वरूप आदि महान स्वरूप के प्रश्नों का सामना करना था। इन सभी सवालों के लिए नवनिर्मित भारत ने विश्व के समक्ष सबसे बडे प्रजाप्रभुत्व को धीरे-धीरे खडा किया।

मतीय झगडे : विश्व के इतिहास में युद्ध में जान गँवाने से अधिक मतीय संघों में जान गँवाने की बात पता चलती हैं। आजभी धार्मिक पृष्ठभूमि में होने वाले संघर्ष सभी समाजों में निरंतर भय की सृष्टि करते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत देश का अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है।

भारत बहुधर्मी राष्ट्र है। भिन्न भिन्न काल सीमा में राजनैतिक कारणों से विदेशियों के आक्रमणों के कारण बहुधर्मी राष्ट्र के रुप में भारत का होना ऐतिहासिक अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है। ये भिन्नता, अंग्रेजी प्रशासन के काल में उनके द्वारा "फूट डाल कर शासन करने की नीति" से सार्वजनिक क्षेत्र में राजनैतिक आशय लेने लगी। मतीय संघर्ष का बीज अंत में मतीयवाद की सृष्टि कर गया। इसीप्रकार उत्पन्न संघर्षों में हिंदू-मुस्लिमों के संघर्ष ने अनेक दुर्घटनाओं को जन्म दिया। स्वतंत्रता के संघर्ष ने अनेक दुर्घटनाओं को जन्म दिया। स्वतंत्रता के संघर्ष काल में "हिंदू" और "मुस्लिम" नामक अलग अस्मिताएँ प्रकाश में आने लगीं। परिणामत: सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, विशेषकर उत्तर भारत पहले कभी न देखे गए झगडों का सामना करना पडा। लाखों लोग हिंदू और मुस्लिम कौमवादी अग्नि में जल कर राख हो गए। कुछ ही महीनों में पाँच लाख लोग हत्या के शिकार हो गए। और हजारों किले, जमीन-जायदाद आदि का नुकसान हुआ। भारत जब अपनी स्वतंत्रता को 15-08-1947 को दिल्ली में मना रहा था तब गाँधीजी ने नौकाली आदि स्थानों में झगडों वाले स्थानों पर जाकर सांत्वना देने का काम किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के लिए यह एक बहुत बडा प्रश्न था। नेहरू ने प्राथमिकता के तौर पर अपने सभी प्रशासनिक और राजनैतिक स्थितियों का उपयोग कर कुछ ही महीनों में कौमी झगडों (दंगों) को नियंत्रित किया। कौमी

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

दंगे के भयानक दृश्य ने नेहरू को जात्यातीत राज्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। भारत के जात्यातीत राष्ट्र के रूप में अपने संवैधानिक आशयों को अपनाने के लिए ये पृष्ठ भूमि कारण रही। अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के जन्म का विरोध खान अब्दुल गफारखान, मौलाना अबुल कलाम आदि ने किया किंतु इसे रोका न जा सका।

आज भी कौमी संघर्ष हो रहे हैं। कौमी संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। भारतीय संविधान में धर्म को प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला कहा है। धर्मनिरपेक्षता का आधार है, - देश का विकास होना है और आगे बढना है। यही भारतीय संविधान का आशय है। इस आशय को समझकर हर भारतीय को जीवन बिताना है।

निराश्रितों की समस्या

देश विभाजन के समय निराश्रितों की समस्या बडी समस्या के रूप में सामने आयी। सन् 1947 में स्वतंत्रता पाने के समय अनेक मिलियन लोग भारत और पाकिस्तान के बीच अपने भावी जीवन का आधार ढूँढने का प्रयास कर रहे थे। अपने अपने जन्म स्थान, गाँव, शहर सब छोडकर कई लोगों ने अपने धर्म के बहुसंख्यक जनों के देश की ओर मुख किया। भारत में आए निराश्रितों की संख्या 6 लाख मिलियन थी। निराश्रितों की समस्या ही स्वात्रंयोत्तर भारत के इतिहास में गंभीर समस्या के रूप में बढ़ती ही गयी। पश्चिमी पाकिस्तान से आए निराश्रितों की समस्या लगभग 1951 तक सुलझ गई।

किंतु पूर्व पाकिस्तान से (वर्तमान बांग्लादेश) आनेवाले निराश्रितों की संख्या कई वर्षों तक बढती ही रही। बंगाल प्रांत से जुडे पूर्व पाकिस्तान को स्वतंत्रता के बाद कौमी दंगों से जूझना पडा। परिणामस्वरूप सन् 1971 तक भी निराश्रित स्थानांतरित होकर आते रहे। भारत से मदद प्राप्त कर 1971 के बांग्ला विमोचन युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख निराश्रित भारत आए। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल, असम, मेंघालय और त्रिपुरा राज्य सरकार ने इन निराश्रितों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराके उन्हे भारत में अपना भविष्य का जीवन सुधारने में सहायता की। बंगाल से आए अनेक निराश्रित बंगाली भाषा से मात्र परिचित होने के कारण बंगाल में ही रहने का प्रयास करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल के प्रदेश अधिक जनसंख्या के दबाव में आगए। भारत सन् 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक के पूर्वार्ध में स्वयं ही बडे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अकाल से हमारी आर्थिक स्थिति कष्टकर होने पर भी निराश्रितों की समस्या को मानवीय स्तर पर देख समाधान किया गया। निराश्रितों की बृहत् संख्या और समस्याएँ भारत की आर्थिक व्यवस्था पर नैतिकरूप से परिणाम डाल रही थीं, फिर भी भारत ने मानवीयता न छोडी।

नेहरू के काल से ही तिब्बत से अनेक निराश्रित लोग भारत आये हैं। अनुमानतः लगभग एक लाख बीस हजार तिब्बती निराश्रित भारत में है। सन् 1960 के दशक में तब

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

की मैसूरु सरकार ने मैसूरु जिले के बैलकुप्पे स्थान में तिब्बती निराश्रितों के लिए लगभग 3000 एकड जमीन मंजूर की थी। आज यह शहर स्थानातरित हुए तिब्बतियों के प्रमुख केंद्र रूप में विकसित है। इतनी सारी समस्याओं के बीच भी इनके आने से भाषा और प्रदेशों से ऊपर संस्कृतिक विविधता और भी विस्तृत रूप में बढी।

स्वतंत्रता के बाद नई सरकार की रचना

15 आगस्ट 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन सरकार की रचना हुयी और माउन्ट बेटेन भारत का गवर्नर जनरल बना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने सरकार की रचना की। सन् 1950 जनवरी 26 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान के लागू होने के बाद डॉ.बाबू राजेंद्र प्रासद भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष हुए। संविधान ने भारत को सार्वभौमिक, प्रजासत्तात्मक, गणराज्य घोषित किया। आगे चलकर संविधान के 42 वे अनुच्छेद के परिष्करण में "जात्यातीत" और "समाजवादी" नामकादो अंश सन् 1976 में जोडे गए। भारतीय सरकार ने स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया। भारत ने संसदीय प्रजाप्रभुत्व को अपनाया।

आपको ज्ञात रहे :

संसदीय प्रजाप्रभुत्व : *विश्व के कई संविधानों तथा अनुभवों का अध्ययन कर संविधान की रचनासमिति ने जनता द्वारा चुनी गयी संसद से युक्त संसद के श्रेष्ठ और अंतिम (निश्चित) होने के लिए अभिप्राय लेकर संसदीय प्रजाप्रभुत्व को लागू किया गया। अध्यक्षीय नमूने की अवहेलना की।*

देशीय संस्थानों का विलीनीकरण

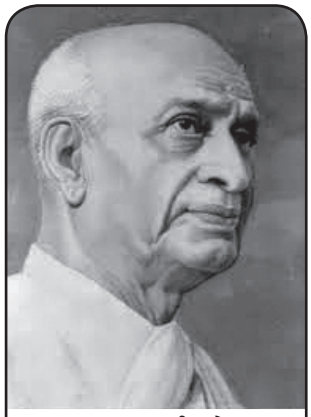

वल्लभ भाई पटेल

अंग्रेज जब भारत छोड कर जा रहे थे तब देश में 562 संस्थान थे। अंग्रेजों ने देश का विभाजन करने के साथ-साथ इन संस्थानों के समक्ष तीन अवसर रखे। एक, भारत एकीकरण में जुडना, दूसरा पाकिस्तान में जुडना, तीसरा किसी भी देश से जुडकर स्वतंत्र रूप से रहना। इसी पृष्ठभूमि में सन् 1947 में विलीन नियम के अनुसार भारत सरकार ने सभी देशीय संस्थानों को भारत एकीकरण में जुडने को आह्वानित किया। इस प्रकार विलीन होने वाले को राज्य की आय के आधार पर राजधन निश्चित किया गया। साथ ही कुछ सुविधाएँ तथा पद भी इन्हें दिए गए। आगे सन् 1971 में इस राजधन तथा इनके पदों को सरकार ने रद्द कर दिया। संस्थानों के विलीनीकरण की प्रक्रिया में जूनागढ, हैदराबाद और जम्मूकश्मीर, ये तीनों संस्थान तीव्र विरोध प्रकट कर रहे थे। "लौह पुरुष" के नाम से प्रख्यात

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

भारत के प्रथम गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत के देशीय संस्थानों का विलीनीकरण कार्यभार भलीभाँति पूर्ण हुआ।

जूनागढ : इसके नवाब ने अपने संस्थान को पाकिस्तान में जोडने की इच्छा से विलीनीकरण कानून (104) पर हस्ताक्षर किया।तब प्रजा इसके विरुद्ध सडक पर आगई। इसका सामना न कर पाने के कारण नवाब राज्य छोड कर पलायन कर गया। वहाँ के दिवान द्वारा भारत सरकार से माँग के आधार पर सेना भेज कर शांति स्थापना की गई। सन् 1949 में जूनागढ भारत एकीकरण में जुड गया।

हैदराबाद : यह संस्थान निजाम के अधीन था। इसके स्वतंत्र रहने के उद्देश्य के कारण इससे भारत में जुडने से मना कर दिया। इसी संदर्भ में कम्यूनिस्टों (साम्यवादी) के नेतृत्व में तेलंगाना के किसानों का सशस्त्र विरोध निजाम और जमीनदारी के विरुद्ध चल रहा था। निजाम की क्रूर सेना दल रजाक के बारे में जनता में व्यापक प्रतिरोध था। तब भारत सरकार ने सेना भेजकर निजाम को हराया और हैदराबाद संस्थान को सन् 1948 में भारत में विलीन कर लिया। सरदार पटेल के दृढ निश्चय से इस असमंजस की स्थिति से मुक्ति मिली।

जम्मू कश्मीर : जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भी स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। जम्मू कश्मीर भारत में न मिल जाए इस भय से इन्होंने पाकिस्तान-कश्मीर घाटी के मुसलमान आदिवासी जनों को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तानी सेना की सहायता से पठान आदिवासी लोगों ने भारत के प्रदेशों में घुसने का प्रयास कर काफी प्रदेशों पर आक्रमण भी किया। भारतीय हरिसिंह की भारत एकीकरण की सम्मति न होने के कारण वहाँ भारतीय सेना प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस समय की गंभीरता को समझ राजा हरिसिंह ने सन् 1947 अक्तूबर में भारत में कश्मीर के विलीनी करण पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सहायक सेना को पीछे भगाया। इसी समय इस विषय को विश्व संस्था तक ले जाया गया। शिकायत दर्ज की गयी। विश्व संस्था ने युद्ध विराम का आदेश सन् 1949, 1 जनवरी को दिया। पाकिस्तान द्वारा आक्रमित कश्मीरी वायव्य (उत्तर-पश्चिमी) प्रदेश "पाक आक्रमित प्रदेश" कह कर आज भी पुकारा जाता है। शेषसभी संस्थानों के विलीन से कश्मीर का विलीन होना विशिष्ट रहा।

पांडिचेरी : स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसियों ने उपनिवेश पांडिचेरी, कारैकल, माहे और चंद्रनगर पर अपनी पकड बनाए रखी। इन स्थानों को भारत में मिलाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी और अन्य संघटनों के नेतृत्व में संघर्ष के फलस्वरूप सन् 1954 में ये प्रदेश भारत में मिल गए। सन् 1963 में पंडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश हुआ।

गोवा : पुर्तगलियों के उपनिवेश रूप में शेष रहे गोवा को भारत में मिलाने के निरंतर आंदोलन होते रहे। गोवा को मुक्त कराने के लिए आदेश देने पर भी पुर्तगाली झुके नहीं, उन्होंने अफ्रीका, तथा यूरोप से सेना मँगा कर आंदोलन का दमन किया और अपना अधिकार

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

मेंबूत करने का प्रयास किया। सन् 1955 में भारत के विविध भागों से सत्याग्रही आए और गोवा से उपनिवेश शाही को भगाकर उसे विमोचन दिलाने का संघर्ष प्रारंभ किया। सन् 1961 में भारत की सेना ने मध्य में प्रवेश कर गोवा को वश में कर लिया। सन् 1957 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा । तत्पश्चात् राज्य बना।

भाषाई तौर पर राज्यों की रचना

स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रारंभ हुआ यह संघर्ष भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी जारी रहा। यह प्रमुख प्रजासत्तात्मक आंदोलन था। जनता को उत्तम प्रशासन देने के लिए भाषा को आधार बनाकर भौगोलिक सीगाएँ बनाने का दबाव प्रबल हुआ। अंग्रेज और देशीय संस्थान दोनों में जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा में प्रशासन नहीं चल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पूरे देश में भाषाई तौर पर राज्यों की रचना की पुकार तीव्र हुई। विशाल आंध्रराज्य की रचना के लिए आंध्रमहासभा के नेतृत्व में सन् 1952 में पोट्टि श्रीरामुलू ने 58 दिनों का उपवास रख सत्याग्रह किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात् यह माँग और तीक्ष्ण रूप ले चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप प्रथम भाषाई राज्य के रूप में सन् 1953 में आंध्रप्रदेश की रचना हुई। सन् 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्विभाजन आयोग की रचना की। इसमें फजल अली अध्यक्ष रहे और के. एम. पणिक्कर और एच.एन.कुंज्रू सदस्य थे। इस आयोग की रपट के अनुसार सन् 1956 में राज्य पुनर्विभाजन कानून जारी हुआ। इन कानून के अनुसार तब देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की रचना हुयी।

कन्नड बोलने वाले प्रदेश कुछ संस्थानों की ओर चले गए थे। इन सभी के एकता करने की माँग के लिए अखिल कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ। अंत में सन् 1956, 1 नवंबर को विशाल "मैसूर राज्य" अस्तित्व में आया। आगे चलकर सन् 1973 में "कर्नाटक" के नाम से पुनः नामकरण हुआ। आज भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश तथा दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। (National Capital Territory Of Delhi)

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल _____ थे।
2. भारत के प्रथम गृहमंत्री _____ थे।
3. भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष _____ थे।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

4. पांडिचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में _____ में जुडा।

5. राज्य पुनर्विभाजन कानून सन् _____ में लागू हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किन किन समस्याओं का सायना करना पडा?
2. निराश्रितों की समस्या का सामना देश ने किस प्रकार किया?
3. पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किस प्रकार मुक्त कराया गया?
4. पुर्तगालियों से गोवा को कैसे मुक्त कराया गया?
5. भाषाई तौर पर प्रांतों के विभाजन का क्रम क्या था?

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत का नक्शा बनाकर राज्यों को नामांकित कीजिए।

IV. परियोजना :-

1. भारत के प्रत्येक राज्य की मातृभाषा, उसकी राजधानी को पहचानिए।
2. अपने पडोसी राज्यों की सांस्कृतिक विशेषता के बारे में शिक्षक की सहायता से और अंतर्जाल की सहायता से रिपोर्ट तैयार कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 10
20वीं शताब्दी के राजनैतिक आयाम

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी ।

- प्रथम महायुद्ध
- सर्वाधिकारियों का उदय
- चीन की क्रांति
- अमेरिका का उदय
- रुस की क्रांति
- द्वितीय महायुद्ध
- शीत युद्ध

प्रथम महायुद्ध

सन् 1914 से पूर्ण यूरोप के प्रबल राष्ट्र ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आस्ट्रों-हंगेरियन साम्राज्य तथा रुसी उपनिवेशों पर अधिकार जमाने के लिए निरंतर संघर्ष होते रहे। औद्योगिक क्रांति और नवीन आविष्कार यूरोपीय देशों में तेजी से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे थे। भारत सहित विश्व के कई देशों के बाजार और वहाँ के संसाधनों को कब्जे में करने की दुराशा से ये यूरोपीय देश उपनिवेशी सेंध लगाने लगे। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संकीर्ण समझौति भौगोलिक सीमा संबंधी समस्याओं को ज्वलंत बनाने लगे। ये यूरोप के बलशाली देशों के बीच शक्ति संतुलन को डाँवाडोल कर रहा था।

इससे प्रत्येक बलशाली राष्ट्र ने भारी मात्रा में सैन्यीकरण किया। अनेक मैत्री संबंधों का आयोजन हुआ। अत्यधिक राष्ट्रीयता यहाँ-वहाँ विकसित हुयी। साम्राज्यवाद की नीति बलवती हुयी। प्रथम महायुद्ध ने इन देशों को दो विरोधी दलों में विभक्त कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और रुस के युद्ध मैत्री त्रय कहलाए तो जर्मनी, आस्ट्रिया हंगेरी और इटली युद्ध के सौहाद्रोत्रय कहलाए। थोडे समय में ही इटली विरोधी दल में शामिल गया। युद्ध के तीव्र होते होते सभी दलों में परिवर्तन हो गया।

प्रथम महायुद्ध सन् 1914 से सन् 1918 तक चला। युद्ध के प्रारंभिक कारण थे - 28 जुलाई को आस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड़यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गयी। पूरी घटना से आस्ट्रिया और सर्लिया देशों के बीच तुरंत मनमुटाव पैदा हो गया। युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ रहा। रुस जर्मनी के विरुद्ध हो गया। युद्ध के अंतिम चरम में परिस्थिति बदल गयी। अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया। सन् 1917 नवंबर में रूस में समाजवादी क्रांति हुयी, जिससे जर्मनी के साथ युद्ध संबंधी समझौता कर युद्ध से रुस पीछे हट गया। मैत्रीत्रयों के आक्रमण से जर्जर जर्मनी युद्ध जारी न कर पाने की स्थिति में हार मान गया।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

मैत्रीत्रय ने सन् 1919 में विशेषकर जर्मनी के अत्यंत अपमानजनक वर्सेल्स समझौते पर हस्ताक्षर किए। आस्ट्रों-हंगेरी और आटोमन साम्राज्यों ने अपना अस्तित्व खो दिया। जर्मनी ने अपने काफी प्रदेश खो दिए। यूरोप का नक्शा ही बदल गया। कई छोटे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आगामी संभवनीय युद्धों को रोकने की दृष्टि से राष्टसंघ (लीग आॉफ नेशन्स) की रचना सन् 1919 में हुयी। पराजित राष्ट्रों में बढती अपमानजनक भावनाएँ उग्र राष्ट्रीकता का कारण बनी; जर्मनी पर लादेगए युद्ध के नुकसान की भरपाई और अन्य निर्जन से बहाँ की जनता पर परिणाम (प्रभाव) पडा। बेरोजगारी, गरीबी, विकास कापतन आदि से उत्पन्न निराशा जर्मन उद्योगपति अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हिटलर जैसे सर्वाधिकारी के विकास में यह सहायक रहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले व्यपारी अपारमात्रा में लाभ कमाने लगे।

आपको ज्ञात रहे : *प्रथम महायुद्ध मे दोनों दलों के नागरिक तथा सैनिकों सहित लगभग 1,00,00,000 लोगों ने अपनी जानें गँवायी। 2,00,00,000 (करोड) लोग घायल हुए तथा 35,00,000 लोग शाश्वत रूप से विकलांग हो गए। किसी भी युद्ध प्रकार में प्रथम महायुद्ध भी कुछ लोगों के लाभ के लिए होड में हुआ था। किंतु अपार जान माल की हानि हुयी।*

रुस की क्रांति

रुस विश्व के शेष सभी प्रदेशों से विस्तृत विशाल देश है। 19 वीं शताब्दी में रुस पर झार राजाओं का शासन था। वे अपने से निम्न कुलीन, जमीनदार, किसान और गरीब वर्ग का शोषण करते रहे। छोटे स्तर पर विकसित हो रहे पूँजीपति वर्ग मजदूरों और अन्य का शोषण कर रहे थे। झार चक्रवर्तियों के प्रशासन से लोग काफी तंग आ गए थे। झार शाही को राष्ट्रीयता का कारागृह कहा गया। सन् 1905 में जापान जैसे छोटे देश द्वारा रुस को पराजित करने पर देश में झार राजाओं के विरुद्ध प्रतिरोध व्यक्तहुआ। जिससे अनेक दंगे हुए। मजदूर सार्वत्रिक हडताल करने लगे। कारखानों के मजदूर और गाँवों के किसान शस्त्र लेकर लडने लगे। इसे झार की सेना ने बडी निर्दयता से कुचल डाला। इस अनुभव से आगे वाल्डीमीर इलिच लेनिन ने किसान और मजदूरों को क्रांतिकारी मार्गदर्शन दिया। इससे श्रम करने वाले लोग संघर्ष में बडी मात्रा में भाग लेने लगे। इसी संदर्भ में लेनिन देश भ्रष्ट कहा गया। हडतालों की भरमार से रूस का अंतिम शासक निकोलस द्वितीय देश छोडकर पलायन करगया। किया। इसे ही सन् 1917 की 'फरवरी की क्रांति' कहा जाता है। उदारवादी मेन्सविकों ने अधिकार ग्रहण किया इन्होंने रुस को प्रजाप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

इस समय देशभ्रष्ट लेनिन ने रूस वापस आकार रुस की जनता को सरलता पूर्ण शांति, भोजन तथा भूमि (जमीन) नामक जानता के पक्ष में घोषणा (नारा) दिया। इसमें मजदूर और ग्रामीण गरीब लोगों ने काफी मात्रा में मदद और समर्थन दिया। श्रमकरने वालों के पक्ष का नेतृत्व बोल्यविक ने सन् 1917 अक्तूबर में कर क्रांति प्रारंभ की। लेनिन ने क्रांति दल में मिल कर नवंबर 7 को रूस को समाजवादी गणराज्य घोषित किया। इसे रुस की ''अक्तूबर की क्रांति'' कहते हैं। लेनिन रूस की सरकार का सहायक बना। लेनिन के अध्यक्ष होते ही सारी जमीन किसानों के हक में घोषित हो गयी। सभी व्यामीयों को निःशुल्क शिक्षा खेल, स्वास्थ्य, आवास देने जैसी आर्थिक और राजनैतिक नीतियों को लागू किया गया। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी चिंतन को प्रायोगिक रूप से प्रथम बार लेनिन ने ही लागू किया। यह मानव कुल के इतिहास में जानी जानें वाली सामाजिक पद्धति थी। सन् 1924 में लेनिन, इसे विकसित करते हुए मुत्यु को प्राप्त हो गया।

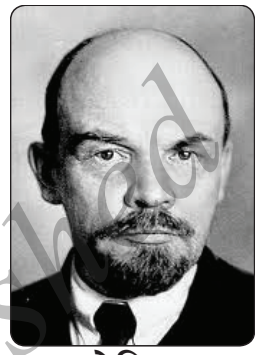

लेनिन

तत्पश्चात् रूस के अध्यक्ष जोसेप्प स्टालिन ने रुस को अमेरिका के समान निर्यित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा लागू पंचवर्षीय योजनाहाँ। से रुस के विकास का मार्ग ही बदल गया। रुस ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का प्रथम मानव सहित उपग्रह भेजा। यूरीगगारिन विश्व का प्रथम गगनयात्री था। भारत ने स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना का नमूना रूस से ही पाया। द्वितीय महायुद्ध के बाद रुस ने समाजवादी देशों के दल का नेतृत्व किया। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को मुक्ति हेतु संघर्ष में अपना समर्थन दिया। रुस को बलशाली देश बनाने की प्रक्रिया में स्टालिन ने कई गलतियाँ कीं। सामाजवादी प्रजाप्रभुत्व को मजबूत बनाने का कार्य सन् 1985में ग्लासनोत्स और सन् 1987 में पेरेस्त्रोथिक के नाम से सुधार कर उन दिनों के सोवियत यूनियन अध्यक्ष गोर्बाचेव द्वारा लागू होने के बाद रुस में समाजवादी व्यवस्था ढीली पड़ गयी और सोवियत यूनियन विघटित हुए।

आपको ज्ञात रहे :

पेरेस्त्रोयिक और ग्लासनोत्स : *सोवियत साम्यवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत समग्र सुधार, देश का विकास और प्रजाप्रभुत्व की आलोचना जैसा प्रस्ताव गोर्वाचेव ने जनता के सामने लाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया वे शब्द ही पेरेस्त्रोयिक और ग्लासनोत्स थे।*

पेरेस्त्रोंयिक का अर्थ है - पुनर्रचना। ग्लासनोत्स का अर्थ है - मुक्तता।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सर्वाधिकारीगण

हिटलर : प्रथम महायुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थिति से जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी के सर्वाधिकार के अस्तित्व का उदय हुआ। हिटलर जर्मनी का चांसलर (कुलपति) बना तत्पश्चात् अध्यक्ष हिंडेनवर्ग के मरणोपरांत सर्वाधिकारी बन गया। हिटलर फ्यूहरर बना। हिटलर के प्रबलता प्राप्त करने तक जर्मनी में साम्यवादी और समाजवादी लोग बलशाली हो चुके थे। इस पृष्ठभूमि में जर्मन उद्योगपतियों की पूरी सहायता प्राप्तकर हिटलर ने इनका दमन किया। मजदूर संघों को रद्द कर दिया। राजनैतिक दलों का निषेध किया। नाजीदल को एकमात्र राजनैतिक पक्ष घोषित किया।

हिटलर

यहूदी लोगों द्वारा विश्व पर नियंत्रण न हो जाए इस भय और ऊहापोह के विचारों को लोगों में पनपा कर उन्हें भयभीत कर दिया। विश्व में जर्मन आर्यजाति के लोग ही श्रेष्ठ हैं, इस भावना को आगे रख प्रबलरूप से हावी रहा। इन सब कार्यों के लिए हिटलर ने नाजीवाद का अनुसरण किया। इसका सारांश है विश्व मे श्रेष्ठ जाति से तात्पर्य आर्य जर्मन जाति ही है। विश्व में शासन करने के लिए केवल जर्मन ही श्रेष्ठ है। शेष जाति के लोग केवल उन्से शासित होने के योग्य हैं। जर्मनों की सभी समस्याओं का कारण यहदी थे। इनके साथ साम्यवादी (कम्यूनिस्ट), कैथोलिक लोग, समाजवादी भी कारण रहे। ये जीने के भी योग्य नहीं, ऐसी धारण वाला उग्र राष्ट्रीय वाद बडे अमानवीयरूप में लागू हो गया। उससे जाति संबंधी द्वेष का प्रसार करने के लिए ''गोबेल्स'' नामक विशेष मंत्री को नियुक्त किया। दंगे फसाद करा के लोगों में भय पैदाकरने के लिए ''भूरी कुर्ती'' नामक क्रूर दल का प्रारंभ किया।

इस दिशा में हिटलर सामूहिक हत्या और नरबलि कराकर इतिहास में अत्यंत कुख्यात हो गया। एक अनुमान से कहा जा सकता है कि इसने 6 मिलियन यहुदी, करोडों से अधिक अन्य लोगों की हत्या करवाई। इस के सामूहिक हात्याकांड को होलोकास्ट (सर्वनाश) कहते है। सन् 1935 में न्यूरेंबर्ग कानून को हिटलर ने लागू किया। खाना-पानी बिना कुछ दिए उन्हें गुलामों की तरह मजदूरी करवाने वाले ''कासंट्रेशन कैंप्स'', से रोशनी हवा रहित चेंबर में लोगों को धकेलकर विषयुक्त हवा छोडकर उन्हे जान से मारा जाता था। इतना ही नहीं इसने सामूहिक रूप से गोली चलाकर हत्या की अन्य ऐसी ही कई नरबलियाँ दीं। इस प्रकार इसने बच्चों, महिलाएँ, बूढे सभी को सामूहिक रुप से मारने के लिए विशेष दल की रचना

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

की थी। इसने सम्पूर्ण प्रभुत्व यंत्र करे नरबलि के लिए उपयोग किया। पूरे विश्वपर विजय प्राप्त करने और जर्मन आर्यों की श्रेष्ठता लागू करने की महत्वाकांक्षा ही द्वितीय महायुद्ध के प्रमुख कारणों में एक थी। 'हिट्लर जातीय द्वेष' का अध्याय युद्ध में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया।

मुसोलिनी : 20वीं शती के आरंभ में यूरोप में हुए सामाजिक आन्दोलन, प्रथम महायुद्ध के दुपरिणाम और रूस की प्रगति की पृष्ठभूमि में विरोधी राजनैतिक दल के रूप में मुसोलिनी का फासिस्ट वाद प्रकाश में आया। उग्र राष्ट्रीयवाद, परकीय शाक्तियों का नाश, हिंसा का तांडव, जातीय श्रेष्ठता, साम्राज्यवाद विस्तार, नरबलि को समर्थन, ये सब फासिस्ट वाद की विशेषता रही हैं।

सन् 1922 से 1943 तक इटली का प्रमुख मुसोलिनी ''राष्ट्रीय फासिस्ट पक्ष'' का संश्थापक था। इसने सन् 1925 में इटली में प्रजाप्रभुत्व को समाप्त कर कानूनी तौर से सर्वाधिकार प्राप्त किया। अपने गुप्त पुलिस की सहायता से सभी राजनैतिक विरोधों का नाश किया। मजदूरों की हड़ताल का निषेध किया। एक पक्षीय सर्वाधिकार की स्थापना की। हिटलर के साथ मिलकर द्वितीय महायुद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बना। सन् 1945 में इसकी हत्या कर दी गई।

द्वितीय महायुद्ध

प्रथम महायुद्ध के नुकसान, जान-माल की हानि को भूलने से पूर्व ही द्वितीय महायुद्ध सन् 1939 के 1 सितंबर को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर प्रारंभ कर दिया। द्वितीय महायुद्ध संभवतः मानवीय इतिहास में होने वाले युद्ध में अत्यंत बडा और युद्ध था। 30 से भी अधिक देशो ने इस युद्ध में सीधे-सीधे भाग लिया। यह सन् 1939 से सन् 1945 तक चला। समृद्ध देश प्रथम महायुद्ध में धन व्यय कर चुके थे परिणामतः सन् 1930 के दशक में महान आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुयी। इससे यूरोप और अमेरिका में संकट की स्थिति पैदा हो गई। लोगों का जीवन स्तर तीव्रता से गिर गया। उद्योग तथा कृषि विकास स्थिर हो गया। बेरोजगारी अत्यधिक बढ गई। प्रथम महायुद्ध की हार, अपमान जनक समझौते, अपार हानि की पृष्ठभूमि में जर्मनी और यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीयवाद की उग्रता तीव्र हो गयी। जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में बृहत उद्योगपतियों ने उग्र राष्ट्रीयता के विकास के लिए बडी मात्रा में धन दिए। उसका उपयोग कर बदला लेने और घमंड से आंदोलनों को शुरु किया गया। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसै सर्वाधिकारी उत्पन्न हुए। पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चीन पर जापान ने आक्रमण किया।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

द्वितीय महायुद्ध में दो विरोधी शत्रुदल (Axis) और मित्रदल (Allies) की रचना हुयी। एक्सिस दल में जर्मनी, इटली और जापान देश तथा एलीस दल में ब्रिटेन, फ्रांस, रुस आदि देश रहे। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण करते ही ब्रिटेन ने पोलैंड का मित्र राष्ट्र होने के कारण जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। किंतु वास्तव में ब्रिटेन तुरंत पोलैंड की सहायता के लिए आगे न आया। वह जर्मनी के वश में हो गया। इसी संदर्भ में रुस में साम्यवाद व्यवस्था के होने से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देश हिटलर के रुस पर आक्रमण की इच्छा रखते थे। इसे जानकर रूस ने सन् 1939, 24 अगस्त को जर्मनी के साथ युद्ध रहित समझौता कर लिया। इस प्रकार हिटलर ने पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर आक्रमण किया। इटली के साथ समझौता कर हिटलर ने डेनमार्क नार्वे, हॉलैंड, देशों सहित कई पश्चिमी यूरोपीय देशों को अपने वश में कर लिया। सन् 1941 में सोवियत रूस की ओर हिटलर की नजर गई। इससे रूस को युद्ध मे भाग लेना ही पडा। इसी समय जापान हिटलर की ओर मिल गया। पेसिफिक (प्रशांत) महासागर पश्चिमी भाग में अमेरिका और यूरोपीय प्रदेश पर आक्रमण कर कई प्रदेशों पर जापान ने अधिकार कर लिया।

इटली और जर्मनी ने उत्तरी अफ्रीका के अंग्रेजी उपनिवेश और स्वेजनहर को अपने वश में करने का प्रयास किया और हार गये। सन् 1942 स्टालिनग्राड युद्ध में जर्मन दलों को रुस ने हरा दिया। जर्मनी को सन् 1943 में पूर्वी यूरोप में बार-बार हार का सासना करना पडा। इसमें रूस की प्रमुख भूमिका रही। मित्रदलों ने इटली पर कब्जा किया। जापान को हराकर पश्चिमी प्रशांत द्वीपों को अमेरिकाने वापस पा लिया में रुस के लाल कुर्ती सैनिकों ने महान बढत पायी और पश्चिमी राष्ट्रों के आक्रमण से जर्मनी शरण में आया और बर्लिन का पतन हुआ। सन् 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही यूरोप में युद्ध का अंत हुआ। सन् 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने विश्व का सर्वप्रथम अणुबम बरसाया। इससे लाखों लोग मर गए। इसके दुष्परिणाम जापान आज भी भुगत रहा है। सन् 1945, 15 अगस्त को जापान पूर्ण रूप से शरण में आ गया। साथ ही मित्र दल युद्ध में पूर्णरूप से विजयी हुआ।

मानव के इतिहास में अत्यधिक जान-माल की हानि वाला द्वितीय विश्व युद्ध था जो विश्व के राजनैतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव लाया। राष्ट्र संघ के स्थान पर विश्व संस्था की रचना हुयी। युद्ध में विजयी राष्ट्र अमेरिका संयुक्त संस्थान, सोवियत रुस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस देश विश्व संस्था के सुरक्षा मंडल के स्थायी सदस्य बन गए। सोवियत रूस और अमेरिका परस्पर विरोधी शक्तिशाली देश बने। शीत युद्ध का यह प्रारंभ था। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को स्वतंत्रता पाने के लिए अनुकूल वातावरण बना। ब्रिटेन,

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

फ्रांस आदि राष्ट्रों ने अपने वश में स्थित कई उपनिवेश खो दिए। भारत की स्वतंत्रता को इसी पृष्ठशूमि में देखा जा सकता है। अमेरिका ने अणु अस्त्रों का प्रयोग किया था अतः यह बृहत् देशों के मध्य अणुअस्त्रों की होड का मार्ग बन गया।

चीन की क्रांति

विश्व की प्राचीन सभ्यता ओं और लम्बे इतिहास वाले देशों में चीन भी एक है। स्वतंत्रता संग्राम के काल में भारत की तरह चीन पूर्णतः उपनिवेशी देश नहीं हुआ था। अर्ध उपनिवेशी देश था। किंतु थोडा हिस्सा स्वतंत्र था। साथ हीये फ्रांसीसि, जापानी आदि साम्राज्यशाही से भी प्रभावित थे। चीन सेनापतियों का देश भी रहा। अर्थात् देश में जमीनदारों और युद्ध करने वालों का नियंत्रण था। भारत के समान उद्योग भी विकसित नहीं हुआ था।

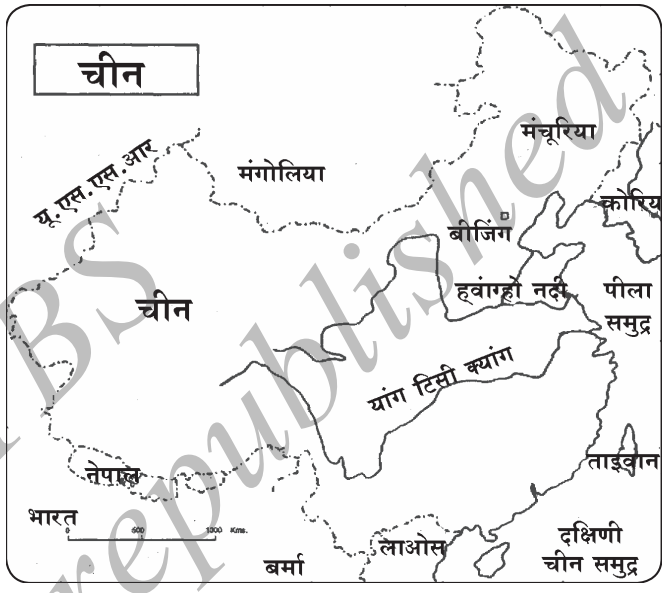

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय एकता, प्रजाप्रभुत्व, जीवन संबंधी समस्या आदि प्रमुख थे। सन् 1911 में क्यूमिंटांग पक्ष के नेता सन-यात-सेन के नेतृत्व में साम्राज्यशाही विरोधी प्रजाप्रभुत्व क्रांति हुयी। किंतु यह पूर्ण रुप से विकसित न हुआ। चीन में साम्यवादी दल सन् 1925 में प्रारंभ हुआ। गाँवो में किसान आंदोलन और नगरों में मजदूर आंदोलन प्रमुख हुए। एक्य (मित्र) चीन बनाने के उद्देश्य से सन-यात-सेन और साम्यवाद दलों ने मिल कर कार्य किया। यह 'सन-यात-सेन' की मृत्यु के बाद क्यूमिंटांग दल के नेता 'सियांग-कै-षेक' नामक दमनकारी नेतृत्व के हाथों हस्तातरित हो गया इसे साम्राज्य शाहियों के साथ मिलकर साम्यवाद के विरुद्ध उनकी जमीन पर आक्रमण किया। इसमें लगभग 70,000 क्रांतिकारी मारे गए। अपनी रक्षा के लिए माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन के उत्तरी भाग में ऐतिहासिक साम्यवादियों की दीर्घयात्रा (लाँग मार्च) प्रारंभ हुई। यह विश्व के फौजी कार्यव्यूह में अत्यंत विशिष्ट प्रयोग था। इसे ग्रामांतर किसानो द्वारा अभूतपूर्व समर्थन मिला।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आपको ज्ञात रहे :

दीर्घ यात्रा : *(**Long March**) : यह चीन के साम्यवादी क्रांतिकारियों पर ''चियांग-कै-षेक'' द्वारा किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए चीन की क्रांति के नेता ओं द्वारा संघटित ऐतिहासिक यात्रा थी। उत्तर पश्चिमी चीन के जियांग जी प्रदेश से दक्षिण पूर्वी चीन के येनान के छोर पर लगभग 10,000 कि.मी. दूर तक लगभग 80,000 हजार क्रांतिकारी सैनिकों को स्थानांतरित करने की घटना यह है। सन् 1934 अक्तूबर से सन् 1935 अक्टूबर तक हुए बृहत चारण के अंतिम चरण मे तगभग 10,000 लोग मात्र शेष रहे। मानव की सामाजिक क्रांति के इतिहास में इतनी संख्या में लोगों का इतनी दूर तक पैदल चलना एक और विशेष घटना है। ऐसी दूसरी घटना नहीं मिलती इस प्रकार ''इसे दीर्घ यात्रा'' कहा गया।*

द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में चीन के प्रदेशों पर जापान ने आक्रमण किया। इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए चीन का साम्यवादी दल आगे आया। सन् 1945 में जापान युद्ध हार गया। जापान के पीछे हटते ही उन सारे प्रदेशों को साम्यवादी दल की जनता विमोचन सेना ने वश में कर लिया। वशीभूत प्रदेशों में भू-सुधार की घोषणा कर दी। अर्थात् जनता को भूमि का बँटवारा किया। इस के अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुछ प्रदेश ''षियांग-कै-षेक'' के अधी थे तो अधिकतर प्रदेश साम्यावादी दल के अधीन होता गया। सन् 1949 में अनेक नगर भी इनके वश में आ गए। ''षियांग-कै-षेक'' हार कर ताइवान को पलायन-कर गया। सन् 1949, अक्तूबर को जनता विमोचन सेना ने प्रवेश किया। चीन में पीकिंग (वर्तमान बीजिंग) जनता गणतंत्र की स्थापना हुई। माओंत्से तुंग उसके अध्यक्ष बने।

क्रांति के पश्चाव चीन मे सामूहिक कृषि पद्धति लागू हुई। सभी को नि:शुल्क शिक्षा, साधना के लिए विज्ञान और तकनीकी को अत्यधिक महत्व दिया गया। ''आगे कूदने'' (Leap Forward) की योजना को लागू किया गया। निजी जायदाद (सम्पत्ति) को समाज की सम्पत्ति के रुप में परिवर्तित किया। इस प्रकार सन् 1966 में लागू की गई 'सांस्कृतिक क्रांति' में कई गलतियाँ हुयी। इसे सुधार ने के लिए सन् 1979 में अधिकार प्राप्त डेंग लियोषिंग ने कई सुधार प्रयास किए। इसी पृष्ठभूमि में पूँजीवाद वाले चीन का साम्यवादी दल नेतृत्व विश्व की बडी शक्ति के रूप में उभरा।

शीत युद्ध

द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व स्तर पर दो दलों के मध्य राजनैतिक, आर्थिक, फौजी, आदि विषयों से संबंधित उत्पन्न निरंतर भय, द्वेष, ईर्ष्या और आतंक की स्थिति ही शीत युद्ध है। अमेरिका संयुक्त संस्थान (USA) के पूँजी शाही देशों के दल और सोवियत रुस (USSR) के समाजवादी देशों के दलों के बीच अघोषित युद्ध ही शीत युद्ध है। मानवकुल

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

की समस्याओं का समाधान का मार्ग कौन सा है? पूंजी शाही या समाज वाद? इसी आधार पर तीव्ररूप से विकसित भिन्नताके सन् 1917 से अस्तित्व में होने पर भी तीव्ररूप से यह द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रकट हुआ जो सोवियत रुस की समाजवादी व्यवस्था के सन् 1989 में क्षीण होने तक प्रबल रहा। इन दोनों दलों को छोडकर भारत, ईजिप्ट (मिश्र) अदि देशों के नेतृत्व में अलिप्त आंदोलन प्रारंभ हुआ।

शीत युद्ध से दो दलों के बीच शस्त्रास्त्रों की होडतीव्र हो गई। इनमें अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका विश्व भर के शस्त्रास्त्रों के बेचने के लिए व्यापक रूप से समझौते करने लगा। अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने अधीन रखने के लिए फौजी मैत्री दलों की रचना हुई। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो (North Atlantic Treaty Organisation), सियाटो (South East Asian Treaty Organisation) और सेंटो (Central East North Treaty Organisation) दलों की रचना हुई। रुस के नेतृत्व में वार्साकूट रचित हुआ। अमेरिक के प्रत्येक राज्य में वृहत् युद्ध अस्त्रों का उदयोग विकसित हुआ। अणु अस्त्रों की होड़ बढी। इसके साथ विविध देशों में सैनिक भूमि की स्थापना, रहस्य कार्य और प्रचार, अंतरिक्ष युद्ध जैसी (रहने) विज्ञान-तकनीकी होड, आदि विकसित हुए। संपूर्ण विश्व विविध रूपों मे अगोचर युद्ध से आतंकित था।

कोरियई युद्ध, वियेतनाम का युद्ध, सन् 1956 की स्वेज नहर समस्या, सन् 1916 की बर्लिन समस्या, सन् 1962 की क्यूबन प्रक्षेपणास्त्र समस्या, ऐसी ही अन्य कई आतंक की परिस्थितियां शीत युद्ध ने उत्पन्न की। लगभग 1985 तक परस्पर अत्यंत तीव्रता अनुभव करने वाला शीतल युद्ध तीव्रता के कगार पर था। और अमेरिका की ओर मुडा। विश्व के संसाधनों पर अपनी पकड बनाने में यह सफला होने लगा रूस आर्थिक संकट में और आंतरिक कष्ट झेल रहा था। शस्त्रात्रों की होड में एकतरका अमेरिका विश्व का एकमात्र शक्तिशाली देश बनकर खडा हुआ।

बलशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका का उदय

सम्पूर्ण विश्व में सन् 1927 में उत्पन्न आर्थिक महा संकट मे अमेरिका में राजनैतिक रूप से काफी परिवर्तन हुए। प्रथम महायुद्ध में अमेरिका मित्रराष्ट्रों को काफी आर्थिक और सैन्य सहायता कर मित्र राष्ट्रों की विजय का कारण बना।

सन् 1929 में अमेरिका का आर्थिक विकास कुंठित हो गया। परिणामतः उद्योग और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ। सतही खुदाई (खानों की खुदाई) जहाज निर्माण, ग्राहकों की वस्तुऐं जैसे आटोमोबाइल और गृहोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो गया। आर्धिक संकट के कारण राजनैतिक परिवर्तन संभव हुआ।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

द्वितीय महायुद्ध के समय जापान ने अमेरिका की जलसेना 'पर्लहार्बर' पर हमला किया। इससे अमेरिका को मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होना पडा। जनता को सेना के रूप में रुसवेल्ट ने युद्ध के लिए तैयार किया। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका ने युद्ध में विजय हासिल की यह द्वितीय महायुद्ध के समय ही विश्व संस्था की स्थापना में मदद कर उसकी स्थापना का कारण बना। सन् 1945 के बाद अमेरिका विश्व का बलशाली राष्ट्र बन कर उभरा। शीत युद्ध के बाद अमेरिका संयुक्त संस्थान एकमात्र बलशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. रुस में कम्यूनिस्ट सरकार के संस्थापक _____ थे ।
2. प्रथम महायुद्ध _____ में समाप्त हुआ ।
3. फासिस्ट (तानाशाह) सर्वाधिकारी _____ था ।
4. द्वितीय महायुद्ध _____ में आरंभ हुआ ।
5. अमेरिका के नौका केंद्र _____ पर जापान ने हमला किया ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. रूस की क्रांति में लेनिन की भूमिका क्या थी?
2. प्रथम महायुद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे?
3. 'नाजी सिद्धांत' ने जर्मनी का नाश कर दिया। कैसे? विवरण दीजिए।
4. द्वितीय महायुद्ध के कारण बताइए।
5. शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है?
6. चीना की क्रांति के परिणाम कौन-कौन से हैं?
7. अमेरिका अपने आर्थिक महा संकट से बाहर कैसे आया?

III. क्रिया कलाप :-

1. अंतर्जाल और अखबार की सहायता से विश्व स्तर पर शांति स्थापना में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ किये जाने वाले प्रयास के बारे में लिखिए ।

IV. परियोजना :-

1. विश्व के विविध राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वज के चित्रों का संग्रह कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

राजनीति शास्त्र

अध्याय-4

वैश्विक समस्याएँ और भारत की भूमिका

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों से अवगत सकेंगे।

- मानव अधिकार का अस्वीकार
- शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा
- आर्थिक असमानता
- वैश्विक आतंकवाद

द्वितीय वैश्विक महायुद्ध के उपरांत उपनिवेशन पद्धति तथा साम्राज्यवाद का पतन हुए। प्राचीन विश्व परिवर्तन के साथ नया विश्व जन्म लिया। सन् 1945 में विश्व संस्था या संयुक्त राष्ट्रसंघ के आरंभ के साथ-साथ नया युग आरंभ हुआ। इतना होने पर भी वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा, आर्थिक असमानता, वर्णभेद नीति तथा उग्रगामी भावना-जैसी समस्याएँ यथावत हैं। विश्वसंस्था के सदस्य राष्ट्र बनकर, भारत, इन वैश्विक समस्याओं के उपचार के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है।

मानव-अधिकारों का अस्वीकार : मानवतावादी गण, हर व्यक्ति जन्मजात अथवा जन्म से ही आनेवाले मानव अधिकार के बारे में प्रतिपादित करते हैं, लेकिन संसार के कई लोग सुदीर्घ अवधि में यह मानव अधिकार प्राप्त नहीं किये है। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण तथा राष्ट्रीयता आदि कारणों से मानव अधिकारों का अस्वीकार तथा शोषण को देख सकते हैं।

जानकारी के लिए:

भारत संविधान में निर्धारित अथवा अंतराष्ट्रीय स्वीकारों में जोड़े हुए और जीने की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति गौरव अधिकार. मानव अधिकार ।

सन् 1776 में अमेरिका के आजादी युद्ध, सन् 1789 में फ्रांस की क्रांति। सन् 1917 में रूस की क्रांति, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत तथा अन्य राष्ट्रों की आजादी की क्रांति। ये सभी मानव अधिकार की आंदोलन के लिए पुष्टि दी। अत: वैश्विक मानव अधिकार के घोषणा को मानव अधिकार की रक्षा के इतिहास में एक प्रमुख ऐतिहासिक अंश के रूप में पहचानी गयी है। अंतराष्ट्रीय विदों से निर्मित मानव-अधिकार की परिकल्पना को 10 दिसंबर 1948 को विश्वसंस्था की सामान्य सभा से अनुमोदित हुआ।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सामान्य सभा मानव-अधिकार संरक्षण की जिम्मेदारी और भार को विश्व संस्था हर एक सदस्य राष्ट्र अनिवार्य रुप में निभाने के लिए सूचना दी है। इस सूचना से विश्वसंस्था के सदस्य राष्ट्र, मानव अधिकार संरक्षण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सूची विश्वसंस्था के मानव अधिकार घोषणा में दिया गया है।

यह मार्गदर्शी प्रमुख रूप से 30 भागों में हैं। उदा: हर व्यक्ति जन्म के साथ स्वातंत्र्य, समानता तथा गौरव पाना, जीने की आजादी और व्यक्तिगत सुरक्षा पाना, गुलामी पद्धति अस्वीकार, महिला शोषण दूर करना-आदि। सार्वात्रिक मानव अधिकारों को भारत लगातार से प्रतिपादन करता आ रहा है भारत अपने संविधान के तीसरे भाग में 12 से 15वीं अनुसूची के अंतर्गत आधारभूत अधिकारों के बारे में कहा है तथा इस विचार के बारे में प्रकाश डाला है, विश्वसंस्था की सामान्य सभा में भी संसार भर मानव अधिकार सुरक्षित रहना है इसका समर्थन भारत करता आ रहा है।

मानव अधिकार के शोषण के संबंध में सन् 1966 को विश्वसंस्था सदस्य राष्ट्रों के साथ सामान्य सभा का आयोजन करके हर राष्ट्र को मानव अधिकार संरक्षण की जिम्मेदारी के बारे में कहा। फलस्वरूप मानव अधिकार संरक्षण के लिए, अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का आयोग निर्माण किया गया है। इसके अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाती आयोग, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय आयोगों का निर्माण किया है। राज्य स्तर में, राज्य मानव अधिकारों का आयोग, महिला आयोग, आदि का निर्माण किया गया है।

शस्त्रात्रों की स्पर्धा : एक प्रसिद्ध बात है-''परमाणु युग में हमें युद्ध को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो युद्ध हमारा सर्वनाश करता है।'' वर्तमान विश्व में शस्त्रात्रों की स्पर्धा एक भयानक विचार के रूप में दिखती है। निशस्त्रीकरण, विश्व का आज और कल बचने के लिए अनिवार्य है। शस्त्रात्रों की अधिक स्पर्धा रोकने के लिए निशस्त्रीकरण प्रमुख उपाय से जाना जाता है।

निशस्त्रीकरण का मतलब है कि - ''निर्दिष्ट अथवा समग्र शस्त्रात्रों को कम करना अथवा समग्र रूप न रहने की प्रक्रिया है।'' शस्त्रात्रों से संसार स्तर में भय, अस्थिरता, अशांति तथा युद्ध संभव है। इनसे दूर रहने दृष्टि से वर्तमान संसार निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। इसी भाँति शस्त्रात्र तथा गोलियों को आर्थिक रूप से एक अनुपयुक्त हानिकारक के रुप में अनुभव किया गया है। अमेरिकी अध्यक्ष ऐसन होवर ने एक बार कहा था- ''शस्त्रात्रों से युक्त युद्ध विश्व धन मात्र को ही नहीं नष्ट करता, बदले नौकरों का पसीना, वैज्ञानिकों की बुद्धि तथा बच्चों की आशाओं को नष्ट भी करता है।''

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

परमाणु अथवा न्यूक्लियर बांब कीतैयारी के साथ निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण का प्रश्न भी बहुत बड़ा है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र होने के नाते शस्त्रात्रों के निग्रह का आग्रह करता है और आगे विश्व संरक्षण की दृष्टि से युद्ध रोकना बहुत आवश्यक है। सन् 1963 के बाद अमेरिका संयुक्त संस्थान तथा सोवियत रूस ने विभिन्न द्विपक्षीय करार कर दिया। शस्त्र नियंत्रण करार (Salt) पाक्षिक प्रयोग नकार करार और समग्र परीक्षण नकार करार (CTBT) इन्हें परमाणु शस्त्रों के प्रयोग रोकने में कुछ महत्वपूर्ण विश्वस्तर की संधि कह सकते हैं। इस तरह - ''आपसी निर्दिष्ट नाश'' के विरुद्ध भारत के साथ सभी राष्ट्रों का प्रयत्न आवथ्यक है।

आर्थिक असमानता : विश्व पारिवारिक सदस्यों में आपसी आर्थिक असमानता एक प्रमुख समस्या है। इसे उपनिवेशन तथा साम्राज्यवाद निर्माण के एक ऐतिहासिक आधार की देन भी कह सकते हैं। विदेशी राष्ट्र, अफ्रिका, एशिया तथा लैटिन, अमेरिका राष्ट्रों में अपना उपनिवेशन स्थापित्व किया था। यह साम्राज्यवाद के अधीन में रहे राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक उनकी प्रगति बहुत मंद थी। आजादी के बाद एशिया तथा अफ्रिका राष्ट्र ने प्रगति करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन कृषि, उद्योग, संचार और संपर्क, विज्ञान शिक्षण, स्वास्थ्य-आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए आर्थिक बाधा आ गयी। इसलिए विदेशी आर्थिक सहायता अनिवार्य हो गया।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों के लिए सन् 1945 के बाद राजनीति की दृष्टि से अमेरिका तथा सोवियत रूस के समूह सहायता करने का आरंभ किया, लेकिन इन राष्ट्रों की गरीबी, प्रगतिशील देशों की राजनीति स्वार्थ के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ।

आगे भारत ने अलिप्त नीति संसार में बढ़ायी। प्रगतिशील राष्ट्रों, गरीबी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता बिना शर्तें देने की नीति का निर्माण किया। अपने द्वारा गरीबी राष्ट्रों का आत्मगौरव बढ़ाने का काम भारत ने किया। इसके साथ प्रगतिशील राष्ट्रों का धन भी गरीबी राष्ट्रों की ओर आया 'तृतीय जगत, प्रचार गरीबी राष्ट्रों जैसा दिखता है। ये देशी आहार, पूँजी, तकनीकी, स्वास्थ्य साधन उच्च शिक्षण का अवसर - आदि के अभावों से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे हैं. इसी भाँति अन्य राष्ट्रों में अनावश्यक व्यय, मुक्त व्यापार, असंतुलित स्पर्धा, वैश्वीकरण-आदि विचारधाराएँ गरीबी राष्ट्रों के ऊपर कई बार बुरा प्रभाव डाल रही है। इन सबको दूर करने के लिए विश्वसंस्था और प्रगतिशील राष्ट्र प्रयत्न करना है। भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बनकर विश्व परिवार के समस्त राष्ट्रों के मध्य आर्थिक न्याय तथा समानता को प्रतिपादित करता है।

©RTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अभ्यास

I. निम्नलिखित रिक्त स्थान पूर्ति कीजिये:-

1. मानव अधिकार दिन _____ को मनाते हैं।
2. भारत लगातार _____ मानव अधिकार प्रतिपादित करता आ रहा है।
3. अफ्रिका में वर्णभेद नीति के विरुद्ध लड़ने वाले _____ थे ।
4. मानव अधिकार का मतलब _____ समानता से युक्त होना है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिये:-

1. द्वितीय महायुद्ध के उपरांत किन किन समस्याओं का सामता करता पडा?
2. मानव अधिकार का प्रतिपादन के लिए भारत के संग्राम का विवरण दीजिये।
3. शस्त्रात्रों की स्पर्धा संसार नाश का दिगदर्शन है। इसे आधार पर शस्त्रात्रों की स्पर्धा से होनेवाले परिणाम बताइए?
4. आर्थिक रूप से गरीबी राष्ट्रों के लक्षण क्या-क्या है? ऐसी गरीबी के कारण क्या हैं?
5. आर्थिक असमानता दूर करने के लिए भारत द्वारा निर्धारित सुधारने के क्रम क्या-क्या हैं ?
6. ''वर्णभेद नीति मानवतावाद का विरोध है,'' इसे अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिये।

II. गतिविधियाँ:

1. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित आयोग के बारे में सूचनाओं को संग्रह कीजिये।
2. कर्नाटक सरकार राज्य के गरीब लोगों के लिए निर्मित कल्याण कार्यक्रमों की सूची बनाइये।

IV. परियोजना:

1. वर्णभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करनेवाले महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़िये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय-5

वैश्विक समस्याएँ

इस अध्याय के अध्ययन से निम्नलिखित अंशों से अवगत हो सकेंगे:-

- विश्वसंस्था की स्थापना
- विश्वसंस्था की अंग संस्थाएँ
- विश्वसंस्था की आश्रित विविध संघ-संस्थाएँ
- विश्वसंस्था के उद्देश्य
- विश्वसंस्था की उपलब्धियाँ

विश्वसंस्था: (UNO)

विश्व संस्था (यू.एन.ओ)

20वीं सदी दो महायुद्धों का साक्ष्य हैं। प्रथम महायुद्धों के बाद विश्वशांति के लिए 'लीग आफ नेशन्स' नामक संस्था स्थापित हुई। लेकिन सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध के साथ इस संस्था का सर्वनाश हुआ। दूसरा महायुद्ध भयंकर रूप से हो रहा था, वैश्विक स्तर पर स्थायी शांति स्थापना का प्रयत्न भी आरंभ हो गया। विश्वस्तर में इंग्लैंड विनस्टन चर्चिल, रूस के जोसेफ स्टॉलिन तथा अमरिका फ्रॉक्लिन डी. रूसवेलट विश्वस्तर संस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किये। विश्व संस्था (युनैटेड नेशन्स) नामक शब्द का प्रयोग अमरिका के अध्यक्ष फ्रांक्लिन डी. रूसवेट ने लागू किया। 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों करार करने के लिए हस्ताक्षर करते ही प्रथम बार इस शब्द का उपयोग किया गया। इसे अब 'विश्वराष्ट्रों' नाम से जाना जाता है। 26 जून 1945 से स्यान फ्रांसिस्को विश्वसंस्था के कार्यालय, सम्मेलन शांति के लिए 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधि गण हस्ताक्षर किया। इस प्रकार 24 अक्तूबर 1945 का विश्वसंस्था आरंभ हुई। विश्वसंस्था के अनुसार वर्तमान में 195 सार्वभौम राष्ट्रों में 193 राष्ट्र विश्वसंस्था के सदस्य राष्ट्र बन गये हैं। इसकी प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में है। समस्त शांतिप्रिय राष्ट्रों को इसका सदस्य बनने के लिए मुक्त अवसर है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

विश्वसंस्था के उद्देश्य:

विश्वसंस्था के दस्तावेज,इस वैश्विक संस्था के लिखा हुआ प्रधान दस्तावेज है। इसमें 19 अध्याय हैं। 111 विधियाँ हैं। ''विश्व जनसमुदाय बनकर हम ----------'' वाक्य के साथ विश्वसंस्था की भूमिका आरंभ होती है।

विश्वसंस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं:-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पालन करना।
2. राष्ट्रों के बीच स्नेहभाव बढ़ाना।
3. मानव के आधारभूत अधिकारों के बारे में विश्वास बढ़ाना।
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय आधार की समस्याओं को अंतराष्ट्रीय सहकार के साथ उपचार पहचानना।
5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्याय तथा शर्तो को के मान्यता देना।
6. राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को प्रधानता के रूप में कार्य करना।

विश्वसंस्था की अंगभूत संस्थाएँ:-

विश्वसंस्था के दस्तावेज के आधार पर कुछ छह प्रधान संस्थाओं की व्यवस्था की गयी है। उनमें से

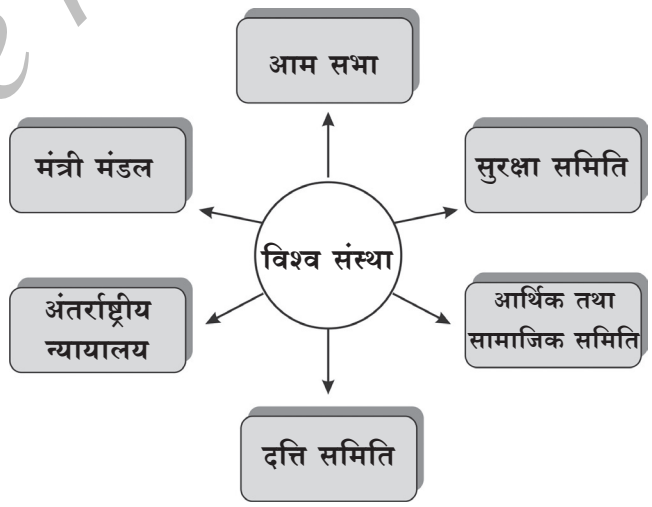

1. आमसभा : समस्त सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से युक्त अंगसंस्था है। हर सदस्य राष्ट्र 5 सदस्यों को यहाँ भेजना है, लेकिन हर सदस्य राष्ट्र को एक मत का अधिकार मात्र रहता है। यह आम सभा अपने प्रथम अधिवेशन में ही एक वर्ष की अवधि के लिए अकेला अध्यक्ष का चयन करती है। इसी तरह 17 उपाध्यक्ष तथा 7 स्थायी समितियों के साथ अध्यक्षों का चयन करती है। आमसभा के अधिवेशन सामान्यतौर पर सितंबर में आरंभ होकर दिसंबर के मध्य तक होता है। प्रमुख निर्धारों को 2/3 हाज़िर सदस्यों से अनुमोदन को आवश्यक रहता है। वार्षिक आय-व्यय की तालिका को भी इस सामान्य सभा में अनुमोदन पाया जाता है। कोई तुरत विषयों के प्रति चर्चा की

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आवश्यकता रहे तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। वैश्विक संसद के रूप में विश्व के समस्त विचारधाराओं की चर्चा में यह प्रधान भूमिका निभाती है।

2. सुरक्षा समिति : यह विश्वसंस्था के मंत्री मंडल के रूप में अत्यंत प्रभावित संस्था है। इसमें 15 सदस्य रहते हैं। उनमें से अमरिका संयुक्त संस्थान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीना-आदि राष्ट्र स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। अन्य 10 अस्थायी सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा चयन करती है। ये विविध भौगोलिक प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हर सदस्य को एक मत चलाने का अधिकार रहता है। लेकिन समस्त स्थायी सदस्यों की अनुमोदन हर प्रमुख निर्धारों के लिए आवश्यक है। भारत भी इस स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए प्रयत्न करता है।

विश्व समस्याओं के लिए शांतिपूर्ण ढंग के उपचार के लिए सुरक्षा समिति प्रयत्न करता है। अनिवार्य के अवसर पर विश्वसंस्था शांति पालन करनेवाले दल को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुव्यवस्था के लिए नियुक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को यह नियुक्त करती है तथा विश्वसंस्था के प्रमुख सचिव को उम्मेदवारी के लिए भी नाम सूचित किया जाता है।

3. आर्थिक तथा सामाजिक समिति : इस समिति में 54 सदस्य हैं। इनमें से 18 सदस्यों को हर तीन साल में चयन किया जाता है। अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है। इस समिति के कार्य निम्नलिखित हैं:-

i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन तथा रिपोर्ट करना।

ii) आश्रयरहितों के संबंध में महिलाओं का स्तर, आवास की समस्या - आदि कई विचार इस समिति के कार्यव्यापति के अंतर्गत आते हैं।

iii) मानव अधिकार के संबंध में तथा आधारभूत स्वातंत्रता के संबंध में भी यह समिति संस्तुति करती है।

iv) मानव संसाधन, संस्कृति, शिक्षा-आदि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संगठन करना।

v) विशेष कौशल के अंग संस्थाएँ जैसी अंतर्राष्ट्रीय नौकरों की समिति (खड्ज) आहार तथा कृषि संस्था (FAO) वैश्विक स्वास्थ्य संस्था (WHO) आदि कार्यों का समन्वय करना। ये सारे आर्थिक और सामाजिक समिति की प्रमुख संस्थाएँ हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

4. धरोहर समितिः (ट्रस्टिसिफ-कौन्सिल) वास्तव में यह संस्था सामान्य सभा के उपसंस्था है अथवा सहायक संस्था के रूप में काम करती है। समिति के लिए आश्रित प्रदेशों की संख्या, कम होने के कारण इसका कार्यक्षेत्र भी कम हो रहा है। स्वतंत्र राज्य स्तर में आनेवाले प्रदेशों की जिम्मेदारी इस समिति पर है। अब यह चालू में नहीं है। कारण है कि कोई धरोहर नहीं है।

5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय : यह विश्वसंस्था के एक प्रधान अंग संस्था है तथा समस्त सदस्य राष्ट्र इस न्यायालय के निकट अपनी अनुमति देने के लिए तैयार है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश रहते हैं। इनकी अधिकार अवधि 9 साल है। ये फिर चयन होते हैं। नेदरलैंड के हेग में यह न्यायालय स्थापित किया गया है। तीन साल की अवधि के लिए एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस न्यायालय के न्यायाधीश ही चयन करते हैं। बहुमत के आधार पर इसके निर्णय स्वीकृत होते हैं। न्याय के साथ कानून के विचार में भी यह उचित निर्देश देता है।

नैतिक और वैचारिकता के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण है। लेकिन इस न्यायालय के निर्णय किसी भी देश से संबंधित नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने ही देन दी है।

6.मंत्री मंडल : महासचिव तथा विश्वसंस्था के नौकर वर्ग इस उपसंस्था से संबंधित है। महासचिव इस कार्यांग के प्रधान है। इनको, सुरक्षा समिति के निर्णय के आधार पर आमसभा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चयन करती है। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में हैं। जिनेवा वियेन्ना तथा नैरोबी में इसकी शाखाएँ हैं दैनंदिन प्रशासनिक कार्ययोजना तथा सांस्थिक कार्य इस सचिवालय के अंतर्गत आते हैं ।

आपकी जानकारी के लिए :

विश्वसंस्था के महा सचिव :

1.	*ट्रिग्वे ली*	*(1946-1952)*	*नार्वे*
2.	*ढाग ह्यामर शील्ड*	*(1953-1961)*	*स्वीडन*
3.	*यू.थांट*	*(1961-1971)*	*बर्मा*
4.	*कर्ट वाल्ड हेम्*	*(1972-1981)*	*आस्ट्रिया*
5.	*ज़ेवियेर पेरुज् डे कुयेल्लार्*	*(1982-1991)*	*पेरु*
6.	*बुतरस घाली*	*(1992-1996)*	*ईजिप्ट*
7.	*कोफी ए अन्नान*	*(1997-2006)*	*घाना*
8.	*बॅान - की - मून*	*(2007- 2017)*	*कोरिया*
9.	*अंटोनिया गटेरेस*	*(2017 से)*	*पोर्चुगल*

©KBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

विश्वसंस्था की उपलब्धियाँ:

1.शांति स्थापना के कार्य : विश्वसंस्था अनेक राजनीतिक संघर्षों को निभायी है। लेकिन सुरक्षा समिति स्थायी सदस्यों का स्वीकार के अभाव तथा वैश्विक विचारधाराओं के अभाव से, विश्वसंस्था की उपलब्धि मिश्ररूप से युक्त है। इसका कार्याचरण अधिक रूप से युद्ध स्थंभ रेखा परिशीलक अथवा शांति दल के द्वारा साध्य है। भारत विश्वशांति तथा मानव अधिकार रक्षा के बारे में विश्वसंस्था के क्रियाकलापों में संपूर्ण सहयोग देता है।

सुयेज नाला की समस्या, ईरान संघर्ष, इंडोनेशिया, कश्मीर, प्यालेस्टेन, कोरिया हंगेरी, कांगो, सैप्रेस अरब, इस्रेल, नमीबिया, अपघानिस्तान,-आदि के विवादों को दूर करने के लिए विश्वसंस्था प्रयत्न की है। परमाणु अस्त्र तथा पारंपरिक निशस्त्रीकरण के ढंग की दृष्टि से विश्वसंस्था सतत प्रयत्न कर रही है। विश्वशांति की दृष्टि से विश्वसंस्था के कुशल कार्य के लिए उत्तम परिवेश निर्माण हुआ है।

2.आर्थिक व्यवस्था और पूँजी की उपलाब्धि : विश्वसंस्था द्वारा तैयारी की गयी प्रस्तावना में यह संस्था - ''सामाजिक अभिवृद्धि तथा उत्तम जीवन स्तर के लिए प्रयत्न करना चाहिए।'' घोषणा की है। आर्थिक तथा सामाजिक संस्था के निरीक्षण में इस कार्य करना होगा आर्थिक और धन क्षेत्र में (general agriment on taerifs and trade) कर और व्यापार का सामान्य स्वीकार है। उदा: विश्वसंस्था का अभिवृद्ध योजना इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि है। विश्वबैंक (IMF) की तरह वित्तीय संस्थाएँ विश्वसंस्था की सहायता से उत्तम उपलब्धि की है।

3.सामाजिक उपलब्धियाँ : विश्व स्वस्थ्य संस्था, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व आश्रयरहितों का आयोग-आदि विश्वसंस्था के सामाजिक अभिरुचि की सेवा संस्थाएँ है। सन् 1948 में प्रकटित सार्वजनिक मानव-अधिकार एक उत्तम उपलब्धि है। जातिभेद दूर करने में साम्राज्यवाद, उपनिवेशन -आदि दूर करने में विश्वसंस्था की भूमिका बहुत उल्लेखनीय है।

> ***जानकारी के लिए :***
> *विश्व संस्था में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रुसी, स्पेनिश तथा अरबी भाषाएँ प्रशासन भाषा का स्थान प्राप्त कर चुके हैं।*

विश्वसंस्था की आश्रित विभिन्न अंग संस्थाएँ:-

अ). आहार और कृषि संस्था: FAO - (Food and Agricultural Organisation) :

विश्व भर में गरीबी तथा भूख के विरुद्ध लड़ने के लिए सन् 1945 में एक संस्था का निर्माण हुआ। इसके प्रमुख रूप से तीन भाग है।वे हैं- 1. सम्मेलन 2.समिति तथा, 3.महानिदेशक- इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं-(अ) कृषि क्षेत्र की अभिवृद्धि (आ) पौष्टिक आहार (इ) भूख से संसार की मुक्ति करना (ई) ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर सुधारना । इसका प्रधान कार्यालाय रोम में है।

www.textbookpdf.in

© KTBS Not to be republished

आ) विश्व आरोग्य संस्था: WHO - (World Health Organisation) :

संसार के मानवों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए सन् 1948 में विश्व स्वास्थ्य संस्था आरंभ हुई। यह भयानक रोगों को संपूर्ण ढंग से निर्मूलन करने के लिए प्रयत्न करती है। इसी प्रकार कैंसर, एड्स आदि भयानक रोगों से संसार को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करती है। चेचक रोग समग्र रूप से दूर करने में यह संस्था विजय पायी है। जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण संरक्षण और भूख-आदि विषय इस संस्था की कार्यसूची में है। इन सारे क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संस्था की सेवा प्रमुख है। इसका प्रधान कार्यालय स्विटजरलैंड के जिनेवा में है।

इ). युनेस्को- (United Nations Educational Scientific and Culturalg <T> Organisation) :

सन् 1946 को स्थापित हुई। इसका मुख्य केंद्र पेरिस में है। यह संसार भर में विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति-आदि को प्रेरणा देनेवाली संस्था है। तकनीकी शिक्षा, माध्यम तकनीकी, रचनात्मक चिंतन, सांस्कृतिक विचारधाराएँ, परिसर विज्ञान की ओर इसके कार्यक्षेत्र है। संसार भर की शिक्षा तथा ज्ञान प्रसार की दिशा में यह सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता करती है।

ई). युनिसेफ- (United Nations International Emergency Fund) :

वितीय महायुद्ध के उपरांत बच्चों की सुरक्षा के लिए सन् 1946 में इसकी स्थापना हुई। सन् 1957 में यह एक स्थायी संस्था हुई। इस संस्था में 30 सदस्य हैं। महिला और बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करना इस संस्था का प्रधान लक्ष्य है। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यकता युक्त राष्ट्रों के लिए यह मदद करती है। सन् 1965 में युनिसेफ नोबल पुरस्कार पाया है। धन्यवाद पत्र व्यापार से प्राप्त धन को यह संस्था बच्चों की क्षेम कुशलता के लिए उपयोग कर रही है। इस प्रकार इस संस्था मानवीय दृष्टिकोण युक्त संस्था के नाम से जाना जाता है।

उ). ऐ.एम.एफ: (International Monetary Fund) :

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था सन् 1945 में आरंभ हुई। सन् 1947 के बाद पूर्ण ढंग अपना काम शुरु किया। इसका कार्यालय अमरिका के वाषिंगटन में है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। विश्व वाणिज्य व्यवहार के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता तथा उत्तम विदेशी ऋण चुकाने में संतुलन पालन करने के लिए प्रयास करती है। इसमें प्रशासन विभाग, कार्यव्यवहार के निदेशक विभाग तथा प्रशासन के निदेशक काम करते हैं। इसका कार्य व्यवहार के गुणवत्ता तथा पारदर्शी के लिए काफी महत्व पाया है। विविध राष्ट्रों के केंद्र बैंकों को केंद्र बैंक से इसे जाना जाता है। आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्र और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

ऊ) ऐ.बी.आर.डी (International Bank for Reconstruction and Development) :

विश्वबैंक से जाननेवाला यह संस्था सन् 1947 में आरंभ हुई। इसका कार्यालय वाषिंगटन में हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत आर्थिक पुनश्चेतना के लिए यह संस्था आरंभ हुई। कृषि,उद्योग, संचार और सूचना की अभिवृद्धि के लिए अवश्यक समस्त सदस्य राष्ट्रों को यह कर्ज देती है। यह विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय में संतुलन का पालन करती है। समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए बहुत सहकार यह बैंक करता है। इसमें प्रशासन विभाग, कार्यकारी विभाग तथा अध्यक्ष रहते हैं। इसके अधीन में दो सहकारी अंग हैं। वे हैं अ) अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील संघ आ) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निगम।

ऋ) अंतर्राष्ट्रीय मज़दूरों का संघः (International Labour Organisation) :

इस संस्था का अरंभ मज़दूरों की सुरक्षा के लिए हुई है। इसका प्रमुख कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हर सदस्य राष्ट्र इसके लिए दो सदस्यों को भेजता है। उनमें से एक मज़दूरों के नेता के रूप में और दुसरे को प्रशासन के नेता के रूप में मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण,उत्तम जीवन स्तर आदि विचार इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। महिला मज़दूरों के जन्म की सुविधा, कनिष्ठ वेतन लागू करना, आवास निर्माण-आदि विचार इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। इस संस्था के निर्णय केवल मार्गदर्शन के रूप में रहने पर भी सदस्य राष्ट्र, उनको प्रमुखता देते हैं। इसका सामान्य सम्मेलन मज़दूर वर्ग के वैश्विक संसद के बराबर रहता है। उनके हित की संरक्षण के लिए परिश्रम करता है।

ए) विश्वसंस्था के व्यापार और वाणिज्य प्रगतिशील समितिः-

यह संस्था वैश्विक स्तर का व्यापार और वाणिज्य विषयों की प्रगति के लिए प्रयत्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी का सहकार यह संस्था करती है। वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की बाधाओं को दूर करके, अपने द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य प्रगति के लिए यह सहकार करती है। इस प्रकार विश्व परिवार की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए पूरक काम करती है।

ऐ) विश्वव्यापार संघः (World Trade Organisation) :

1 जनवरी 1995 को यह संस्था आरंभ हुई। इसका समस्त सदस्य राष्ट्र 'सामान्य व्यापार और कर करार के लिए' स्वीकृत किये हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य तथा व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए यह संस्था प्रयास करती है। विश्व बैंक के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यवहार निर्माण में सहायता करती है। मुक्त वाणिज्य व्यवहार की प्रगति की ओर जानेवाले राष्ट्र कुछ बाधाओं का अनुभव करना पड़ता है। ऐ.एम.एफ.तथा ऐ.आर.बी.डी. संस्थाओं के साथ यह तृतीय स्तर के आधारस्तंभ माना जाता है।

©KBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

क्षेत्रीय सहकारी संघ :

वर्तमान विश्व में कई स्थानीय संस्थाओं को हम देख सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्रों के आपसी सहकार तथा जानकारी को संवर्द्धन करती हैं। प्रादेशिक संस्थाओं में प्रमुख हैं-

1.कामनवेल्थ राष्ट्रसंघ: (Commen wealth of Nations) :

इसे पहले ''ब्रिटिश कामनवेल्थ संघ'' से जाना जाता था। इसके बाद इससे ब्रटिश शब्द निकाला गया। यह संस्था सन् 1926 में स्थपित हुई। आगे भारत के साथ अनेक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी इच्छाओं से इसके सदस्य बन गये। इसको ब्रिटेन राजा वरिष्ट है। प्रस्तुत संदर्भ में इसमें 54 सदस्य राष्ट्र है। ब्रिटन के लंडन में इसका प्रमुख कार्यालय है। इसके कार्यकलापों में सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मंत्री, अर्थ मंत्री और विदेशी मंत्री प्रतिभागी होते हैं। गणतंत्र का महत्व, स्वतंत्र की सुरक्षा,गरीबी हटाना, विश्वशांति की स्थापना,खेल,विज्ञान और कला की अभिवृद्धि तथा उनका संबंधों की वृद्धि- इन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य हैं। आपसी सदस्य राष्ट्रों की मित्रता का भाव संवर्द्धन करती है।

2.सार्क (South Asian Association for Regional co-operation) :

इस संस्था की स्थापना सन् -1985 में हुई। इसके सदस्य राष्ट्र 8 हैं- भारत, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्डीव्स, भूतान और अपघानिस्तान-आदि। आर्थिक संबंधों की अभिवृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास आपसी सहकार के साथ करना इस संस्था का मूल उद्देश्य है। लक्ष्य पहुँचने के लिए कई तकनीकी समिति, कार्याचरण समिति तथा स्थायी समिति, निर्माण हुई हैं, लेकिन सदस्य राष्ट्र आपसी अविश्वास विवाद इस संस्था विकास के लिए बाधक बना है। समस्त निर्णय सदस्य, राष्ट्रों के विरोध में ही रहना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार इस संस्था की प्रगति के लिए आपसी विवाद बाधक है सदस्यों के राष्ट्रों के बीच काफी है। सभी निर्णय सदस्य राष्ट्रों के विरोध के आधार में रहना चाहिए। यह सूत्र भी इस संस्था की प्रगती के लिए बाधक है। फिर भी लगातार से समारोह आपसी शांति दूर करने के लिए अवसर दिया है। विज्ञान, तकनीकी,कृषि आदि विषयों के बारे में सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधियों का समारोह, प्रशिक्षण आदि कार्यशाला तत्वावधान में आयोजित होते हैं। सार्क की गतिविधियों में भारत का सक्रिया भूमिका है। इसका प्रधान कार्यालय नेपाल के कठमंडू में है।

3.यूरोपियन यूनियन:

इस में यूरोप के 27 सदस्य राष्ट्र है। म्यास्ट्रिच में आयोजित यूनियन कराक के अनुसार इस संस्था सन् 1992 में आरंभ हुई। इन सदस्य राष्ट्रों के बीच समान बाजार, एक ही रूप का करेन्सी,समान कृषि तथा व्यापार आदि के लिए अवसर रहते हैं। इसके मुख्य अंग संस्थाएँ हैं- 1. समिति , 2. आयोग, 3. यूरोप का संसद तथा 4 यूरोपियन न्यायालय। यूरोपियन यूनियन एक संयुक्त राज्य के बराबर है। इसका निर्माता ने कहा है यह संस्था शांति और

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

प्रजातंत्र कार्य निभाती है। यह यूरोपियन यूनियन पीछे रहे यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी के (ईईसी) बराबर है। इसके सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा से अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार अंश इस संस्था को दिया है।

4.आशियन (Association of South East Asian Nations) :

इसकी स्थापना सन् 1965 में हुई । इसके सस्थापक सदस्य राष्ट्र हैं - सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिप्लैन्स तथा थैलांड, अब इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य हैं कि इस प्रदेश के आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक विकास के प्रयास तथा सांस्कृतिक प्रगति करना, तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आपसी सहकार तथा प्रतिभागित्व हैं।

यह एक मिलिटरी संघ नहीं। भारत इसके संबंध में उदार भावना रखने पर भी उसमें सदस्य नही बन गया है। अवलोकन के स्थान पाया है। इसमें विश्व कुल जनसंख्या के 9 प्रतिशत लोग हैं।

5. दो आर्गेनैसेशन ऑफ अफ्रिकन युनिटि:

यह अफ्रिकन समिति का निर्माण सन् 1965 में हुई। आजादी प्राप्त अफ्रिकन राष्ट्र आपस में अनेक प्रादेशिक संस्थाओं का निर्माण किया। आगे इन्होंने एक साथ जुड़कर, दी अर्गनैसेशन ऑफ अफ्रिकन युनिटि नाम एक नयी संस्था की स्थापना कीं। समस्त स्वतंत्र अफ्रिकन राष्ट्र अपने निर्धारण का अधिकार यह संस्था प्रतिपादित करती है। यह आजादी,समानता, न्याय तथा एकता अफ्रिकन राष्ट्रों में निर्माण करने के लिए प्रयास करती है। 'नया उपनिवेशन के विरुद्ध' लड़ने के लिए यह संस्था के सदस्य कमर कस लिये हैं। इसके उद्देश्यों को स्वीकार करनेवाले समस्त अफ्रिकन राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं।

इस संस्था में 1.सदस्य राष्ट्र के प्रधान तथा वहाँ के सरकार प्रमुखों की सभा। 2. सचिव संसद तथा 3 .दलाल का स्वीकार के उपनिवेशन, वर्णभेद, साम्राज्यवाद आदि के विरुद्ध इस संस्था के प्रमुख पात्र निभायी है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:

1. विश्वसंस्था के आरंभ का साल _____ है।
2. विश्वसंस्था के प्रधान कार्यालय _____ नगर में है।
3. विश्वसंस्था के सचिव संसद बराबर रहनेवाली अंगसस्था _____ है।
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की अवधि _____ साल है।

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय _____ में है।
6. विश्वसंस्था के आज का महासचिव का नाम _____ है।
7. विश्व स्वास्थ्य संस्था की स्थापना का साल _____ है।
8. सार्क स्थापना का साल _____

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूहों में चर्चा करके दो-तीन वाक्यों में उत्तर लिखिये :

1. विश्वसंस्था के संस्थापक कौन-कौन हैं?
2. विश्वसंस्था के अंग संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं?
3. सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन-कौन से हैं?
4. विश्व स्वास्थ्य संस्था की कार्यसूची में निहित अंश कौन-कौन से हैं?
5. अंतराष्ट्रीय मज़दूर संघ के कार्यों की सूची बनाइये।
6. सार्क (SAARC) का विस्तृत रूप क्या है।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में चर्चा करके दस वाक्यों में उत्तर लिखिये:-

1. विश्वसंस्था के उद्देश्यों की सूची बनाइये।
2. आमसभा की रचना का विवरण दीजिये ।
3. आर्थिक तथा सामाजिक समिति के कार्य क्या-क्या हैं ?
4. 'वैश्विक स्तर में शांति स्थापना के लिए विश्व संस्था की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है' - इस वाक्य का समर्थन कीजिये।
5. यूनेस्को के कार्य कौन-कौन से हैं ?
6. वैश्विक स्तर में आर्थिक समस्याओं को दूर करने में **ऐ एम एफ** की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।
7. कामनवेल्थ राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की सूची बनाइये।
8. यूरोपियन यूनियन संस्था का विवरण दीजिये।

IV. क्रियाकलाप:

1. कर्नाटक में यूनेस्कोवाले पहचाने गये ऐतिहासिक स्मारक चित्रों का संग्रह करके अल्बम तैयार कीजिये।

V. परियोजना:

1. वैश्विक स्तर में विश्वसंस्था द्वारा निभायी गई शांति प्रक्रियाओं के बारे में समाचार पत्रिकाओं में प्रकटित समाचारों को संग्रह कीजिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

समाज शास्त्र

अध्याय - 3

सामाजिक आंदोलन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- सामाजिक आंदोलन का अर्थ, स्वरूप, उद्‌भव और विकास
- पर्यावरण आंदोलन
- महिला आंदोलन
- मद्यपान निषेध आंदोलन
- कृषक आंदोलन
- श्रमिक आंदोलन
- अस्पृश्यता आचरण के विरुद्ध आंदोलन

सामाजिक आंदोलन का अर्थ और स्वरूप :

सामाजिक आंदोलन का अर्थ है मानव समाज के - गति, बदलाव और परिवर्तन से संबंधित चलनेवाला एक व्यवस्थित स्वाभाविक अवरोध सामाजिक प्रतिक्रिया है। 'व्यवस्थित' याने हर एक आंदोलन के पीछे एक उद्धेश्य/मंजिल योजना और कार्यक्रम रहता है। स्वाभाविक का अर्थ है कि मानव समाज या मानव विकास के विविध स्तरों में ऐसे आंदोलन निरंतर चल चुके हैं चलते रहे हैं/चलेंगे कोई भी जीवी अपने अस्तित्व पर धक्का लगने पर उसके विरुध्द स्वाभाविक रुप से अवरोध व्यक्त करता है। अवरोध के लिए मानव और समाज परे नहीं है। इसे हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझते है। मानव समाज में चले हुए और चल भी रहे शोषणों के विरुद्ध कई व्यक्तिगत स्तर पर और व्यक्तिगत भूमिका में हड़ताल हुए हैं हो रहे हैं, व्यक्तिगत भूमिका में चलनेवाला यह अवरोध को हम समाजिक हडताल नही कहते। क्योंकि सामाजिक हडताल लोगों से सामूहिक रूप से चलानेवाली प्रक्रिया है।

मानव समाज के विशिष्ट सामुदायिक क्रियाओं में सामाजिक हडताल महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। इस हडताल को आंदोलन, अभियान, संघर्ष, क्रांति आदि शब्दों द्‌वारा पहचाना जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में अंग्रेजी के 'मूमेंट' (Movement) शब्द के पर्याय शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक आंदोलन जनसमुदाय की आवश्यक आकांक्षाएँ को अभिव्यक्त करने का एक सामाजिक मंच होता है। सामाजिक आंदोलन के मंच पर भागलेनेवाले लोग आंदोलनों के तेज होने से पूर्वयोजना से भिन्न मोडों से विविध संघर्षों के प्रभाव में आकर नये मनोभाव और नये सामाजिक प्रवृत्तियों को ले सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है गाँधीजी पहले भगवान ही सत्य कहा करते थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में डॉ.बी.आर अंबेडकर के साथ संवाद के प्रभाव से और अनेक सामाजिक सुधारकों के साथ रहने से महात्मागाँधी जी ने सत्य

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

ही भगवान कहा। यह महात्मागाँधी जी द्वारा विविध समाजिक, हडतालों के सामाजिक अनुभवों का फल है। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक हडताल नए सामाजिक व्यवहार के आदर्श को रुपित करता ही रहना है।

19 वीं शाताब्दी से पहले प्राकृतिक संपदा अधिक उपयोग करनेवाली सार्वजनिक संपदा थी। औद्योगिकीकरण के बाद प्राकृतिक संपदा सरकार और पूँजीपतियों के चंगुल में आ गयी है। तब उसपर नियंत्रण करने के लिए कानूनी क्रम जारी में आ गये। स्वाभविक संपदा जैसे लकडी पर पाबंधी लगया गया था। आदिवासी लोगों को उनके रहनेवाले परिवेश में इस्तेमाल करने के लिए लकडी मिलना कठिन हो गया। इसके बारे में अनेक सुधारकों ने आवाज उठाई। इस पृष्टभूमि के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, स्त्री आंदोलन और कृषक आंदोलन को समझना चाहिए।

सामाजिक आंदोलन सभी काल देश में एक न एक रूप में चल चुके हैं चल रहे है। कुछ आंदोलन शाश्वत परिणामों को हमारे समाज में लाये हैं। उदाहरणार्थ भारत के स्वतंत्रता संग्राम राजनितिक स्वतंत्रता से लेकर कई शाश्वत परिणामों को हमारे समाज में लाया है। कुछ आंदोलनों से अधिक प्रभाव नहीं हुआ होगा। भारत के इतिहास को हम देखने से बार बार चले हुए धार्मिक आंदोलन अथवा भक्तिपंथ के आंदोलन, भारत के सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को सामने रखता है। धर्म जाति आधारित उत्पीडन, अत्याचार, कर्म सिद्धात की परंपरा, जमीनदारों- जागिरदारों के शोषण, और अपमान के विरुद्ध बुद्ध, महाविर, बसवण्ण अंबेडकर, शरणलोग दासलोग, सूफीलोग और अनेकों से चलाये गये आंदोलन जाति अपमान और अत्याचार से पीडित लोगों में रिहाई का प्रकाश देने में सहयोग दिये। यह सामाजिक गति को ऊर्ध्वमुखी बनाने का अवसर दिया।

आंदोलन का उगम और विकास

सामान्य तौर पर हमारे दैनंदिन जीवन में हमें बिना समझे कोई छोटे मोटे संघर्ष, घटनाएँ सामाजिक समूहों में चलती रहती हैं। वे उसी समय पैदा होकर गायब भी हो जाते हैं। यह केवल सीमित उद्देश्य के लिए थोडे ही समय के लिए हलचल करता है। इनमें हम आंदोलन के प्रारंभिक स्तर पहचानते हैं। उसमें लोगों की भीड/दंगा प्रमुख है। लेकिन अनेक दंगा सकारात्मक कारण के बिना ही चलते हैं। इन्हें आंदोलन के आरंभिक स्तर नहीं माना जाता।

लोगों की भीड : अचानक हुई घटना से अधिक लोग एक साथ मिलकर अस्थायी रूप से चलानेवाले, सोच, अनुभूति और बर्ताव सामूहिक बर्ताव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोई सडक दुर्घटना हो तो तुरंत वहाँ लोगों की भीड जमा होकर करनेवाला बर्ताव। इसे लोगों की भीड के बर्ताव कहा जा सकता है। इस तरह के स्रोत आगे चलकर सामाजिक

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आंदोलन के रूप में बदल सकता है। कोई भी पूर्व तैयारी के बिना चलचित्र मंदिर के पास टिकट लेने के लिए घेरे हुए लोगों की भीड सडक दुर्घटना देखने के लिए मिलने वाली भीड आदि -

लोगों की भीड में लोगों के अनियंत्रित वर्ताव ही अनेक संदर्भों में समाज के लोप दोषों को दिखाते हैं। यह कुछ समय सामाजिक संस्था के कार्यविधान के बारे में लोगों की अतृप्ति को प्रकट करता है और सरकार की योजना, प्रवृत्ति और निर्धारित कार्यक्रम के बारे में लोगों के असंतोष को बाहर लाता है।

भीड/दंगा : भीड/दंगा लोगों की भीड के बर्ताव का एक और रूप है। हिंसात्मक और विनाशात्मक स्वरूप के लोगों की भीड के बर्ताव को भीड/दंगा कह सकते है। लोगों को भीड में दिखाई देनेवाला कनिष्ट स्तर के उद्देश्य और एकता भी भीड में नहीं होती। भीड/दंगा में विविध समाजविरोधी टोली अपने लाभ के उद्देश्य से सार्वजनिक संपत्ती को नुकसान पहुँचाती है। भीड/दंगा पहले परेशान को सृष्टि करता है। इसके द्वारा अपप्रचार करके दंगा को सृष्टि करता है। कई समय भीड/दंगा से अपार लोगों की जीवहानी भी हो जाती है।

इसलिए भीड/दंगो में लगे हुए लोगों के बर्ताव में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। भीड/दंगा कानून और सुव्यवस्था के लिए एक गंभीर सवाल बनता है। इसके लिए उदाहरण है जाति दंगा, सांप्रदायिक दंगा, जातिय झगडे, राजनीतिक संघर्ष आदि। सामान्य रूप से नगरों में केंद्रिकृत दंगा आज ग्रामीण प्रदेशों में भी विस्तार हुआ है। जाति, भूमि और राजनीतिक कारण के अलावा और कुछ उत्प्रेरक स्थिति भीड/दंगा को ज्यादा किया है। इस अनियंत्रित बर्ताव से समाज विरोधी कार्य ज्यादा होते हैं। भीड/दंगा के प्रमुख कारण पक्ष और विपक्ष के द्वेष की मनोभावना नहीं होती है।

भीड/दंगा ज्यादा समय तक नहीं चलता। एक सीमित अवधि में समाप्त हो जाती है। अधिकारियों के समयप्रज्ञा, पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी तौर से इसको नियंत्रित कर सकते हैं।

पर्यावरण आंदोलन

पर्यावरण आंदोलन का अर्थ है पर्यावरण के अंतर्गत रहनेवाले जीवजगत के संरक्षण के लिए प्रतिपादित करनेवाला वैज्ञानिक, आंदोलन। अर्थात् हमारे चारों ओर की भूमि, वायु, जल आदि को मिलाकर सारे जीवजगत को नष्ट करनेवाला और प्रदूषित करनेवालों के विरुद्ध वैज्ञानिक रूप से आंदोलन करना पर्यावरण आंदोलन तुरंत ही दिखनेवाला एक सामाजिक आदोलन न होकर कई सालों से पर्यावरण और पर्यावरण में रहनेवाले लोगों के ऊपर होनेवाले शोषणों से उत्पन्न अवरोध है। उदारहण के लिए जार्खड मुक्ति मोर्चा 1973 में प्रारंभ होने

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

पर भी 1930 के पहले ही कुछ पढे लिखे आदिवासी झरखंड प्रदेश से इस्पात और अनेक स्वाभाविक संपति को बाहर के पूँजीपति के औद्योगिक कब्जे में लाकर स्थानीय लोगों को गरीब स्थिति तक पहुँचाने के विरोध से किया था। इस तरह के शोषण के विरुद्ध प्रारंभ होनेवाला प्रमुख आंदोलन में झरखंड मुक्ति मोर्चा भी एक है।

> ***क्रियाकलाप :*** *यह आप जानिए : झरखंड मुक्ति मोर्चा पहले पर्यावरण आंदोलन होने पर भी बाध में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ।*

जागतिक प्रायोजित विकास योजनाएँ आदिवासियों को जब स्थानांतरण करने लगी तब अनेक आंदोलन आरंभ हुए। जागतिक तापमान में वृद्धि जलसंपति पर होनेवाला शोषण और आदि के विरुद्ध चलनेवाले सभी आंदोलन पर्यावरण आंदोलन हैं। जीवजगत के महत्व के बारे में शैक्षिक क्षेत्र और बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोगो के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक अवरोध कर रहे हैं। इसमे कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में संक्षिप्त रूप में परिचय प्राप्त करेंगे।

चिप्को आंदोलन : उत्तर प्रदेश के टेहरी - गढ़वाल जिले के रेन्नी ग्राम में 2,500 पेडों को काटने के लिए सरकार ने अनुमति दी। इससे वनों का नाश और पर्यावरण का विनाश होते देखकर कोई भी लालच धमकी को परवाह न करके महिलाओं ने ही आगे आकर पेड को आलिंगन करके (चिप्को) आंदोलन का प्रारंभ किया। 1974 में हुआ इस आंदोलन के लिए एक स्त्री की समय स्फूर्ति ही भविष्य पर प्रभाव डाला। इस आंदोलन के फल स्वरूप पेड के हनन को दिया हुआ सरकारी आदेश वापिस लिया गया।

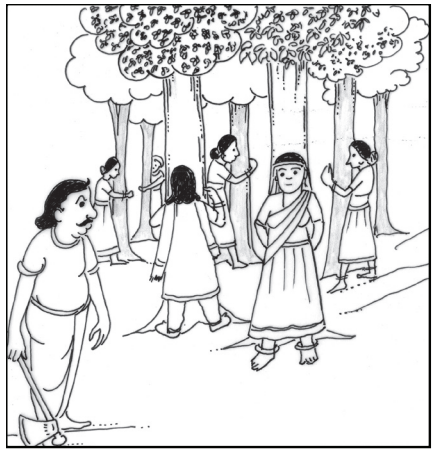

कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन : कर्नाटक के उत्तर कन्नड जिला के सल्यानी गाँव के कृषक 1983 में अप्पिको आंदोलन किया। कलसे नामक वन में ठेकेदार जब पेड काटने के लिए आए तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ का आलिंगन करके हडताल किया। पेड की तस्करी को रोकना, पेड का पालन पोषण करना और पर्यावरण के महत्व के बारे में आम लोगों में जागृति पैदा करना वहाँ के स्थानीय कृषकों का उद्देश्य था।

नर्मदा बचाओ आंदोलन : गुजरात राज्य के सरदार सरोवर की योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बाँध का निर्माण वहाँ के स्थानीय लोगों और अनुसूचित वर्ग के लोगों को दारिद्रता तक पहुँचाया। वनकटाई, पर्यावरण का नाश जीव-जगत को नुकसान पहुँचाता है इसको वैज्ञानिक रूप से संमझकर उसका संरक्षण करने के आशय को लेकर पर्यावरण प्रेमी मेधा पाटकर के

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

नेतृत्व में बाँध निर्माण के विरुद्ध बहुत दीर्घ समय तक, बहुत बडा आंदोलन नर्मदा नदी के आसपास चलाया जा रहा है। यही 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' है।

मौन घाटी आंदोलन : केरल के पालघाट तालूका के मौन घाटी में स्थापित करने के उद्देशित बाँध के निर्माण से पर्यावरण नाश के साथ साथ अनेक जीव प्रभेदों को नाश होते देखकर केरल शास्त्र साहित्य परिषद और वन्यपशु - पक्षियों के प्रेमियों ने बाँध निर्माण के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन द्वारा अनेक जीवजंतु का संरक्षण हुआ।

कर्नाटक समुद्र तटी के पर्यावरण आंदोलन : कर्नाटक के समुद्र तटीय मंगलूर में स्थपना करनेवाले तेल शुद्धिकरण घटक से आनेवाले रासायनिक अंशो से पर्यावरण की हानि होते देखकर पर्यावरण प्रेमी लोगों ने 'मंगलूर रिफैनरीस और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (MRPL) के विरूद्ध आंदोलन किया। उडुपी के पास नंदिकूर उष्णस्थावर की स्थापना के विरुद्ध और मंगलूर विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्देश्य के लिए कृषि भूमि पाने के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन प्रमुख है।

कैगा परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन : कर्नाटक के कारवार जिले के कैगा में परम ाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र को स्थापित करने के विरुद्ध शिवराम कारंत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया। कैगा पारमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना से वनो का नाश अणुविकिरण से पर्यावरण प्रदूषण और अनेक दुष्प्रभाव से जीव प्रभेद पर दुष्परिणाम पड रहा था इसलिए इसकी स्थापना के विरुद्ध कैगा विशेष आंदोलन चलाया गया।

मेधा पाट्कर. सुंदरलाल बहुगुण ने आंदोलनों के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक उपवास सत्याग्रह चलाया है। स्वतंत्रता के बाद सामूहिक हित के लिए इतना दीर्घ उपवास सत्याग्रह पर्यावरण आंदोलन को छोड़कर अन्यत्र इस प्रकार का उदाहरण हमें नहीं मिलता है। पर्यावरण एक स्वतंत्र भाग न होकर मानव के जीवन का समीकरण बन चुका है।

स्त्री आंदोलन : 1980 दशक में पक्षातीत रूप से चलनेवाला सामूहिक आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरुष प्रधान असमानता के दृष्टिकाण, महिलाओं पर पुरुष प्रधान संकृति के शोषण अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं से चलाया गया हडताल ही महिला आंदोलन। उसमें भी महिला के शोषण के विरुद्ध परिकल्पना के द्वारा महिला समानता के बारे में वैचारिक रचनाएँ और सृजनशील रचनाएँ साहित्य लोक में आगयी हैं।

अनेक हडताल के बीच में भी आज भी दहेज प्रथा के कारण अत्याचार से पीडितों की संख्या अनगिनत है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं पर होनेवाली असमानता आधारित अत्याचार रूपांतरित हुआ है। महिलाओं को सेविका के समान देखनेवालें पुरुष प्रधान समाज के 'सिध्दांत' बालिकाएँ और महिलाओं को असमानता की दृष्टि से ही देखते हैं।

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

इन असमानताओं के साथ स्त्रियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीडन दहेजप्रथा, अत्याचार, शोषण आदि चलते ही रहते हैं। गालियाँ देना अश्लील भाषा का प्रयोग विविध के प्रकार की हिंसा परिवार के अंदर और बाहर महिला स्वतंत्रता और गौरव को धक्का पहुँचता है। इसके साथ महिला पर आसिड फेंकना बालिकाओं और महिलाओं की तस्करी और बिक्री दिन ब दिन एक विचित्र रूप ले रहा है इसे हम माद्यम में हर दिन देखते है। पहले वंश गौरव बनाये रखने के लिए हत्या, मर्यादा हत्या के रूप में बदल गया है। हमारे संविधान के 14,15,16,39 के प्रकार समान अवसर और समान उद्यम के लिए समान वेतन का अधिकार अभी तक सभी महिलाओं को नहीं मिला है।

इस तरह की असमानता और शोषण के विविध रूप के विरुद्ध महिलाओं के अधिकारों को प्रतिपादित करनेवाले आंदोलन ही महिला आंदोलन हैं। इनमे प्रमुख अंशों की जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे।

मद्यपान निषेध आंदोलन :

महिलाओं से बना प्रमुख आंदोलन में पान निषेध आंदोलन प्रमुख है। यह आंदोलन कुछ भिन्न रीति का है। क्योंकि पान निषेध के संदर्भ में सभी महिलाएँ संगठित होती हैं।

मद्यपान निषेध स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग है। गाँधीजी मद्यपान निषेध को प्रतिपादत करते हैं। महिलाओं के मद्यपान निषेद आंदोलन चिप्को आंदोलन का एक भाग बन जाता है। कर्नाटक में पर्यावरण आंदोलन के साथ करावली और मलेनाडू प्रदेश में म द्यपान निषेध आंदोलन शुरु होता है। कुसुमा सोरब के साथ और भी अनेक इस आंदोलन में अपना जीवन खोया है। इसके अलावा हासन, कोलार, मंड्या, चामराजनगर और भी अनेक जिलों में महिलाएँ मद्य बेचने के विरुद्ध आंदोलन किया है। मद्यपान सामाजिक संस्थाओं में वैयक्तिक जीवन में अनेक समस्याओं को पैदा किया है। महिलाएँ उसमें भी ग्रमीण गरीब महिलाओं के जीवन में अनेक मुशकिलों को ला खडा कर दिया है। श्रमिक अपनी अल्प कमाई को मद्यपान को डालने से अपनी लत के लिए छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेजने के साथ अपनी पत्नी की कमाई को भी ले जाकर मद्यपान के दास बन गये है। इस तरह मद्यपान से होनेवाले बुरे परिणामों के कारण मद्यपान निषेध आंदोलन को महिलाओं ने ही संगठित किया है।

क्रियाकलाप : *विद्यालय, कक्षा और सामाजिक परिवेश में बालिकाएँ और महिलाएँ जिन समस्या सामना कर रही हैं उसके बारे में जागृत करने के लिए छोटी छोटी एकांकी को बच्चों से करवाना।*

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

कृषक आंदोलन :

कर विरोध से प्रारंभ होनेवाला कृषक हड्ताल कृषकों को घेरे हुए अनेक अर्थिक संकटों के विरुद्ध बीसवी शताब्दी के सत्तरवें और अस्सी दशक में अनेक आंदोलनों को चलाया है। सारे देश में अनेक कृषक आंदोलन आरंभ होकर अस्सी दशक के चलनेवाला किसान आंदोलन प्रमुख है।

कर्नाटक में 70 वें दशक में अधिकार में आनेवाले डी.देवराज अरसू ने सामाजिक परिवर्तन के लिए बडे प्रमाण में नींव डाली है. जाति व्यवस्था से बंधित सामाजिक दुर्बलों के विमोचन के लिए पूरक कानूनो को जारी में लाने का प्रयत्न किया। उन्होने भूमि मालिकों के चंगुल से किरायेदारों को मुक्त करने के लिए गुलामी पद्धति की रद्द करना गरीबों के ऋण परिहार के साथ उस समय के मंत्रि श्री बसवलिंगप्पा जी के आशय के अनुसार सिर पर मल लेकर जानेवाले अमानवीय रुढी के निर्मूलन के लिए अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रमों को लागू किया।

बाद के दिनों में किसानों की समस्याओं के परिहार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हडताल किया गया। इस प्रकार किसान और लोग चलानेवाले सभी हडताल राजनीति के प्रेरक समझकर लोगों के हडतालों को दमन करने के लिए लाठी चार्ज और गोलीबारी चलते हैं। इस प्रकार की नीतियों के विरुद्ध 1980 के जून महीने में धारवाड जिले के नरंगुद में किसानों का दंगा चलता है। यह दंगा सरकार के शोषण के विरुध्द मात्र न होकर यह सभी किसानों के पक्ष में चलनेवाला हड्ताल था।

नरंगुद के दंगो के बाद लोगों के पक्ष के हडताल का समाजवादी प्रो.एम.डी. नंजुंडस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य का किसान संघ की स्थापना की गई। यह शिवमोग्ग के गांधीवादी हेच-एस रुद्रप्पा की अध्यक्षता में अस्तित्व में आया। प्रो. नंजुंडस्वामी संचालक होकर एन.डी.सुंदरेश सचिव होकर विशाल सिद्धांत के अंतर्गत किसान संघ को कर्नाटक में प्रारंभ किया गया। वैज्ञानिक रूप से मूल्य निर्धारण न होने के कारण किसान लोग कर्ज के उलझन में फस गये हैं। ग्रामों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास नही हुआ है उन्हे विकास करना चाहिए। किसानों के स्वाभिमान के लिए स्वतंत्रता के लिए धक्का लगनेवाले जब्ती कार्य को रोकना चाहिए। स्थानीय प्राकृतिक संपदा में स्थानीय ग्रामों के लिए हिस्सा मिलना चाहिए। लेवादेवी पद्धति को हटाना चाहिए इत्यादि ग्रामीण लोगों के पक्ष में प्रजासत्तात्मक माँगों को मंडन करते हुए कर्नाटक का किसान आंदोलन चल रहा है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

आज भी किसान लोग संगठित होकर आंदोलन चला रहे है। हाल ही में महदायी और कावेरी नदियों के पानी के बंटवार के संबंध में सरकार और न्यायालय देनेवाले फैसलों के विरुद्ध किसान लोग महत्वपूर्ण स्वाभीमान रूप से आंदोलनों को चलाया। यह स्मरणीय है।

क्रियाकलाप : *स्थानीय किसान लोग सामना करनेवाली चुनौतियों के बारे में किसानों के साथ संवाद, समूह चर्चा करने के लिए छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए।*

श्रमिक आंदोलन : श्रमिक आंदोलन अथवा श्रमिक संघ यह प्रायः उद्यम करनेवाले लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाला संगठन है। उद्यम करने के लिए अच्छा सा वातावरण शिष्टाचारयुक्त बर्ताब श्रमिक और उद्यम से संबंधित कानूनों के लागू करने के लिए सरकार पर दवाब डालकर श्रमिक संगटनों द्वारा चलानेवाले आंदोलनों को श्रमिक आंदोलन कहा जाता है। कुछ देशों में श्रमिक आदोलन राजनीतिक पक्षों के भी संगटन है। औद्योगिक पूँजीशाही शोषण के विरुद्ध समकालीन रूप से श्रमिकों के पक्ष के सिद्धांत भी बढता आया है।

यूरोप के राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति से कृषिक्षेत्र में रोजगार के अवसर कुंठित होकर औद्योगिक क्षेत्रों की ओर श्रमिकों के जाना अधिक हो गया उस समय में श्रमिकों को अधिक रूप से उद्यम में लगाने का मनोभाव अधिक हो गया। इसे खंडन करके श्रमिक लोग संगठित हुए। 19 वीं शताब्दी में सारे जगत में औद्योगिकिकरण वाले प्रदेशों में श्रमिक-पक्ष और ट्रेड-यूनियन मजदूरों का संघटन किया गया। 'The International Working men's Association' यह लैंडन में 1864 में आरंभ होनेवाला पहला श्रमिक संगटन है। इस संगटन का प्रमुख उद्देश्य था मजदूरों के हित रक्षा की रक्षा करना था। प्रतिदिन के लिए सिर्फ 8 घंटों तक कार्य करने का कानून लागू कराना था। इन उद्देश्यों से आरंभ होनेवाला श्रमिक आंदोलन 19 वीं शताब्दी के मध्य भाग के तदनंतर जागतिक रूप में विस्तार हुआ।

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 1923 में सरकार ने भारतीय श्रमिक अधिनियम को जारी में लाया। इस अधिनियम श्रमिक संघटनों के लिए अनुकूल बन गया 1923 के श्रमिक अधिनियम के अनुसार संगठनों के लिए प्रशासनिक अनुमति भी मिली। बाद में अनेक श्रमिक संगठन प्रारंभ होकर आज भी श्रमिकों के हित के लिए धक्का लगने पर उसके विरुद हडताल कर रहे हैं। हमारे देश में भी अनेक श्रमिक संगठन रहकर वे अपने संघर्ष को आगे बढाया है।

अस्पृश्यता आचरण विरुद्ध आंदोलन : श्रेणीकृत जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता मानव विरोधी बर्ताव है। संविधान अंगीकरण करने के पूर्व में अछूतो को नहीं छूना चाहिए। वे समीप नही आना चाहिए और उन्हे देखना नही चाहिए। ऐसी भावनाएँ थीं।

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अस्पृश्यता आधारित सामाजिक आचरण अस्पृश्य होने के कारण से दलितों पर होनेवाले किसी भी प्रकार की मारपीट को मानवीय और सम समाज की भूमिका में जाति आधारित सामाजिक शोषण के विरुद चलनेवाले लोगों के आंदोलन ही अस्पृश्यता आचरण विरोध आंदोलन हैं। अस्पृश्ता से पीडित समुदाय अपने सामाजिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए निरंतर रुप से संघर्ष करते आये है। उसका संक्षिप्त इतिहास आगे देखेंगे।

अस्पृश्यता आचरण प्रतिरोध आंदोलन का इतिहास : अस्पृश्यता आचरण विरुद्ध इतिहास को 19 वीं शताब्दी से देखा जा सकता है। महराष्ट्र के ज्योतिराव फुले ने अस्पृश्य और पिछडे वर्ग के लोगों का एक आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था चातुर्वर्ण आधारित मानव विरोधी आचरणों और उनकी प्रबलता को रोकना। इसी आशय से 1917 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि भागों में अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलनों ने जन्म लिया। 1925 में पेरियार रामस्वामी नाय्कर ने आत्मगौरव आंदोलन को प्रारंभ किया।

डा.बी.आर. अंबेडकर के विचार और संघर्ष के साथ अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन तीव्र रूप पा लिया। 1930 के रौंड टेबुल कान्फरेन्स (गोल मेज परिषद) में अंबेडकर ने कहा कि हम भी शासन करने वाले वर्ग बनना चाहिए। अंबेडकर निरंतर दलितो के सभी तरह के अधिकार के लिए संघर्ष करते आये।

डा. बी. आर. अंबेडकर अपने राजनीतिक क्रियाकालापों की जिंदगी में सामाजिक रूप से शोषित अस्पृश्य और महिलाओं के अधिकार का प्रतिपादन किया। तब अस्पृस्य दलित के हित के पक्ष में कोई भी पत्रिका उनके बारे में नही लिखती थी। 'मूकनायक' पत्रिका प्रारंभ करके अस्पृश्यता आचरण के विरुद्ध बहुत बडा आंदोलन के कारणीभूत बन गये। गाँधीजी भी अंग्रेजी शासन विरोधी आंदोलन को प्रमुखता देने पर भी अस्पृश्यता निराकरण करने के पक्ष में थे। आज भी आस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन को अनेक संगठन जारी हैं।

अभ्यास

I. नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्दों से खाली जगह भरिए :-

1. पर्यावरण आंदोलन _____ है।
2. नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व करने वाली _____ है।
3. डॉ. शिवराम कारंत _____ में अणुऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना का विरोध किया ।
4. महिला आंदोलन _____ है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

II. नीचे दिए गए प्रश्नों को टोली में चर्चा करके दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए :-

1. सामूहिक बर्ताव के प्रकार कौन कौन से है बताइए?
2. महिला आंदोलन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए ।
3. भीड के स्वरूप बताइए ।
4. पर्यावरण आंदोलन का अर्थ और स्वरूप समझाइए।

III. क्रियाकलाप :-

1. आपके गाँव में महिला/पर्यावरण / दलित आदि आंदोलन में भागलेनेवाले लोगों से मुलाकात करके इन संघटनों का मुख्य उद्देश्य और रुपित कार्यक्रमों के विचारों का संग्रह कीजिए।
2. महिला आंदोलन से महिलाओं में सामाजिक मनोभाव और आत्मबल किस तरह वद्धि हुई है? इसके बारे में महिलाओं के साथ चर्चा कीजिए।

IV. योजना :-

1. कर्नाटक में पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए होने आंदोलन के बारे में समाचार पत्र में विषय संग्रह करके आल्बम तैयार कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 4
सामाजिक समस्याएँ

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- बाल श्रमिक
- स्त्री-शिशु भ्रूण हत्या
- लिंग भेद की असमानता
- बच्चो की तस्करी और बिक्री
- बच्चों पर लैंगिक शोषण
- भूख और अपौष्टिकता
- बाल्य विवाह
- परिहार के लिए कुछ उपाय

बाल श्रमिक

छोटे बच्चों के उद्यम करने की स्थिति को बाल श्रमिकता कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार यदि 14 वर्ष से छोटे बच्चे आर्थिक उद्देश्य से उद्यम करते हैं तो उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है।

भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों पर शोषण और उनसे उद्यम कराना एक सामाजिक समस्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आज भी एक करोड 26 लाख बच्चे घरों में, सडकों पर, कारखानों और कृषि क्षेत्रों में जबरदस्ती से उद्यम करने को मजबूर हुए है। इसी प्रकार जगत् में 2 करोड 15 लाख बच्चे विविध क्षेत्रों में उद्यम कर रहे हैं। उद्यम करने से उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आरोग्य कुंठित होता है। बच्चे शिक्षा से वंचित होकर उनका कौशल विकास होने से पहले नष्ट हो जाता है।

बाल श्रमिक किसे कहते हैं? 14 वर्ष के अंदर के जिन बच्चे विद्यालय से बाहर होते हैं वे सभी बाल श्रमिक हैं। वे अर्थिक उद्देश्य से उद्यम करें या न करें, घर में रहें या बाहर रहें। विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्यालय नहीं जानेवाले सभी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ऐसा हो तो 15 वर्ष के बाद के बच्चे उद्यम के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं। 2016 में कानून में सुधार लाकर किशोरावस्थावालों के उद्यम करने पर मना किया गया। बाल श्रमिक पद्धति पर निषेध और निर्बंध अधिनियम 1986 के लिए सुधार लाकर किसी भी बच्चे या किशोरावस्थावाले किसी भी खतरेवाले क्षेत्र में उद्यम नहीं करना है। और कोई भी 14 वर्ष के अंदर के बच्चों को उद्यम/काम/गुलाम/वेतन/पारिश्रमिका - के लिए नहीं लगाना है। वह दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।

बाल श्रमिक, किशोरावस्था के बच्चों के उद्यम पद्धति निषेध और प्रतिबंध अधिनियम - 1986 (2016 के सुधार के अनुसार) (Child and Adolecent Labour Prohibition and Regulation Act 1986 (As Amended In July 2016)

© KTBS not to be republished

www.textbookpdf.in

1. इस अधिनियम के अनुसार 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को, किसी भी कारण से किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी उद्योग नही कराना है और उद्योग में नही लगाना है। इस अधिनियम के परिच्छेद 14 के अनुसार किसी भी बच्चे को उद्यम में लगाने से 2 साल तक जेल और 50,000 तक जुर्माना लगाया जाता है।

2. किसी परिवारवाले भी उनके खेती-बाडी के कार्य के लिए व्यापार में उनके 14 साल के बच्चे को उनके बच्चों को भी, विद्यालय अवधि में उद्यमों में नही लगाना है। यदि उद्यम में लगाये तो बच्चे के माँ-बाप या परिवारवाले, मालिक अपराधी बनते हैं। उनके लिए 10,000/- जुर्माना लगाया जाता है।

3. इस अधिनियम 15 से 18 वर्ष के अंदर के बच्चे को किशोर कहा जाता है। साथ ही 15 से 18 वर्ष के अंदर के बच्चों को खतरेवाले क्षेत्र में उद्यम नहीं कराना है। यदि ऐसा उद्यम कराने से 2 साल तक कारागार और 50,000 जुर्माना लगाया जाता है।

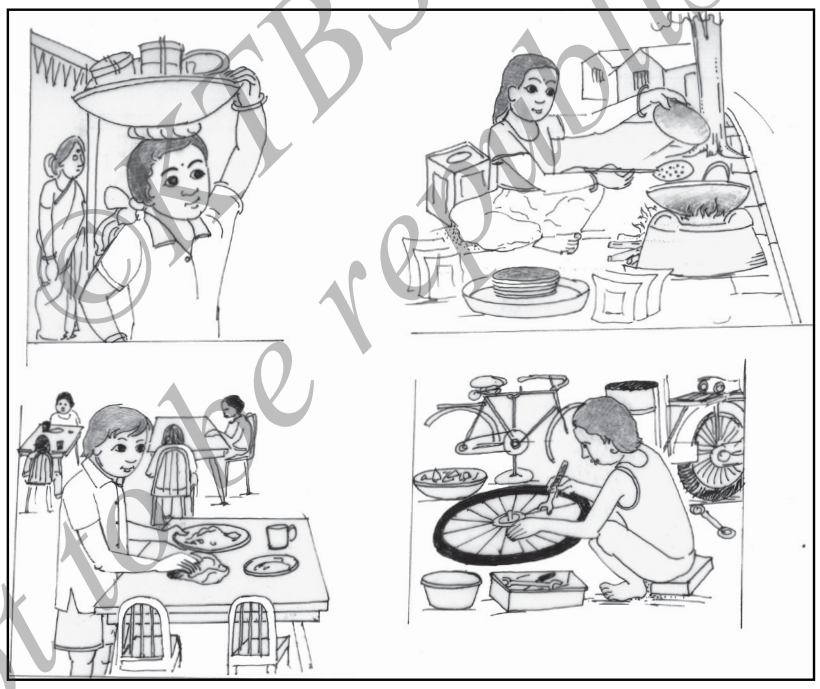

इस अधिनियम 1948 के औद्योगिक अधिनियम में पहचाने गये 29 क्षेत्रों के साथ 2 और क्षेत्रों को मिलाकर कुल 31 क्षेत्रों को खतरेवाल औद्यम के रूप में पहचाना गया है। उदाहरण के लिए खान उद्यम, बारुदी वस्तुओं की तैयारी करने जलनशील सामाग्रियों के उत्पादन इकाई, लोहे और इस्पात उत्पादन इकाई, मोटार साइकिल और वाहनों की दुरस्ती, सिमेंट, रब्बर, रासायनिक पदार्थ उत्पादन इकाई, जैसे उद्यमों में 18 वर्ष के अंदर के कोई बच्चों को उद्यम के लिए नही रखना है। अगर उद्यम में लगाये तो यह दंडार्ह अपराध है।

© TBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

बालश्रमिकता के कारण :

1. बाल अधिकारों को गौरव देने उनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक सामाजिक परिवेश का न होना, बच्चों के उद्यम, बाल्य विवाह, बच्चों की तस्करी और बिक्री करना आदि प्रमुख कारण है। कम पारिश्रमिक के लिए अधिक उद्यम कराने चाह रखनेवाले मालिक वर्ग के स्वार्थ अधिक लाभ का उद्देश्य, बाल श्रमिक को अधिक करने का कारण बन गया हैं। होटल, छोटे उद्योग, पटाखा तैयार करने की इकाइयाँ, असंगठित उद्यम क्षेत्र, अकाल से होनेवाले कृषि समाज की समस्याएँ, स्थानांतरण, अभिभावकों के दुर्व्यसन आदि बालश्रमिक के कारण है।
2. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाधिकार, का प्रभावयुक्त रूप से अनुष्ठान न होना सभी बच्चों को 10 वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा संपूर्ण रूप से नि:शुल्क न मिलना, बाल श्रमिकता को बढावा देती है। परिवार की आर्थिक स्थिति, निम्नतम पारिश्रमिकत, भूसुधार अधिनियम के अनुष्ठान में कमी भी बाल श्रमिकों को बढावा देती है।

बाल श्रमिकता के बुरे प्रभाव :

1. बालश्रमिकता बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यंत गंभीर प्रभाव डालती है। बाल-श्रमिक जब युवक बनते हैं तब वे अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारों से पीडित होते हैं।
2. छोटी उम्र में उद्यम में भाग लेने से अधिगम की उम्र में शिक्षा से वंचित होकर वे निरक्षर बनते है। यह उनके अधिकारों को, स्वतंत्र को, छीन लेता है।
3. बाल श्रमिकता परिवार की सामाजिक गति, आर्थिक गति, को घटाती है। उन परिवारों में बच्चे बार-बार उद्यम से, अत्याचार से शोषण से पीडित होते रहते हैं। ऐसी समस्याएँ बाल्य विवाह, बच्चों की ब्रिक्री और तस्करी करनेवाले, समाज विरोधी कार्य के अवसर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप छोटी उम्र में बच्चे खासकर बच्चियो के अत्याचार, हिंसा, लैंगिक शोषण से पीडित होने की संभावना अधिक होती है। छोटी उम्र में ही विविध प्रकार की बीमारियों से पीडित होकर विकलांग होने की संभावना रहती है।

बाल श्रमिक पद्धति की हटाने के लिए एक सीधा, स्पष्ट और पहला परिहार है कि 18 वर्ष के अंदर के सभी बच्चे 100 प्रतिशत विद्यालय में प्रवेश लेकर 18 वर्ष तक निरंतर स्कूली शिक्षा को

क्रियाकलाप : *अगर आपके कोई साथीबाल श्रमिकता से पीडित होकर विद्यालय से बाहर हो तो तुरंत अध्यापकों को बताइए*

©RTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

पूरा करें और उसके लिए समग्र रूप में सभी का सहयोग, सहभागित्व समन्वयता ही परिहार है।

1. सभी संदर्भों में लिंग समानता को बनाए रखना।
2. मजबूर परिवार जीवन निर्वहण के लिए असहायक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को रोकना।
3. बाल्य विवह, बच्चों की तस्करी बिक्री रोकने के बारे में जानकारी देना।
4. बाल सुरक्षाधिकारों को पंचायत द्वारा जिम्मेदारी से निभाना।

ध्यान दीजिए : *2010 जनगणना के अनुसार भारत में आज भी 1 करोड़ 26 लाख बच्चे घरों में, सडकों पर, कारखानों में, और कृषि क्षेत्रों में बालश्रमिक होकर जबरदस्ती उद्यम कर रहे है। इसी प्रकार सारे जगत में 2 करोड़ 15 लाख बच्चे विविध क्षेत्रों में उद्यम कर रहे हैं।*

बच्चों का लैंगिक शोषण :

आज के दिनों में बच्चों पर विद्यालयों में परिवारों में सार्वजनिक स्थानों में अधिक होनेवाले, लैंगिक शोषणों को रोकने की दिशा में 'लैगिक अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम 2012' (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) जारी किया गया है। इस अधिनियम बच्चों पर होनेवाले लैंगिक शोषणों का विवरण इस प्रकार देता है 18 वर्ष के अंदर के किसी बच्चे पर (पुरुष और स्त्री) किसी भी प्रकार के लैंगिक उद्देश्य से शोषण, हिंसा, अत्याचार, उत्पीडन, मारपीट द्वारा करना अथवा असुरक्षित रूप से स्पर्श करने से उसे लैंगिक शोषण समझकर उन्हे दंड देने का कानून है। इस अधिनियम को (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) 19 जून 2012 में भारत सरकार ने जारी किया है।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश :

1. लैंगिक शोषण
2. जबरदस्ती/दुरुपयोग
3. लैंगिक हमला
4. तीव्र स्वरूप के लैंगिक हमला
5. लैंगिक उत्पीडन
6. अश्लील चित्र तैयारी के (चलचित्र) लिए बच्चों का उपयोग
7. अश्लील चित्र संग्रह

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

उपर्युक्त उल्लेख किए गए किसी भी प्रकार के लैगिक शोषण बच्चों पर हो तो हमले के स्वरूप के आधार पर दंड देंने के लिए इस अधिनियम में मौका दिया है।

स्त्री शिशु भ्रूण हत्या :

स्वाभाविक रूप से माँ के गर्भ में रहनेवाली स्त्री शिशु भ्रूण को विकास होने पर रोकना अथवा कानून का उल्लंघन कर हत्या करने को स्त्री शिशुभ्रूण हत्या कहा जाता है। आजकल हमारे समाजिक जीवन के लिए अधिक पीड़ा देनेवाली स्त्री शिशु भ्रूण हत्या से संबंधित सही सूचना मिलना कष्ट साध्य हो गया है। लेकिन स्त्री शिशु भ्रूण, हत्या को सूचित करने वाले अंश हमें मिलते हैं। स्त्री शिशु भ्रूण हत्या क्यों होती है। इसे समझने के लिए ये अंश बहुत प्रमुख हैं।

भारत की जनगणना के आधार पर 1961 में 0-6 के आयु के बच्चों की लिंग असमानता 1980 के बाद भी स्त्री शिशु की सख्या कम होकर बालकों की संख्या ज्यादा हुई है। 2001 के जनगणना के प्रकार प्रति 1000 पुरुषों को स्त्री की संख्या 933है तो 2012 में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या 940 है। लेकिन 0-6 आयु के बच्चों की लिंग असमानता प्रति 1000 बालकों के लिए 914 बालिका के प्रमाण में है। यू.एन. की जनगणा के अनुसार भारत में प्रति दिन 1600 बालिकाएँ गायब हो रही हैं। हर साल 6 लाख लडकियाँ गायब हो रही हैं यहाँ तक भारत में रहे कुल जनसंख्या में 100 मिलियम महिलाएँ गायब हुई हैं ।

कर्नाटक में 1991 में जनगणना के प्रकार एक हजार पुरुष को 960 महिलाएँ है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह 965 तक बढ गया है। संख्या की दृष्टि से यह बढती गयी है। इसी संदर्भ में 0-6 आयु के लिंग असंमानता देखने तो आतंक होता है। कर्नाटक में 1991 की जनगणना के अनुसार एक हजार पुरुष के लिए 960 बालिकाएँ हो तो यह 2001 में 949 को घट गया है।

प्रादेशिक रूप में देखे तो नगर प्रदेश में 80 प्रतिशत और ग्रामीण प्रदेश में 69 प्रतिशत नवजात शिशुओं का मरण हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ समीक्षा - 3 के प्रकार पिछले 10 वर्ष में नवजात शिशु के मरण में लडकों के मरण का प्रतिशत 53.6 है तो लडकियों के मरण का प्रमाण 34.6 प्रतिशत है। ऐसे ही जन्म के बाद के शिशु मरण के प्रमाण में लडको का 16.5 प्रतिशत है तो लडकियों की 19.3 प्रतिशत तक बढोत्तरी हुई है। यह हमें लडकियों के बारे में रहनेवाले असमधान को सूचित करता है।

पुरुष से ज्यादा महिलाओं की जीवितावधि ज्यादा होती है। लेकिन लडकियों के मरण प्रमाण बालकों से ज्यादा है। निम्न स्तर पर हमसे अयोजित स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम और लोगों को सही समय में, सही प्रमाण में पौष्ठिक खाना न मिलना इसके लिए प्रमुख कारण बन गया है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

स्त्री शिशु भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महिलाओ को समान अवसर देना मुख्य है। समान मानसिक स्थिति को महत्व देना चाहिए। दूसरी ओर घटती हुई लिंग असमानता को पहचानकर स्त्री शिशु भ्रूण हत्या को 1994 में जारी किये गये Per-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act (PCPNDT-1994) कानून के द्वारा रोकने का प्रयास करते जा रहा है।

फिर भी सामाजिक संस्कृतिक अंश स्त्री शिशु भ्रूण हत्या पर पाबंधी लगाने में पूर्ण प्रमाण में सफल नहीं हुए हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ में मध्यम वर्ग उच्च वर्ग और शिक्षितों में स्त्री शिशु भ्रूण हत्या अधिक रूप से दिखाई दे रही है। यह एक अत्यंत बडी चुनौती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से विकासित सामाजिक वर्गों में स्त्री शिशु भ्रूंण हत्या अंधिक रूप से हो रही है। लेकिन इस बुराई के मूल जडों को विवाह और जायदाद के विरासत में हम देख सकते है। एक ओर बेटी के विवाह का खर्च, दहेज, उसके ससुरालवालों के निरंत्तर शोषण, लैगिक शोषण और अत्याचार, सार्वजनिक स्थानों में स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचार आदि हो रहे है। दूसरी ओर विरासत के रूप में प्राप्त जायदाद का अधिकार बेटे को ही मिलना है. और एक कारण के रूप में दिखाई दे रहा है। यह पुरुष प्रधान स्त्रीशिशु भ्रूण हत्या को ज्यादा करना और म हिलाओं के बारे में रहनेवाले असमानता को बढानेवाले कारण बन चुके हैं।

क्रियाकलाप : *लडकियों के बारे में असमानत भावना अपने परिवेश में दिखाई गई तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए।*

भूख और अपौष्टिकता :

खाद्य और कृषि संस्था (F.A.O) एक व्यक्ति को प्रतिदिन के लिए आवश्यक कैलोरी प्रमाण को बताया है। बल्कि हर एक व्यक्ति के-उम्र, उद्यम, निवास करनेवाला प्रदेश, वातावरण आदि के आधार पर व्यक्ति के जीने के लिए कनिष्टतम शक्ति देनेवाले खाद्य की आवश्यकताओं को चिकित्सा समाजशास्त्रीय अध्ययन ने निर्धारित किया है।

निर्धारित खाद्य एक व्यक्ति को निरंतर रूप से यदि नही मिला तो वह भूख, हमें स्वस्थ रहने के लिए षिष्ठ, चर्बी विटमिन और लवण और अनेक प्रोषकांश सही प्रमाण में मिलना चाहिए। पोषकांश के अभाव को भूख कहते है। गरीब लोग प्रायः कैलोरी और पोषकांश दोनों से वंचित होते है। एफ.ए.ओ.के अनुसार भारत में प्रतिदिन के लिए कनिष्टतम औरतों को 1820 केलोरी आवश्यक है। कनिष्टतम आवश्यकता 1632 से निम्नस्तर के कैलोरियुक्त आहार प्राप्त करते है उन्हें भूख और पोषकांशों के अभाव से पीड़ितों के रूप में निर्धारित किया जाता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

भूख के संकेत

भूख के लिए कई पहलू होती हैं एक जो जीने के लिए आवश्यक भोजन न मिलना दूसरी ओर निरंतर खाद्य और पोषकांश की कमी से कमजोरी तीव्र अस्वस्थता विकलांगता, अकालिक मरण, भूख के संकेत ये अनेक पहलूओं से युक्त होती है। अकालिक मरण कनिष्ट भूख के पोषकांश की कमी और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए अभी मिले हुए आंकडे के आधार पर भूख के संकेत को रुपित किया गया है।

भूख के सूचक को निम्नलिखित तीन प्रमुख अंशों के औसत के द्वारा समझ सकते है। निम्नलिखित तीन अंशों को जोडकर तीन से भागकरने से आनेवाली संख्या भूख के संकेत हैं।

1. कनिष्टतम कैलोरीरहित आहार लेनेवालों के प्रतिशत मात्र ।
2. औसत से कम वजनवाले पाँच वर्ष के अंदर के बच्चों के प्रतिशत मात्र ।
3. पाँच वर्ष के अंदर के बच्चों के मरण के प्रतिशत मात्र ।

इन सूचकों को आधार रखकर जागतिक बैंक के अनुसार जागतिक स्तर पर तुलना करने से भारत में अधिक संख्या में बच्चे भूख और अपौष्ठिकता से पीडित है। इसी प्रकार कम वजनवाले बच्चे अधिक संख्या में भारत में ही है। यह शिशु मरण बच्चों की गति का, प्रजनन और आर्थिक विकास के साथ सह संबंधित है। 2015 में प्रकाशित जागतिक भूख के संकेत के अनुसार भारत 20 वी श्रेणी (रैंक) में है यह भारत में रहनेवाली भूख की गंभीरता को संकेत करता है।

अपौष्टिकता :

2011 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य समीक्षा - 4 (एच.एफ.एच.एस-4) के अनुसार कर्नाटक के ग्रामीण प्रदेश के 24.3 प्रतिशत महिलाओं का और नगर प्रदेश के 16.2 प्रतिशत महिलाओं की बाडी मास सूची (बी.एम.ई) कनिष्टतम स्तर से कम वजन के है। 6 महीने से 56 महीने के बच्चों में 60.9 प्रतिशत बच्चे रक्त की कमी से पीडित है. गर्भवतीयों में 45.2 प्रतिशत महिलाएँ रक्तहीनता से पीडित है। विवाहित महिलाओं में 80.4 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक निर्धारों में कम भाग लेती है। 79.5 प्रतिशत महिलाएँ अपने पति के ही शोषण से पीडित हैं।

33 प्रतिशत महिलाएँ और 28 प्रतिशत पुरुषों के बाडी मास सूची (बी.एम.ऐ) के निर्धारित कनिष्टतम स्तर से कम है। 15-35 महीने की आयु के 79 प्रतिशत बच्चे 15-49 आयु के 56 प्रतिशत महिलाएँ, यही आयु के 24 प्रतिशत पुरुष और 58 प्रतिशत गर्भवतियाँ आहार के अभाव और अपौष्टिकता से पीडित है। हाल ही में प्रकाशित साष्ट्रीय परिवार

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

स्वास्थ्य समीक्षा 15-16 (एन.एच.एफ.एस प्रतिवेदन 2015-16) के अनुसार कर्नाटक में 06-35 महीने की आयु के कुल बच्चों में 70.4 प्रतिरात बच्चे रक्त की कमी से पीडित हैं।

इस प्रकार रक्त की कमी से पीडित अधिक बच्चे गरीबी की रेखा से निचले परिवार के हैं। इन्हें खाद्य सुरक्षा देने के लिए कर्नाटक में सार्वजनिक रूप से खाद्य वितरण व्यवस्था के द्वारा गरीबी रेखा के निचले में रहनेवाले परिवारों को खाद्य पदार्थों को वितरण किया जा रहा है। आम तौर पर हम कह सकते हैं कि अपौष्टिकता देश की बडी समस्याओं में से एक है । जिसे निराकरण करने की दिशा को हर एक व्यक्ति, संगटन और सरकार को सोचना चाहिए।

लिंग - भेद की असमानता :

जेंडर या लिंगत्व महिलाओं और पुरुषों को पहचानने के लिए रहनेवाली एक परिकल्पना है। लिंग अनन्यता एक व्यक्ति स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने वाले चेतन, बर्ताव, शारीरिक, लक्षण और व्यक्ति के जीवन के अन्य अंशों से निर्धारित होती है। बल्की मात्र जैविक नही है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए और परस्पर संबंधित उनके स्थानों का संकेत करता है।

लेकिन आज लिंग संबंधी कहने से केवल महिला के लिए सीमित समझा जाता है। अभिवृद्धि सिद्धांत की परिकल्पना में सामान्य तौर पर महिलाओं के विषय को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अभिवृद्धि की प्रक्रिया से अधिकतर संख्या में बाहर रहने वाली बालिकाएँ और महिलाएँ ही होती हैं। ऐसी स्थिति में अभिवृद्धि को लिंग संबंधी आधार पर समझना मुख्य होता है।

लिंग-भेद असमानता के प्रकार :

विश्व के सभी भागों में लिंग असमानता है। लेकिन यह सभी जगह एक जैसी नहीं है। वह अनेक रूपों में है। लिंग संबंधि असमानता एक ही रूप का विषय नहीं हैं। यह निम्नलिखित समाजिक संबंधों से रूपित होती है। महिला और पुरुष के बीच के स्थूल असमानता को अमर्त्यसेन इस प्रकार विश्लेषण करते हैं।

जन्म प्रमाण में असमानता : पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों से लड़को को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए लिंग आधारित भ्रूण हत्या अनेक राष्ट्रों में सामान्य बन गयी है। यह मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण एशिया चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगपूर और तैवान राष्ट्रों में ज्यादा है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

मूलभूत सुविधाओं में असमानता : कुछ संदर्भों में आबादी के लक्षण महिलाओं के विरुद्ध नही होते हुए भी वह दूसरे प्रकार से व्यक्त होता है। एशिया, आफ्रिका और लैटिन अमरिका के अनेक राष्ट्रों में लडकों की तुलना में लडकियाँ स्कूल जाने का अवसर बहुत कम है। और सामाजिक कार्यकलाप में भाग लेने के लिए भी लडकियों को मौका नहीं है।

अवसर में असमानता : मूलभूत आवश्यकता स्कूली शिक्षा में ज्यादा असमानता नहीं दिखने पर भी उच्च शिक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। उच्च शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण में असमानता को युरोप और उत्तर अमेरिका के कुछ राष्ट्रों में भी देख सकते हैं।

स्वामित्व की असमानता : समाज में जायदाद में महिला और पुरुषों के बीच असमानता देख सखते हैं। मूलभूत जायदाद घर और भूमि जैसे स्वामित्व में भी लिंग असमानता है। इससे महिलाएँ वाणिज्य और वित्तीय कार्यकलाप में ही नहीं कुछ सामाजिक कार्य में भी बढने के लिए रुकावट आ रहे हैं। यह असमानता सारे विश्व में फैलने पर भी स्थानीय परिवेश के अनुसार बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में पैतृक जायदाद पर लडकों का अधिकार है। लेकिन केरल के नायर समुदाय में पैतृक जायदाद के बदले मातृसत्तात्मक अधिकार है। आजकल न्यायालय के फैसले के अनुसार पैतृक जायदाद में भारत की महिलाएँ भी हिस्सा ले सकती हैं।

पारिवारिक असमानता : सामान्य रूप से परिवार में लिंग संबंधी असमानता को देख सकते है। यह अनेक रूप में दिखाई देती है। कुछ परिवार में लिंग असमानता के कोई चिन्ह नहीं होता होगा। अर्थात् मरण प्रमाण में, बेटों पर प्यार, शिक्षा, व्यवसाय इनमें असमानता नही रहने पर भी गृह कार्य और बच्चों के पालन-पोषण का बोझ भी महिलाओं पर ही पड़ता है।

क्रियाकलाप : *लिंग असमानता के परिणाम के बारे में बच्चों के साथ संवाद, एकांकी और नाटकों को करवाना।*

बाल्य विवाह :

बाल्य विवाह हमारे समाज को परंपरा से पीड़ा देनेवाली एक समस्या है। ऐसा हो तो बाल्य विवाह क्या है? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

कानून के अनुसार बाल्यविवाह का अर्थ है 18 साल के पूर्व लड़की का या 21 साल के अंदर के लड़के का विवाह करे तो उसे बाल्य विवाह कहा जाता है। दोनों में कोई भी कानून के अनुसार उम्र

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

में छोटे हों तो वह बाल्य विवाह है। लड़के को 21 साल होना है और लड़की को 18 साल होना चाहिए नहीं तो वह शादी बाल्य विवाह है। इसके साथ 18 साल के अंदर की लड़की से कोई बड़े व्यक्ती शादी करे तो भी बाल्यविवाह हो जाता है। लड़की को शादी होने के लिए 18 साल पूर्ण होना चाहिए। इस तरह की शादी कानून सम्मत है। इस आयु के अंदर की कोई भी शादी कानून के विरूद्ध है और अपराध है।

बाल्य विवाह क्यों नही करना चाहिए? क्योंकि 18 वर्ष के अंदर के बच्चे को शादी करे तो कानूनी तौर पर अपराध है। कोई भी लडकी 'शादी' के बंधन में पडना हो तो उसके शरीर, मन, गर्भकोश, मानसिक, बौद्दिक, शारिरिक सामर्थ्य का विकास होने के लिए 18 साल होना चाहिए। मानव समाज में विवाह इसलिए लडकी शादी होने के बाद गर्भस्थ होना और बच्चे को जन्म देना सहज प्रक्रिया है। लडकियाँ गर्भस्थ होने के लिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत प्रमुख है। चिकित्सा क्षेत्र के संशोधन के अनुसार लडकियाँ गर्भस्थ होने के लिए, गर्भकोश के सही विकास के लिए 18 साल होना चाहिए। तब ही वह भ्रूण 9 महीने तक सशक्त रूप से विकसित होता है। नही तो भ्रूण के विकास में बाधा और रक्तस्राव होकर भ्रूण के मरने की संभावना और 18 साल से कम उम्र में गर्भवती होने से बच्चे को जन्म देते समय माँ का मरण भी हो सकता है। इन सभी कारण से अनिवार्य रूप में 18 साल के बाद ही लड़कियों को शादी करनी चाहिए इस तरह का कानून बनाया गया है। इसलिए लड़कियों को 18 साल पूर्ण होने पर ही शादी करनी चाहिए।

बच्चे के शारिरिक और मानसिक विकास के पूर्व की शादी, कानून में बाल्य विवाह समझकर दंडार्ह अपराध माना जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से न होने के कारण उनके पैदा होनेवाले बच्चे का शारिरिक विकास कुंठित हो जाता है। इसलिए कानून में बाल्यविवाह को मना किया गया है। इसे रोकने के लिए कानून भी किया गया है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले बाल्य विवाह के कारण के बारे में चर्चा करेंगे।

बाल्य विवाह के लिए कारण :

1. बाल्य विवाह का प्रमुख का कारण है 'लिंग असमानता' ऐसा विश्वास है कि लड़कियाँ दूसरे घर जानेवाली हैं। इसलिए लड़की को जल्दी शादी करना है लडका और लडकी के बीच के भेद भाव आजकल बाल्य विवाह का प्रमुख कारण है। विशेष रूप से 'बाल्यविवाह' के लिए बाल्यविवाह ही कारण है। पहले बाल्यविवाह होनेवाले परिवार की पद्धति के अनुसार उसे ही आगे बढाते है। 'बाल्यविवाह' का प्रमुख कारण 'निरक्षरता', बाल श्रमिकता, बच्चों की तस्करी और बिक्री । छोटी उम्र में स्कूल न जाकर बाल श्रमिक होते हैं तो आगे वे अनपढ होकर 'बाल्यविवाह' समस्या से पीडित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि गरीब परिवारवाले 8 वी कक्षा या 10 वी कक्षा तक पढाई करने से वे अपने बच्चों को 18-21 साल के अंदर शादी नही कराते। इसलिए 18 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही प्रमुख पात्र निभाता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

2. कानून के कनिष्ठस्तर के अनुष्ठान और उपयोग की कमी, शिक्षण व्यवस्था में कानून के अनुष्ठान की कमी, समाज/समुदाय/सार्वजनिक असहकार बच्चों के अधिकार और बच्चों के विकास कार्यक्रम में दोषपूर्ण अनुष्ठान।

बाल्यविवाह निषेध अधिनियम - 2006

भारत के सभी राज्यों के लिए यह कानून लागू होता है। कुछ सुधार के द्वारा 2006 में बाल्य विवाह निषेध अधिनियम का जारी में लाया गया है। पहले 1929 और 1986 में था। लेकिन भारत बाल अधिकार के समझौते पर 1992 दिसंबर 11 में हस्ताक्षर करने के बाद, कुछ बाल स्नेही बदलाव के साथ नये कानून को जारी में लाया गया।

वधू या वर में कोई भी एक या दोनों भी छोटे होने पर वह अपराध है। कोई छोटी लड़की से बडे व्यक्ति शादी करे तो वह दंडार्ह अपराध है इस तरह के बाल्यविवाह (बच्चों को छोडकर) करने वाले, करानेवाले, प्रेरणा देने वाले, मदद करनेवाले, भागलेनेवाले सभी को 2 साल जेल, 1 लाख जुर्माना का दंड भोगना पडता है। इस अधिनियम के कॉलम 9,10,11 के प्रकार बाल्य विवाह करनेवाले पुजारी, रसोईवाले, शामियानवाले, फोटोग्राफर, विडियोग्राफर, शहनाईवाले, वाहन चलानेवाले शादी में भागलेनेवाले सभी अपराधी बन जाते हैं।

प्रमुख रूप से वधू/वर के माता-पिता, परिवारवाले और विवाह मंडप के मुखिया भी अपराधी बनते है। इस कानून के अनुसार निमंत्रण पत्र टाईप करनेवाले, छपानेवाले भी अपराधी होते है क्योंकि बालविवाह बालाधिकार का उल्लंघन है। इस के लिए जो सहकार देता है अथवा उसका विरोध न करके भाग लेने से अथवा हमारे सामाजिक दायत्वि को भूलने पर वह बालाधिकार और मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इस दृष्टि से वे सब अपराधी होते है। कानून स्पष्ट करता है कि देश के नागरीकों को अपने सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए।

बाल्य विवाह से होनेवाले बुरे प्रभाव :

बच्चों के सर्वांगीण विकास कुंठित होकर, वे प्रश्न करने के स्वतंत्र को खो जाते हैं। इसके फलस्वरूप बच्चों पर शोषण, उपेक्षा, हिंसा, अत्याचार और लैंगिक शोषण अधिक होते हैं। सभी बालाधिकारों का उल्लंघन - बचपन, शिक्षा, मनोरंजन, मित्रों के साथ पारस्परिकता के लिए धक्का, अपौष्टिकता, खून की कमी, अस्वस्थता, गर्भपात, शिशु-म रण, माता का मरण आदि के लिए कारण बनता है। विशेष रूप से लडकियाँ छोटी उम्र में ही विधवा बनने की संभावना अधिक होती है। लडकियों के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा न रहकर शोषण से पीड़ित होने के संदर्भ आधिक होते है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

बाल्य विवाह का निराकरण कैसे?

कर्नाटक राज्य सरकार ने करीब 47 विविध स्तर के अधिकारियों को बाल्य-विवाह रोकने के लिए नियुक्त किया है। इस प्रकार बाल्य विवाह कहीं भी घटने पर हम शिकायत कर सकते हैं। सर्व प्रथम बाल-सहायवाणी 1098 को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करनेवाले अपना नाम बोल भी सकते हैं या नहीं भी। स्थानीय किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, ग्राम लेखाकर, पंचायत विकासाधिकारी (पी.डी.ओ) को नगरों में स्वास्थ्य निरीक्षक, अथवा पुलिस ठाणे को शिकायत कर सकते हैं। ये सब बाल्य विवाह रोकने वाले अधिकारी हैं। यदि बाल्यविवाह हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने और पुलिस ठाणे को कानून के मुताबिक शिकायत/मुकद्दमा दर्ज करनेवाले यहीं हैं। तहशील/जिला स्तर के सभी अधिकारी बाल्य विवाह रोकने के अधिकारी होते हैं। इन्हें किसी भी समय में बाल्य विवाह के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

बाल्य विवाह से बचने के उपाय

1. 18 वर्ष तक के कोई बच्चे विद्यालय/कॉलेज से दूर न होकर 100 प्रतिशत सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। विद्यालय में उपस्थिति के साथ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनाना।

क्रियाकलाप : *आपके कोई साथी के बाल्य विवाह होने की स्थिति दिखाई देने पर तुरंत बालाधिकार सुरक्षा समिति को सूचित करें*

2. लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, बालिकाओं का सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। कहीं पर भी बाल्य विवाह होने पर शिकायत करना, खंडन करना।

बच्चों की तस्करी और बिक्री

अत्यंत तेज गति से विकास होनेवाले समाज में इसी तेज से अच्छे और बुरे अंश भी बढ रहे हैं। उसमें समाज के लिए अत्यंत चुनौती बनकर विश्व को बड़े उत्पीड़न और शोषण है मानव की तस्करी (Human Trafficking). आज विश्व में शस्त्रास्त के तस्करी के बाद मानव की तस्करी। मानव की तस्करी में 70% प्रतिशत महिलाएँ और बच्चें ही पीडित हैं। 2012-13 में विश्व संस्था अनुमान लगाया है की हर साल 32 बिलियन रुपयों तक मानव की तस्करी का व्यवहार चल रहा है।

भारत में वेश्यावृत्ति जैसे अनिष्ठ पद्दति में बच्चों को लगाना बाल्य विवाह करना फिर लैंगिक शोषण के लिए लगाना, यह कुछ गरीब परिवार में माता पिता को ही मालूम हुए मामले थे। लेकिन कुछ मामले में गली में भटकनेवाले दलाल लोग रिश्ते - दारों के बेटे

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

लड़की से प्यार का नाटक करके काम देने को आश्वासन देकर उन्हे ले जाकर लैंगिक धंधे के घर को बिक्री करने का मामले भी हैं। कन्नड़ विश्व विद्यालय के अभिवृद्धि अध्ययय संशोधन के संदर्भों में कुछ युवतियों का कहना है कि मुंबई में घरवाली (अपना या किराया)के रूप में काम करने वाली महिलाओं के भाई, बेटे गाँव में ऐसे दलाल का काम कर रहे हैं।

वे आस पास के गाँव में घूमते-घूमते लड़कियों के घर की समस्याओं पर निगरानी करके उनको कुछ पैसे देकर उनकी लड़कियों को ले जाते हैं। कुछ मामले में लड़कियों को ही सीधे प्रेरणा देकर उन्हें ले जाकर लैगिक धंधावाले घर में ले जाने का उदाहरण भी है। आजकल छोटी लड़कियों को चॉकलेट देकर, मेले में ले जाना, चल-चित्र दिखाना, नये कपड़े दिलाने के लालच दिखाकर लैंगिक धंधा के घर में बिक्री करने का उदाहरण भी है। कन्नडविव विद्यालय अभिवृदि अध्ययन संस्था के संशोधन में वेश्या बननेवालों में 4 प्रतिशत मामलों में छोटी उम्र में ही बिक्री होनेवाली थी। इस विषय में हमें जागृत रहना चाहिए। इसके अलावा हमारी शाला के आस पास कोई अपरिचित व्यक्ति से व्यवहार करते वक्त उनके बर्ताव को बहुत गौर से देखना। उनके बारे में कोई संदेह हो तो शिक्षकों या अभिभावकों को बताना चाहिए।

बच्चों की तस्करी क्या है? 18 वर्ष के अंदर के कोई भी व्यक्ति (देश के अंदर या बाहर) रोजगार के लिए भरती, तस्करी, स्थानांतरण, आश्रय, भेजना, स्वाधीन में लेना या शोषण के उद्देश्य से करने वाले काम को बच्चों की तस्करी कहा जाता है। तस्करी से पीडित 27 प्रतिशत जबरदस्ती के उद्यम में रहने से, 27 प्रतिशत घर के काम में 46 प्रतिशत लैंगिक शोषण से पीडित हैं। जबरदस्ती काम में लगाये गये बच्चों को भीख माँगने के लिए मजबूर किया जाता है।

बच्चों की तस्करी के लिए कारण

बालश्रमिकता, बाल्यविवाह, स्कूल छोडना, गरीबी, परिवार में बच्चों पर उपेक्षा, गुलामी पध्दति प्रमुख कारण हैं। अनियमित रूप से स्थानंतरण बढ़ती हुई तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग, सामाजिक असमानता, लिंग असमानता, कौशल की कमी बढ़ती हुई कर्ज का बोझ असमान व्यापार संबंध ये सब कारण बन रहो हैं।

हानियाँ : बच्चों के विकास के लिए मारक है शारीरिक और लैंगिक शोषण से पीडित बच्चों की मृत्यु और गंभीर बीमारी से पीडित/ हेच.ऐ.वी/लैंगिक बीमार, अनावश्यक गर्भधारण, जबरदस्ती गर्भ धारण, हत्या, नशीले पदार्थ के दुर्व्यसन आदि सब समाज के स्वार्थ में कलंक लाने का सामाजिक चुनौती बन गयी हैं।

अनैतिक मानव तस्करी पर प्रतिबंध अधिनियम - 1956 को सुधार लाकर किसी भी बच्चे, महिला, मानव तस्करी को निषेध किया है। इसमें कोई भी बच्चों को महिलाओं को

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

धन या कोई भी लालच दिखाकर जबरदस्ती करके कानून के विरुध्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से वह बच्चे महिला की तस्करी बनती है। इन पर ऐ पी सी 370 पर मुकद्दमा दाखिल करके उनको 10 वर्ष या आजीवन कारागार सजा दे सकते हैं।

कुछ परिहारोपाय :

बाल अधिकार अनुष्ठान और बाल श्रमिकता, बाल्य विवाह बच्चों की तस्करी बच्चों पर लैंगिक शोषण से मुक्त कराने के लिए कुछ कारवाही कर सकते हैं।

1. सभी सरकारी / अनुदानित / अनुदानरहित शालाओं में बाल अधिकार क्लबों की रचना को अनिवार्य रूप से अनुष्ठान में लाना।
2. सभी सरकारी / अनुदानित / अनुदानरहीत शालाओं में बाल सुरक्षा समिति बनाकर अनिवार्य रूप से अनुष्ठान में लाना।
3. राज्य के सभी ग्राम पंचायत में हर साल बच्चों के लिए ग्राम सभा का आयोजन करके उस ग्राम पंचायत व्याप्ति के 18 साल के अंदर के बच्चों की समस्याओं को सुधारना।
4. राज्य के सभी ग्राम पंचायत, तहसील और जिलास्तर में बाल अधिकार सुरक्षा समिति की रचना करके दो महीने में एक बार सभा का आयोजन करके 18 साल के अंदर के सभी बच्चो की समस्याओं को सुधारना।
5. राज्य के सभी ग्राम पंचायत तहसील और जिलास्तर में अनिवार्य रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी और बिक्री रोक समिति की रचना करके हर दो महिने में एक बार महिलाओं और बच्चों की तस्करी की किसी भी प्रकार घटना न घटने की तरह जाँच पड़ताल करना। सभी महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा ग्राम। तहसील, जिला करके पंचायत में बालश्रमिक, बाल्यविवाह, बच्चे और महिलाओं के तस्करी मुक्त पंचायत करना।
6. राज्य के प्रति बालवाडी केंद्र में 'बालिका संघ' का प्रारंभ करके उसमें 11-18 वर्ष के उस केंद्र में प्रदेश के सभी बालिकाओं को मिलाकर उनमें लिंगत्व, लिंग असमानता, लिंग समानता, बाल श्रमिकता, बाल्य विवाह, बच्चों की तस्करी, लैंगिक शोषण सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूली शिक्षा का महत्व, टीका लगाना, किशोरावस्था के विकास स्वास्थ्य संबंधी एच.ऐ.वी/ ऐड्स के बारे में सूचना, पौष्ठिक आहार, शौचालय का उपयोग स्वच्छता, बाल आधिकार, बालकानून, सरकारी सुविधाएँ और अनेक सूचना देकर लड़कियों को सशक्त करना है।

उपर्युक्त ये सभी अंश सरकारी परिपत्र, आदेश, आशय के अनुरूप ही हैं। इन सबको बच्चे, नागरीक, अभिभावक, सरकार के विभाग, अधिकारीवर्ग मिलकर अनुष्ठान करना चाहिए ।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अभ्यास

I. नीचे दिए गऐ वाक्यों में खाली जगह भरिए :-

1. संविधान की __________ विधि बाल श्रमिकता कानून के विरुद्ध है - इसकी घोषण की है।
2. "बाल्य विवाह प्रतिबंध" अधिनियम जारी किया गया वर्ष __________ है।
3. बाल श्रमिक कल्याण के लिए __________ में "राष्ट्रीय नीति की जारी हुई।"
4. स्त्री शिशु भ्रूण हत्या प्रतिबंध अधिनियम __________ में जारी की गई।
5. लैंगिक अपराध से बाल सुरक्षा अधिनियम __________ में जारी की गई।

II. इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए :-

1. भारत के कोई दो सामाजिक समस्याओं का नाम लिखिए?
2. बाल श्रमिक किसे कहते हैं?
3. स्त्री शिशु भ्रूण हत्या किसे कहते हैं?
4. बाल्य विवाह किसे कहते हैं?
5. लैंगिक असमानता किसे कहते हैं?
6. बच्चों की तस्करी और ब्रिक्रि किसे कहते हैं?

III. इन प्रश्नों को टोली में चर्चा करके उत्तर लिखिए :-

1. बाल श्रमिक समस्या के लिए कारण क्या है? बताइए?
2. बाल्य विवाह के परिणाम कौन-कौन से है?
3. बालश्रमिक की समस्या के परिहार के उपाय कौन-कौन से हैं? विवरण दीजिए।
4. स्त्री शिशु भ्रूण हत्या के बुरे प्रभाव कौन कौन से हैं?
5. लैंगिक अनुपात के प्रकार कौन-कौन से हैं?
6. भूख के बुरे प्रभाव को बताइए?

IV. क्रियाकलाप :-

1. आपके गाँव के सामाजिक समस्या की सूची करके उनके परिहारोपाय लिखिए।

V. योजना :-

1. आपके विद्यालय में कानूनी विशेषज्ञ को बुलाकर बाल श्रमिकता, बाल्यविवाह स्त्री-शिशु भ्रूण हत्या,लिंगानुपात आदि समाजिक समस्याओं के बारे में व्याख्यान और चर्चा का आयोजन कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

भूगोल

अध्याय - 8

भारत के खनिज तथा शक्ति संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- खनिजों का अर्थ तथा महत्व।
- भारत के प्रमुख खनिज, उनकी उत्पत्ति, वितरण तथा उत्पादन।
- शक्ति संसाधन - अर्थ तथा महत्व।
- प्रचलित शक्ति स्रोत - कोयला, पेट्रोलियम तथा परमाणु शक्ति।
- भारत में विद्युत शक्ति का अभाव तथा समाधान।

© KTBS Not to be republished

खनिजों का अर्थ एवं महत्व

खनिज एक प्राकृतिक अजैविक मूल धातु है। जो निश्चित रासायनिक संयोग तथा भौतिक विशेषताओं से युक्त होता है। उदा : लौह खनिज, मैंगनीज़, बाक्साइट, इत्यादि। भूमि से बाहर खनिजों को निकालने के कार्य को 'खानों से खुदाई' कहते है।

खनिज प्रकृति की देन है। देश की समृद्धि में इनका महत्व पूर्ण स्थान है। ये उद्योग धन्धो, निर्माण कार्य, यातायात तथा संपर्क विकास, व्यापार और वाणिज्य उद्योग के विकास में काफी सहायक हैं। कुछ खनिज तो बहुमूल्य होते हैं जैसे सोना, हीरा, आदि। भारत ऐसे विविध खनिज सम्पदा से समृद्ध है।

प्रमुख खनिज

लौह खनिज : यह लौहतत्व वाला खनिज है। लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए यह अत्यंत प्रमुख कच्चा माल है। भारत में अपार लौहनिक्षेप है। जो कई राज्यों में देखे जा सकते है। किंतु कुछ राज्यों में समृद्ध रूप से लौह उपलब्ध है।

उदा : उडीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ, झारखण्ड, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। ये प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है।

उडीसा भारत का सर्वाधिक लौह खनिज उत्पादक राज्य है। इस राज्य में लौह निक्षेप अधिकतर मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ तथा कटक जिलों में लौह निक्षेप हैं। छत्तीस गढ़ में बस्तर, दुर्ग तथा जबलपुर, झारखंड में सिंहभूमि, पलमावु, धनबाद तथा हजारीबाग,

क्या आप जानते है :

खनिज *- जिस निक्षेप से खनिज प्राप्त होता है। वही कच्चा खनिज है।*

खनिज शास्त्र *- खनिजों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन ही खनिजशास्त्र है।*

www.textbookpdf.in

कर्नाटक में संडूरु, होसपेट, केम्मणगुंडी तथा कुद्रेमुख में लौह खनिज के निक्षेप है। गोवा, तमिलनाड़, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में भी लौह खनिज पाये जाते है।

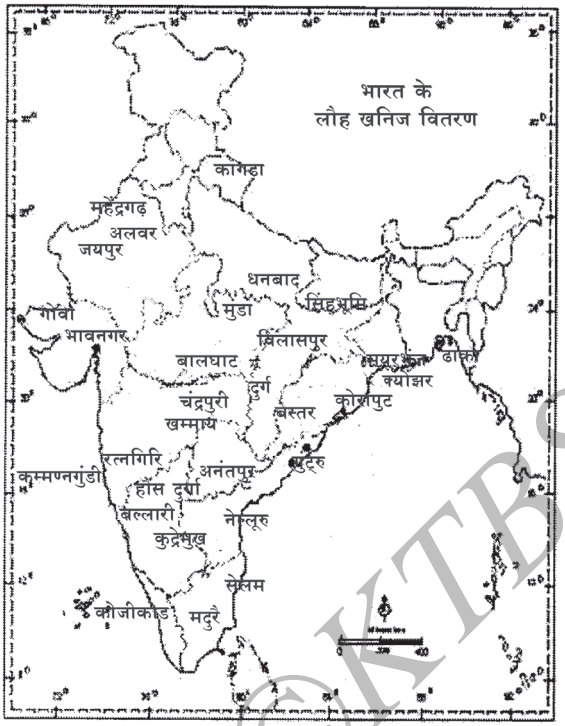

भारत विश्व का 4था (चौथा) प्रमुख लौह उत्पादक देश है। यह अपने कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत भाषा अपने लौह-इस्पात उद्योग-घन्धों में उपयोग करता है। शेष भाग को निर्यात करता है।

मैंगनीज : यह अत्यंत प्रमुख लौह मिश्रित खनिज है। इसे अधिकतर इस्पात तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैटरी, रंग, शीशे, चीनी मिट्टी की वस्तुएँ तथा छींटदार (क्यालिको) छपाई के लिए उपयोग किया जाता है। मैंगनीज प्रिंट उत्पादक देशों में विश्व में भारत एक उत्पादक तथा निर्यातक देश है। उडीसा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक राज्य हैं। इनये देश की अधिकतम मात्रा में मैंगनीज निक्षेप वाला राज्य उडीसा है। यह उत्पादक भी है। इस राज्य के सुंदरगढ, कालहंडी तथा कोरापुट जिल्लों में उत्तम स्तर का मैंगनीज निक्षेप मिलता है।

महाराष्ट्र में नागपुर, भंडार, रत्नगिरि, मध्यप्रदेश में बालघाट, छिंदवाडा, जबलपुर तथा दीवास, कर्नाटक में उत्तर कन्नडा, शिव्मोग्गा, बल्लारी, चित्रदुर्गा में उत्तर कन्नडा, शिवमोग्गा, बल्लारी, चित्रदुर्गा तथा तुमकूर जिले भारत के अन्य प्रमुख मैंगनीज उत्पादक भाग है। तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, झारखंड तथा बिहार राज्यों में भी मैंगनीज उत्पादन होता है।

विश्व में भारत पाँचवाँ प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश है। भारत अपने शेष मैंगनीज को जापान, ब्रिटेन, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र तथा बेल्जियम देशों को निर्यात करता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

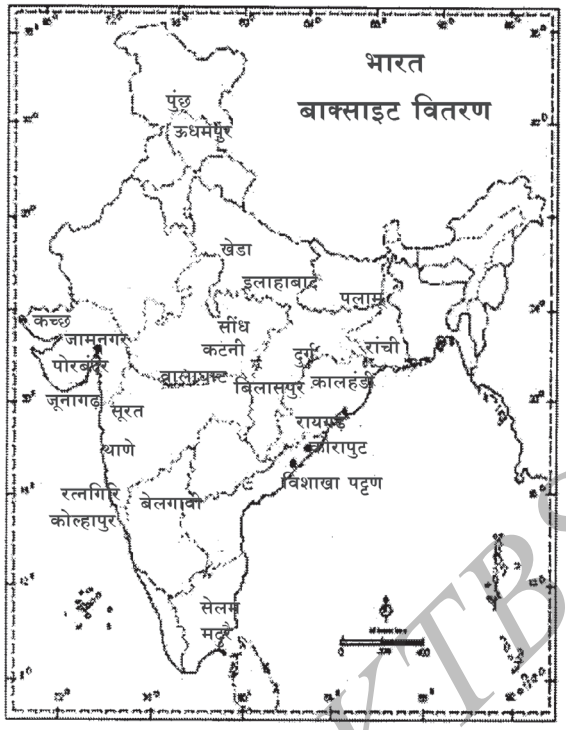

क्या आप जानते है :

बाक्साइट *- शब्द लेसबाक्स शब्द से ग्रहीत है। लेसबाक्स स्थान फ्रांस के अर्लेस के समीप है। यहाँ सर्वप्रथम बाक्साइट खनिज का पता लगाया गया था।*

अल्लूमिनियम *- यह 20 बी शताब्दी का अद्‌भुत खनिज कहलाता है। क्योंकि इसे कई उद्देश्यों से उपयोग किया जाता है।*

बाक्साइट : यह अल्यूमीनियम तैयार करने के लिए प्रमुख कच्चा माल है। भारत में बहुत बाक्साइट निक्षेप हैं। ये अधिकतर उडीसा, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छत्तीस गढ़, तमिलनाडु तथा मध्यप्रदेश में है।

उडीसा भारत का सर्वाधिक बाक्साइट निक्षेप तथा उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। इस राज्य के बाक्साइट निक्षेप अधिकतर कालहंडी, कोरापुट, सुरदगढ, तथा संबलपुर जिलों में है। छत्तीस गढ़ में विलासपुर, दुर्ग, सरगुजा तथा रायगढ़, महाराष्ट्र में रत्नगिरि, कोल्हापुर, थाणे तथा सतारा, झारखण्ड में राँची, लोहारडाग तथा पलमावु, गुजरात में जाम नगर, जूनागढ़, खेडा तथा भावनगर, मध्यप्रदेश में शहडोल, मंडल तथा बालाघाट, आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा विशाखापट्टण, तमिलनाडु में सेलम तथा नीलगिरि और कर्नाटक में उत्तर कन्नडा, बेलगावी और चिक्कमगलूर जिलों में बाक्साइट देखे जा सकते हैं।

अभ्रक : यह प्रमुख लौह खनिज है। इसे बहुत पतले कागज के रूप में विभक्त किया जा सकता है। ये पारदर्शक होते हैं। तथा

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

ऊष्मा (गर्मी) निरोधक विशेषता लिए होते हैं। इसका अधिकतर उपयोग विद्युत उपकणों के उद्योग में, टेलिफोन, हवाई जहाज बनाने, स्वचालित वाहन उद्योग तथा निः तंतु (वायरलेस), तंतुहीन संपर्क माध्यम बनाने में किया जाता है। अभ्रक के निक्षेप व्यापक रूप से आंध्रप्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, तथा बिहार राज्यों में पाये जाते हैं। आंध्रप्रदेश भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। इस राज्य में मुख्य अभ्रक प्राप्ति के स्थान हैं - नेल्लूरु, कृष्णा, विशाखापट्टण, गोदावरी तथा अनंतपुर जिले।

> ***क्या आप जानते है :***
>
> *आंध्रप्रदेश के नेल्लूरू जिले में प्राप्त होने वाला अभ्रक निक्षेप हल्के हरे रंगका होता है। इसे हनीमाइका भी कहा जाता है।*

भारत का दूसरा प्रमुख अभ्रक प्रप्ति वाला राज्य है राजस्थान । यहाँ अभ्रक जयपुर अजमेर, भीलवाडा तथा उदयपुर जिलों मं प्राप्त होता है। झारखंड में हजारी बाग, धनबाद, पलमावु, राँची तथा सिंहभूमि में प्राप्त होता है। बिहार में गया, मुँगेर, तथा भागलपुर जिलों में अभ्रक मिलता है। थोडी मात्रा में गुजरात, महाराष्ट्र, उडीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा छत्तीस गढ़ में भी अभ्रक प्राप्त होता है।

भारत विश्व का अत्यधिक अभ्रक उत्पादक तथा निर्यात का राष्ट्र है। कुछ राष्ट्रों में कृत्रिम अभ्रक उत्पादन किए जाने के कारण आजकल भारत से अभ्रक का निर्यात कम हो गया है।

शक्ति संसाधन :

अर्थ तथा महत्व - विद्युतशक्ति उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को शक्ति संसाधन कहा जाता है।

एक देश की आर्थिक अभिवृद्धि तथा जव-जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए शक्ति संसाधन अतिआवश्यक है। कृषि, वाणिज्य उद्यम, यातायात - सम्पर्क आदि के विकास में शक्ति संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

शक्ति संसाधनों को उनके स्वरूप के आधार पर पारंपरिक तथा आपरंपरिक संसाधनों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। पारंपरिक संसाधनों में कोयल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक वायु आदि शामिल है। इनमें काफी संसाधन कभी समाप्त न होनेवाले हैं। अपारंपरिक संसाधनों में सौरशक्ति, पवनशक्ति, ज्वार-भाटाशक्ति, भूगर्भशक्ति, जैविक जैसे आदि प्रमुख हैं। भारत अपनी विद्युत अभाव की आपूर्ति के लिए अपारंपरिक शक्ति संसाधनों का उपयोग करता है। तथा विकास करता है। जो अनिवार्य है।

कोयला : कोयला वनस्पति अवशेष युक्त ईंधन खनिज है। हजारों वर्ष पूर्व भूगर्भ में छिपे वनस्पति अवशेष अधिक उष्णता तथा दबाव से कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसप्रकार कोयले में अधिक अग्नि संयोजक तत्व होते हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

महत्व : कोयला भारत का प्रमुख शक्ति संसाधन है। देश में उपयोग की जा रही कुल विद्युत शक्ति का 67 प्रतिशत भाग कोयले पर आधारित है। कोयले से अनेक उपवस्तुएँ प्राप्त होती है जैसे - अमोनिया, चारकोल, बेंजाल, नेफ्त, सेफिर, इत्यादि। इन्हें विविध उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। उदा: रंग, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़ आदि।

भारत में कोयले के निक्षेप दो युगों से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार गोंडवाना तथा टर्शाशिया कोयला निक्षेप के रूप में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। किंतु गोंड वाना कोयला निक्षेप के प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में है तथा प्रमुख हैं।

वितरण एवं उत्पादन : भारत में कोयला निक्षेप अधिकतर कुछ ही राज्यों में वितरित हैं। उदा: झारखंड, छत्तीसगढ़, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल। ये राज्य भारत के कुल कोयले का 96 प्रतिशत भाग युक्त है। असम, मेघालय तथा नागालैंड में भी कोयला निक्षेप (खान) हैं। विश्व के कोयला उत्पादन के प्रमुख देशों में भारत तीसरा स्थान रखता है।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन युक्त खनिज है। यह प्रमुख ईंधन है तथा कई उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मूल स्रोत है। वाणिज्यिक दृष्टि से मुख्य शक्ति का स्रोतहै तथा इसे अधिकतर यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। यह कृत्रिम रेशम, औषधि, रासायनिक खाद, रंग तैयार करने आदि उद्योगों के लिए कच्चामाल उपलब्ध कराता है।

पेट्रोलियम वितरण : भारत में पेट्रोलियम निक्षेप अधिकतर बाम्बे हाई, गुजरात, असम, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में है। बाम्बे हाइ के तेल प्रदेश में ऊपर तेलनिक्षेप है। यह भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादक प्रदेश है। द्वितीय

आपको ज्ञात रहे :
विविध उपयोगिता के आधार पर कोयले को 'काला सोना' कहा जाता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश गुजरात में है। इसका मुख्य तेल प्रदेश अंकलेश्वर, क्यांबे, कलोल, नौगाँव तथा महनेन है। भारत में पेट्रोलियम निक्षेप सर्वप्रथम असम में 'माकुम' नामक स्थान पर पहचाने गए। इसप्रकार आरंभ में पेट्रोलियम उत्पादन में असम का नाम प्रथम स्थान पर है। आज यह तृतीय स्थान पर है। यहाँ का प्रमुख तेल प्रदेश डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, हुगरीजन, शिवनगर तथा रुद्रसागर में है। देश के अन्य तेल प्रदेश गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदी घाटी तथा द्रोणी (मुखज) भागों में देखे जा सकते हैं।

> ***क्या आप जानते हैं -***
>
> *पेट्रो और ओलियम नामक दो लैटिन शब्दों से पेट्रोलियम शब्द बना है। पेट्रा का अर्थ है - पत्थर तथा ओलियम का अर्थ है तैलीय पदार्थ। इस प्रकार पेट्रोलियम पत्थर का तेल भी कहा जा सकता है। उपयोग तथा आर्थिक मूल्यों के आधार पर पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहा जाता है।*

पेट्रोलियम उत्पादन में भारत अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। इस प्रकार अपनी अपार माँग की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में पेट्रोलियम आयात करता है।

जल विद्युत शक्ति :

ऊँचाई से गिरने वाले जल के वेग से विद्युत उत्पादन करने को 'जलविद्युत शक्ति' कहते है। यह नवीनी करण कम मूल्य में प्राप्त करने, तथा कोयले व पेट्रोलियम से अधिक ताप (ऊष्ण) और शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसके उपयोग से यंत्र स्वच्छ रहते हैं और इसका प्रसार भी आसान है।

भारत में काफी मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार जलविद्युत शक्ति उत्पादन का विकास अत्यंत आवश्यक है। साथही देश में जलविद्युत विकास के लिए आवश्यक पूरक तत्व भी उपलब्ध हैं।

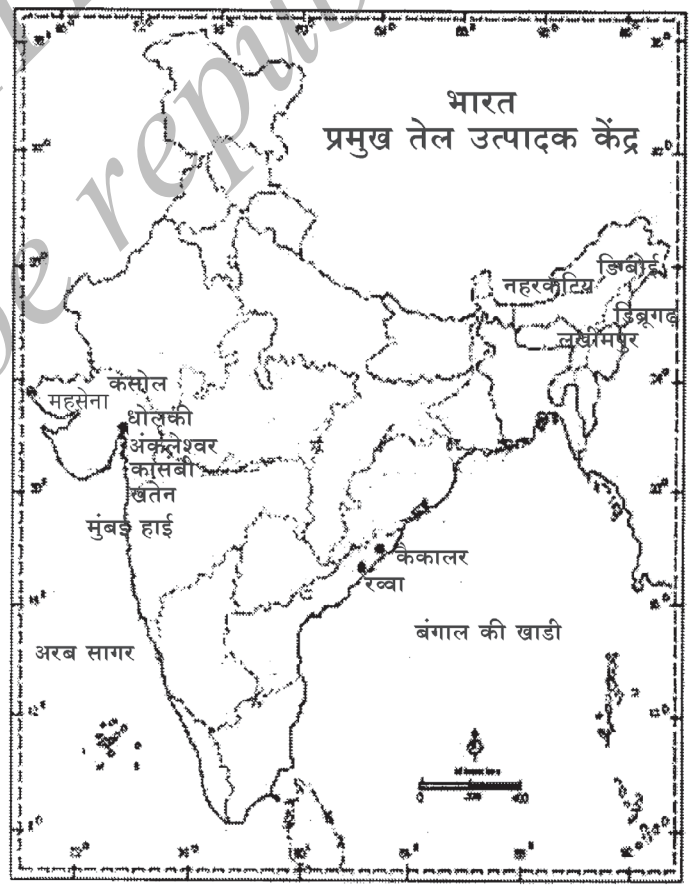

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

भारत में सर्वप्रथम (1897) जलविद्युत उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित हुआ। किंतु वास्तविक जल उत्पादन कावेरी नदी के शिवनसमुद्र पर (1902) निर्मित जलविद्युत केंद्र से ही प्रारंभ हुआ।

ज्ञात रहे :

जीवाश्म इंधन : वनस्पति तथा प्राणियों के अवशेषों के जीवाश्मी करण से उत्पन्न कोई भी ईंधन जीवाश्व ईंधन होते है।

भारत के प्रमुख जल विद्युत उत्पादक केंद्र हैं -

कर्नाटक : शिवनसमुद्र, शरावती, लिंगनमक्की, आलमट्टी, काली तथा भद्रा।

तमिलनाडु : मेट्टूरू, पैकारा, पापनासम, पेरियार, मेयार, कुंदहा तथा कोडयार।

महाराष्ट्र : खोपोली, भीवपुरी तथा भीर जलविद्युत केंद्र।

उडीसा : हीराकुड, भीमकुंड, बालीमेला तथा रिगाली।

आंध्रप्रदेश : श्रीशैलम तथा रामपाद सागर।

तेलंगाना : निजामसार, नागार्जुन सागर, सिलेरु।

केरल : इडक्की, सबरगिरि, पल्लिवासल तथा परांबिकुलम।

अन्य : गुजरात का युके, काडना, झारखण्ड का सुवर्ण रेखा, मैथान, तिलैय्या, पंचतहिल, पंजाब का भाखरा नांगल, बिहार का कोसी, मध्यप्रदेश का गांधीसागर प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं।

परमाणु शक्ति :

परमाणु खनिजों से तैयार की जानेवाली विद्युतशक्ति को परमाणु शक्ति कहते हैं। भारत में विद्युत शक्ति की माँग बढगयी है। इस माँग को पूरा करने के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन नहीं हो पारहा है। इस प्रकार भारत परमाणु शक्ति का उत्पादन करने की योजना बना रहा है।

भारत में अपार परमाणु खनिज हैं। उदा : युरेनियम तथा थोरियम। ये परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। साथ ही भारत में आवश्यक तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है। भारत में सर्वप्रथम परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र को तारापुर में (1969) स्थापित किया गया। आज देश में कुल 7 परमाणु विद्युत उत्पादक केंद्र है। वे हैं - (1) तारापुर मुंबई के निकट, महाराष्ट्र (2) राणाप्रताप सागर, कोटा के निकट, राजस्थान (3) कलपक्कम, चेन्नै के निकट, तमिलनाडु, (4)नरोरा, उत्तर प्रदेश (5) काकरापारा, गुजरात (6) कैगा, कारवार के निकट, कर्नाटक तथा (7) कुंदन कुलम, तमिलनाडु।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अपारंपरिक शक्ति संसाधनों की आवश्यकता :

भारत में अपरिमित रूप से अपारंपरिक शक्ति स्रोत उपलब्ध हैं। इन्हें नवीकरण किया जा सकता है। ये प्रदूषण युक्त है तथा पर्यावरण स्नेही हैं। इन्हें सरलता से नगर तथा ग्रामीण प्रदेशों में पहुँचाया जा सकता है। इनके उत्पादन से देश के विद्युत अभाव को पूरा किया जा सकता है। भारत में आजकल विद्युत शक्ति उपयोग का दर भी बढ गया है। अतः शीघ्र अतिरिक्त शक्ति संसाधनों का विकास की आवश्यकता है।

विद्युत शक्ति का अभाव : वर्तमान में भारत को कई समस्याओं का सामना करना पडरहा है जिसमें विद्युत का अभाव भी एक है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि माँग के अनुरूप विद्युत उत्पादन नहीं होपा रहा है। अतः विद्युत अभाव की समस्या सामने है। इससे देश के उद्योगों, कृषि, यातायात, व्यापार आदि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कारण : भारत में विद्युत अभाव का कारण है। - 1) देश में कम पेट्रोलियम निक्षेप तथा तेल की कमी। (2) निम्नस्तर का कोयला (3) असामयिक वर्षा तथा जल विद्युत शक्ति उत्पादन में जल की कमी (4) प्रसार प्रक्रिया में विद्युत का नष्ट होना (5) अपारंपरिक शक्ति संसाधनों का अत्याधिक उपयोग।

परिहारोपाय : विद्युत अभाव के परिहार हैं -

(i) कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन को अधिक करना है।

(ii) कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर पर्याय शक्ति संसाधनों के अधिक रूप से उपयोग करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

(iii) अधिक से अधिक जल-विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिकता देना चाहिए।

(iv) अपरंपारिक शक्ति संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. _____ अत्यंत प्रमुख मिश्र लौह है।
2. अल्यूमीनियम का प्रमुख कच्चा पदार्थ _____ है।
3. _____ अत्यंत प्रमुख खनिज है।
4. वनस्पति अवशेष ईंधन _____ है।
5. शिवन समुद्र जलविद्युत केंद्र _____ राज्य में है।

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. खनिज तथा खानों की खुदाई की व्याख्या कीजिए।
2. मैंगनीज का प्रमुख उपयोग क्या है?
3. भारत में बाक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं?
4. शक्ति संसाधन का अर्थ तथा भारत में इनका महत्व बताइए।
5. भारत में पेट्रोलियम वितरण के बारे में लिखिए।
6. भारत के परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्रों के नाम बताइए ।
7. तमिलनाडु के प्रमुख जल विद्युत केंद्रों का नाम लिखिए ।

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत का नक्शा बनाकर उसमें पेट्रोलियम तथा परमाणु विद्युत उत्पादन स्थानों को नामांकित कीजिए ।
2. भारत का नक्शा बनाकर उसमें प्रमुख जलविद्युत केंद्रों के नाम लिखिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. भारत में प्राप्त होने वाले खनिजों के नमूने संग्रह कीजिए तथा उनके बारे में टिप्पणी लिखिए ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 9
भारत के यातायात एवं सम्पर्क

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- यातायात का अर्थ एवं महत्व
- भारत में यातायात के प्रकार
  - 1) थल यातायात और उसके प्रकार
  - 2) जल यातायात और उसके प्रकार
  - 3) वायु यातायात और उसके प्रकार
- संपर्क माध्यम : अर्थ महत्व और प्रकार

यातायात का अर्थ एवं महत्व

अर्थ : सामग्री, सेवा तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के मानव के क्रियाकलायों की सभी प्रकार की अभिवृद्धि में यातायात का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार राष्ट्रीय व्यवस्था में कृषि तथा उद्योग-धन्धे यदि शरीर और अस्थि का संबंध रखने हैं तो संपर्क माध्यम का जाल 'रक्तनलिकाओं' के समान महत्व रखता है।

मान्य तथा सस्ते दर में यातायात की सुविधा संसाधन तथा कृषि के विकास में सहायक है। यह उद्योग धन्धों के विकास को प्रोत्साहन देता है। बाजार का विस्तार करता है। देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि करता है। उद्योगों की सृष्टि करता है। लोगों की आय तथा जीवनस्तर में सुधार करता है। प्रवास उद्यम को प्रोत्साहन देता है तथा सुरक्षादल के लिए भी सहायक है।

यातायात के प्रकार :

भारत के विविध प्रकार के यातायात के प्रकार को जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को देखें -

यातायात

थल यातायात	**जल यातायात**	**वायु यातायात**
i) सड़क यातायात	i) अंतर्मार्ग यातायात	i) राष्ट्रीय यातायात
ii) रेल यातायात	ii) सागर यातायात	ii) अंतर्राष्ट्रीय यातायात
iii) सुरंग मार्ग		

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

थल यातायात -

सड़क यातायात (परिवहन) : सडकें अतिप्राचीन तथा सार्वभौमिक यातायात का साधन है। ये एक देश की आर्थिक अभिवृद्धिध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत गाँवों का प्रधान देश है। तथा कृषि प्रधान देश है। देश की कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की प्रगति के लिए सडकें अति आवश्यक हैं। क्योंकि देश के कोने-कोने में स्थित गाँवों से सम्पर्क करने के लिए सड़कें बडी अनुकूल सिद्ध होती हैं।

सड़कों का निर्माण वन तथा पहाडी ऊबड-खाबड प्रदेशों में भी किया जा सकता है। ये अति दूर कहीं स्थित गाँवों तथा नगरों को जोडती हैं। घर-घर में सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। रेल संचार, बंदरगाह तथा विमान पत्तन से सम्पर्क जोड़ती हैं। सडकें प्रवास उद्यम, व्यापार तथा वाणिज्य एवं औद्योगिक विकास में अधिक सहायक हैं। उद्योग के अवसर प्रदान करती हैं। सुरक्षा विभाग, विशेष कर सीमान्त प्रदेशों में सडकें अधिक अनुकूल हैं।

सड़कों के प्रकार : 1) सड़कों के निर्माण के आधार पर उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है। i) पक्की सडकें, जो सीमेंट - कंक्रीट या चारकोल से निर्मित हैं। ii) कच्ची सडके, जो कंकड तथा मिट्टी से निर्मित हैं। ये अधिकतर ग्रामीण प्रदेशों में है। इनके सुधार के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री की 'ग्राम सड़क योजना' को देखा जा सकता है।

2) निर्माण तथा निर्वहण के आधार पर सड़कों के प्रकार ये हैं -

क) सुवर्ण चतुष्कोण तथा सुपर राजमार्ग ख) राष्ट्रीय राजमार्ग

ग) राज्य राजमार्ग घ) जिला सडकें

ङ) ग्रामीण सडकें

क) सुवर्ण चतुष्कोण तथा सुपर (राजपथ) राजमार्ग :

यह चार से छः पथों की उत्तम सड़क निर्माण योजना है। इसका आरंभ सन् 1999 में हुआ। यह राजमार्ग देश के प्रमुख नगरों, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक केंद्रों को जोडता है। यह दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद - सूरत-मुंबई-पूना(पुणे)-बेंगलूरु-चेन्नै-विशाखापट्टण-भुवनेश्वर-कोलकत्ता-इलाहाबाद-कानपुर-दिल्ली में सम्पर्क स्थापित करता है।

सुपर राजमार्ग को दो भागों में बाँटा जा सकता है। अ) उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर (गलियारा): यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ब) पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (गलियारा): यह सिलवार (सिलवासा) से गुजरात के पोरबंदर तक फैला हुआ है। ये अनेक प्रमुख नगरों, औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों से संबंध जोडता है। यह राजमार्ग निमाण तथा निर्वहण कार्य 'भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार'(NHAI) से संबंधित है।

©KBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

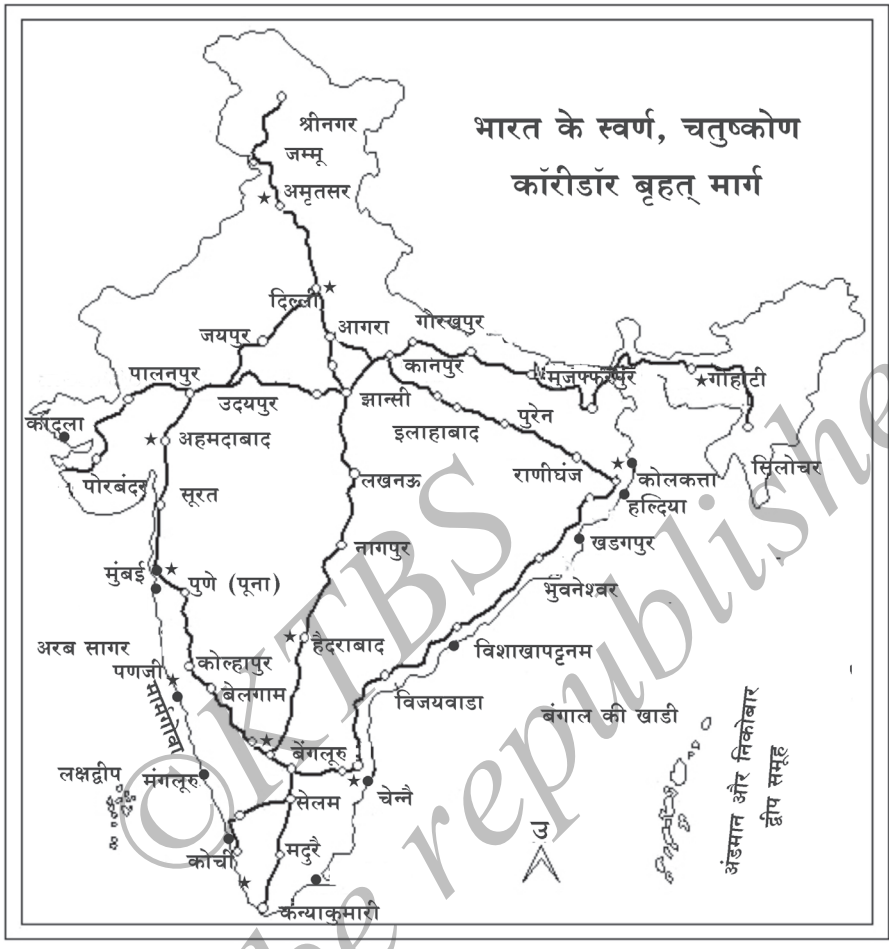

ख) राष्ट्रीय राजमार्ग : ये प्रमुख सडकें राज्य की राजधानी से प्रमुख बंदरगाहों, राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख नगरों तथा शहरों से सम्पर्क स्थापित कराती है। इनका निर्माण तथा निर्वहण केंद्र लोकोपयोगी विभाग से संबंधित है।

ग) राज्य राजमार्ग : ये सडकें राज्य की राजधानी से जिला केंद्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्क जोडती हैं। इनका निर्माण तथा निर्वहण राज्य के लोकोपयोगी विभाग (PWD) से संबंधित है।

घ) जिला सडकें : इनका निर्वहण जिला पंचायत से संबंधित है। ये सडके तालुक केंद्रों को राज्य राजमार्ग, रेल यातायात आदि को परस्पर जोडती हैं।

ङ) ग्रामीण सडकें : ये सडकें प्रत्येक गाँवों को परस्पर जोडती हैं। शहर तथा बाजार केंद्रों से सम्पर्क बनाती है। इनमें काफी कच्ची सडकें है जो वर्षाकाल में कष्ट दायक है। इन्हें पक्की सडकों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सीमान्त सड़के : ये देश के सीमांत प्रदेशों में सुरक्षा दल के उपयोग के लिए ही निर्मित सडके है। ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा मयनमार सहित भारत की सीमाओं में देखी जाने वाली सडके है। इनका निर्माण तथा निर्वाह सीमान्त सड़क अभिवृद्धि प्राधिकार' से संबंधित है।

II)क)रेलयातायात : रेलमार्ग भारत का एक अन्य प्रमुख थल यातायात का साधन है। ये भारी सामानों तथा अधिक संख्या में यात्रियों को दूर स्थानों तक ले जाने-लेआने के लिए अधिक उपयुक्त है। ये कृषि उद्योग तथा भारत की आर्थिक अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथही देश के व्यापार तथा प्रवास उद्यम के विकास में सहायक हैं।

क्या आप जानते हैं?
- *संख्या 7 राष्ट्रीय राज मार्ग भारत की सबसे लम्बी सडक है।*
- *मनाली - लेह सडक विश्व की सबसे ऊँची सडक है।*

भारत में रेल यातायात निर्माण अंग्रेजों के काल में ही प्रारंभ हो चुका था। अकाल पीडित भागों को खाद्य अनाज तथा चारा और सेना दलों को एवस्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया भारत का प्रथम रेलमार्ग सन् 1853 में बाम्बे तथा थाणे के मध्य निर्माण किया गया। तत्पश्चात् कोलकत्ता - रानीगंज (1854), चेन्नै - अरककोणम (1864) रेलमार्ग का निर्माण किया गया। क्रमशः। देश के अन्यभागों में भी रेल मार्ग का विकास हुआ।

रेल यातायात भारत का अत्यंत बडा सार्वजनिक उद्योग है। आज देश में 64,015 में 64,015 कि.मी.लम्बा रेलमार्ग है तथा लगभग 7031 रेलवे स्टेशन हैं। इसके अनुकूल प्रशासन व्यवस्था के लिए भारतीय रेल्वे को 16 विभागो में बाँटा गया है। सुरक्षित तथा सुखदायक रेलयात्रा के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं -

सुरंग मार्ग : यह नवीन भू यातायात का प्रकार (विधान) है। सुरंग, मार्गों को भूमि के अंदर बिछाया गया है। विशेषकर कच्चे तेल को शुद्ध करने वाले केंद्रों में प्राकृतिक गैसों तथा काई के रूप में उपस्थित खनिजों को ले जाने ले आने के लिए इन सुरंग मार्गों का उपयोग किया जाता है। भारत में कुल 35,656 कि.मी. लम्बा सुरंग मार्ग है।

क्या आप जानते हैं :
हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (ऊ.ए) गैंस का सुरंग मार्ग भारत का सबसे लम्बा सुरंग मार्ग हैं (2300 कि.मी.)

2. जलसंचार

समुद्रीयान संबंधी देशों में भारत भी एक था। जलसंचार जहाज और नावों की सहायता से नौकायान की सुविधाएँ उपलब्ध कराता था। जलमार्गों को दो भागों में बाँटा जा सकता है -

1) अंतर्देशीय जल यातायात तथा 2) सागर (समुद्री) जल यातायात

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

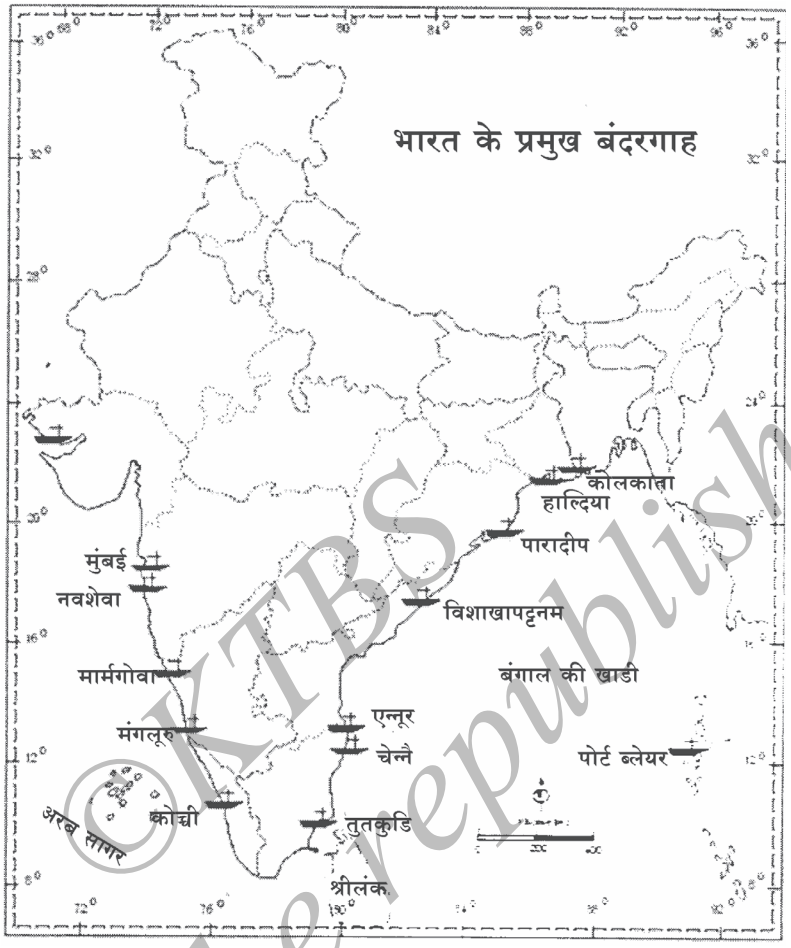

i) अन्तर्देशीय जल यातायात : अंर्त देशीय जल यातायात नदी, सरोवर, नदी द्वारा प्राप्त अधिकतम जल तथा नहरों द्वारा संभव है। प्राचीन काल में अंत र्देशीय जल यातायात भारत के यातायात (परिवहन) में ही महत्व पाने लगा था आज सड़क तथा रेल यातायात की प्रगति से उसका महत्व कम हो गया है। भारत में अंतर्देशीय जलयातायात (परिवहन) प्रमुख रूप से कुछ सामान तथा यात्रियों के लेजाने ले आने से संबंधित है। यह अधिकतर उत्तर भारत की गंगा (आवागथन) ब्रह्मपुत्र तथा उनकी उपनदियों द्वारा हो रहा है। दक्षिण भारत में नदी द्रोणी (मुखल) भाग केवल नौकायान तक ही सीमित है।

ii) सागर जल यातायात : समुद्र तथा सागर द्वारा किया जाने वाला नौकायान ही सागरजल यातायात है। भारत का लम्बा समुद्री तट तथा कुछ बंदरगाहों के साथ साथ देश पूर्वी अर्ध गोलार्ध में स्थित है। देश का विदेशी व्यापार 85 प्रतिशत भाग सागर मार्ग से होता है। ये सभी कारक देश के सागर जल परिवहन में सहायक है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

बंदरगाह : सामान (चढाने) आपूर्ति तथा उतारने के लिए जहाजों के ठहरने का स्थान ही बंदर गाह है। यह भू-(थल) मार्ग तध जल मार्ग की संधि का स्थल है। भारत में कई बन्दरगाह हैं। इन्हें प्रमुख, मध्यम तथा छोटे बंदरगाहो में विभक्त किया जा सकता है।

प्रमुख बंदरगाह आवश्यक सुविधाओं वाला बडे जहाजों के ठहरने का स्थान है। ये बंदरगाह सामान चढाने तथा उतारने की आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें 6 पश्चिमी तट पर तथा 7 पूर्वी तट पर स्थित है।

पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह -

कांदला : यह गुजरात के कच्छ की खाडी के शिरभाग पर है।

मुंबई : यह बडी मात्रा का, विशाल क्षेत्रवाला तथा उत्तम जहाज पत्तन वाला बंदरगाह है। इसे 'भारत का प्रमुख द्वार' कहा जाता है।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह : पूर्व में इसे नवाशेवा बंदरगाह कहा जाता था। यह मुंबई नगर से 10.कि.मी. दूर स्थित एलिफेण्टा गुफाओं के समीप है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया।

मार्मगोवा : यह गोवा के जुवारी नदी के तट पर स्थित है।

नव मंगलूर : इसे 'कर्नाटक का प्रमुख द्वार' कहा जाता है।

कोची : यह केरल के तट पर है। इसे 'अरब सागर की रानी' कहा जाता है।

पूर्वी तट के बंदरगाह :

तुतुकुडि : तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है।

चेन्नै : यह तमिलनाडु का अत्यंत प्राचीन बंदरगाह है।

एन्नोर : चेन्नै बंदरगाह के दबाब को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। यह चेन्नै बंदरगाह के उत्तरी भाग में है।

विशाखपट्टनम : यह एक भू-भाग से आवरित गहरा तथा संरक्षित बंदरगाह है। यह आंध्रप्रदेश के समुद्रीतट पर है।

पारादीप : उडीसा के महानदी के मुख भाग पर स्थित बंदर गाह है।

हल्दिया : यह हुगली तथा हालदा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। कोलकत्ता बंदरगाह में प्रवेश न कर पानेवाले बडे जहाज इस बंदरगाह में आते हैं।

कोलकत्ता : हुगली नदी के बाँयी ओर तट पर यह नदी तट का बंदर गाह है। यह भारत का दूसरा बडा बंदरगाह है। समुद्रीयान द्वारा होने वाले व्यापार कार्यनिर्वहण दक्षिणपूर्वी एशिया का यह बडा बंदरगाह है। हुगली नदी द्वारा जब-तब तलछट के भरजाने से जहाजों के आवागमन में परेशानी होती थी। इस प्रकार तलछट को निकालना अनिवार्य है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

3) वायु यातायात (परिवहन) :

यह अत्यंत वेगवाला यातायात साधन है। यात्रियों तथा डाक के आवागमन के लिए अनुकूल यातायात साधन है। युद्ध, बाढ़ तथा भूकम्प जैसी आपाताकाली न परिस्थिति में यह उपयोगी है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ वायु यातायात अभिवृद्धि के लिए आवश्यक सभी पूरक साधन उपलब्ध हैं।

आज भारत में दो प्रमुख वायु संचार संस्थाएँ हैं - 1) एयर इंडिया नेशनल - यह भारत तथा विश्व के अनेक देशों के साथ वायु संचार सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

2) इंडियन (भारतीय) एयरलाइन्स - यह देश के अंदर ही वायुसंचार की सुविधा प्रदान करता है। साथही पडोसी देशों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करता है। अब तक भारत का वायु यातायात सार्वजनिक विभाग से जुडी था। किंतु अब नियमित अनुमति प्राप्त निजी संस्थाएँ वायु संचार सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। उदा: जेट एयरवेस, सहारा, पैरामाउण्ट, वायुयान, संस्थाएँ आदि।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

वायु पत्तन : भारत में 141 विमान पत्तन हैं। इनमें 28 अंतर्राष्ट्रीय, 88 देशी तथा 25 वायुदल से संबंधित सीमा सुरक्षा विमान पत्तन हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन इस प्रकार हैं -

1) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, दिल्ली।
2) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, मुंबई।
3) नेताजी सुभाष चंद्रबोस अंतर्राष्ट्रीय विमान(वायु) पत्तन कोल्कत्ता।
4) अन्ना अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, चेन्नै।
5) केंपेगौडा अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, बेंगलूरु।
6) राजीवगांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, हैदराबाद।
7) श्रीगुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, अमृतसर।
8) लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, गोहाटी (गुवहाटी)
9) बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, भुवनेश्वर।
10) सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, अहमदाबाद।
11) वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, पोर्ट ब्लेयर।
12) डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नागपुर।
13) जारुकी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, शिल्लांग।
14) लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन वाराणसी।

संपर्क साधन

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को समाचार विनियम करने को ही संपर्क साधन कहा जाता है। यह मनुष्य के लिए एक नवीन आयाम है। प्राचीन काल में समाचार भेजने के लिए पक्षी तथा जानवरों का उपयोग किया जाता था।

महत्व : सरकार के कायदे-कानून तथा विकास कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को ज्ञात कराने में संपर्क साधन अधिक उपयोगी हैं। ये प्राकृतिक आपदा तथा विन्यास, जलवायु की पूर्वसूचना को हमें पहुँचाने में सहायक है। ये व्यापार वाणिज्य, उद्योग धन्धे, कृषि आदि के विकास में सहायक है। ये मनोरंजन, विश्व की दैनिक गतिविधियों की सूचना देते हैं। साथही देश की एकता तथा समग्रता निभाने में सहायक हैं।

आज भारत में विविध प्रकार के संपर्क साधन प्रचलित हैं। इनके दो प्रमुख भाग किये जा सकते हैं। 1) वैयक्तिक सम्पर्क साधन 2) समुदाय साधन। डाक, टेलिग्राम, टेलिफोन (सूरसंचार), फैक्स, ईमेल, अंतर्जाल, सेमिनार आदि वैयक्तिक साधन हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

समाचार पत्र तथा नियतकालिक, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पुस्तकें सामुदायिक साधन हैं।

डाक सेवा : भारत में प्राचीन काल से प्रचलित मुख्य साधन डाक सेवा है। डाक घर कुछ सेवाओं को उपलब्ध कराता है जैसे-पत्र, पार्सल, पैकेट, मनी आर्डर, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का काम करता है। साथ ही छोटे बचत खाते, नकद जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

दूरसंचार संपर्क सेवा : यह टेलिग्राफ, टेलिफोन, फैक्स इत्यादि सेवाओं को केवल के माध्यम से उपलब्ध कराता है। आज भारत में दूरवाणी सम्पर्क जाल की व्यवस्था प्रत्येक दूर-दूर के स्थानों को भी उपलब्ध है। टेलिफोन तथा मोबाइल सुविधाएँ टेलिग्राफिक सेवा के बदले की गई व्यवस्था है, जो आज व्यापक रूप में प्रचलित है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन : समुदाय संपर्क साधनों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में कितने भी दूर निवास करने वाले लोग भी आकाशवाणी से समाचार सुन सकते हैं तथा दूरदर्शन द्वारा देख भी सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे ग्रामीण प्रदेशों के लिए भी अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इनसे हमारे कृषक कृषि संबंधी समस्याओं, कृषि उत्पादक फसलों, जलवायु की पूर्व सूचना, आधुनिक कृषि विधान आदि के बारे में ताजा खबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये शिक्षा, मनोरंजन तथा सूचना आधारित विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सन् 1936 में 'ऑल इंडिया रेडियो' नाम से यह जाना गया। दूरदर्शन का प्रसार सन् 1959में दिल्ली से 'दूरदर्शन' नाम से प्रारंभ हुआ।

समाचार पत्र : यह मुद्रण संपर्क साधन है जो बडा महत्वपूर्ण है तथा सारे संसार (विश्व) का संपर्क साधन है। भारत में एक लाख से भी अधिक दैनिक पत्र तथा निश्चित पक्ष के विविध भाषाओं के पत्र आते हैं। इनमें 41 सामाचार पत्र 100 वर्षों से अधिक पूर्व इतिहास वाले हैं। गुजराती भाषा का 'बाम्बे समाचार' भारत का अत्यंत प्राचीन तथा आज भी अस्तित्व में रहने वाला समाचार पत्र है। यह सन् 1922से ही अपना प्रसार आरंभ कर चुका था।

उपग्रह तथा कंप्यूटर जाल : इलेक्ट्रॉनिक तकनीक तथा बाह्याकाश की वैज्ञानिक अभिवृद्धि भी संपर्क साधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आयी, कंप्यूटर का जाल अंतर्जाल (इंटरनेट) ई-मेल सेवा, फैक्स इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। कृत्रिय उपग्रह प्रक्षेपण वर्तमान संपर्क साधनों के इतिहास में नवीन युग की सृष्टि करता है। भारत में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रसार के लिए उपग्रह तकनीक अधिक सहायक रही है।

भौगोलिक सूचना व्यवस्था (GIS) वर्तमान में स्थान निर्धारण व्यवस्था (GPS) तथा दूर संवेदी (RS) तकनीक भारत में अधिक प्रगतिशील है। 'भौगोलिक सूचना व्यवस्था' पृथ्वी

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

के बाह्य भाग की विवरण संबंधी सूचनाएँ संग्रह करते तथा देने वाली एक कंप्यूटर व्यवस्था है। 'भौगोलिक स्थान व्यवस्था' संकेत आधारित है यह पृथ्वी पर चर, स्थिर वस्तु अथवा पृथ्वी के स्थान निर्धारण व्यवस्था में अक्षांश देशांतर तथा समुद्रतक से ऊँचाई पर आधारित स्थान का निर्धारण करती है। 'दूरसंवेदी' तकनीक पृथ्वी पर सूचनाओं को संदेशों द्वारा संग्रह करता है। यह एकवस्तु स्थान या विशेषताओं से सीधे संपर्क करने पर सूचनाएँ संग्रह का माध्यम है। दूर संवेदी के द्वारा बाह्य तथा उपग्रह चित्रों को प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. भारत के गाँव तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक यातायात माध्यम _____ है।
2. भारत में सर्वप्रथम रेलमार्ग _____ तथा _____ के मध्य निर्मित किया गया।
3. _____ बंदरगाह को भारत का प्रमुखद्वार कहा जाता हैं।
4. बेंगलूरु अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तन को _____ नाम से जाना जाता है।
5. बॉम्बे समाचार समाचार पत्र _____ में आरंभ हुआ।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. यातायात और सम्पर्क से आप क्या समझते हैं?
2. सुवर्ण चतुष्कोण तथा सुपर राजमार्ग का विवरण दीजिए।
3. भारत के रेल यातायात से संबंधित चर्चा कीजिए।
4. जल यातायात, वायु यातायात का विवरण दीजिए।
5. भारत के वायु यातायात पर चर्चा कीजिए।
6. भारत के विविध संपर्क माध्यमों के बारे में बताइए।

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत का मानचित्र बनाकर उसमें प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रदर्शन कर नामांकित कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. भारत के प्रक्षेपित उपग्रहों का चित्र संग्रह कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 10
भारत के उद्योग धन्धे

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- उद्योग धन्धों का अर्थ एवं महत्व
- उद्योगों की स्थापना
- भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश
- भारत के प्रमुख उद्योग-धन्धे-लौह-इस्पात उद्योग, अल्यूमीनियम, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी (शक्कर) उद्योग, कागज तथा ज्ञानाधारित उद्योग धन्धे।

उद्योग धन्धों का अर्थ एवं महत्व

अनेक प्राकृतिक संसाधनों तथा कच्चे माल का सीधा उपयोग नहीं किया जाता। उन्हें विविध प्रक्रिया या शुद्धीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। उदा: ईख (गन्ना) को चीनी के रूप में, लोहे को खनिज इस्पात में, कपास को वस्त्र में, पेडों की छाल-गूदे को कागज रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार कच्चा माल अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित करना ही उद्योग कहलाता है।

उद्योग धन्धे हमारी आर्थिक प्रगति (विकास) में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके विकास को प्राथमिक सामाग्रियों पर निर्भता भी कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय तथा वैयक्तिक आय बढती है। विदेशी विनिमय प्राप्ति में वृद्धि होती है। उद्योगों के अवसर बढ़ते हैं। जनजीवन स्तर में सुधार आता है।

उद्योगों की स्थापना

उद्योगों की स्थापना तथा विकास कुछ अंशों पर निर्भर है। उद्योगों की स्थापना निर्धारण के तत्व हैं - 1) कच्चे माल की प्राप्ति (उपलब्धि) 2) शक्ति संसाधनों की आपूर्ति 3) यातायात एवं संपर्क व्यवस्था (सुविधा) 4) बाजार सुविधा 5) पूँजी 6) मजदूर तथा जल उपलब्धि (प्राप्ति) 7) अनुकूल जलवायु 8) सरकार के कायदे-कानून।

प्रमुख औद्योगिक प्रदेश

एक प्रकार के अथवा विविध प्रकार के उद्योगोंका अधिक संख्या में केंद्रीकृत प्रदेशों को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। उद्योग तथा औद्योगिक क्रियाकलाप वाले प्रदेश अधिकतर नगर प्रदेशों में देखे जाते हैं। ये उद्योगों की स्थापना में सहायक तत्वों वाले स्थानों में देखे जा सकते हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जाने जाते हैं -

1) हुगली-कोलकत्ता प्रदेश
2) मुम्बई-पुणे प्रदेश
3) अहमदाबाद-वडोदरा प्रदेश
4) मदुरै-कोयमत्तूर प्रदेश
5) छोटानागपुर का पठारी प्रदेश
6) दिल्ली-मेरठ प्रदेश
7) विशाखपट्टण गुंटूर प्रदेश
8) कोल्लं-तिरुवनंतपुरम प्रदेश

प्रमुख उद्योग धन्धे

लौह एवं इस्पात उद्योग -

यह अन्य उद्योगों के लिए स्रोत उद्योग है। इंजीनियरिंग (अभियंता), रेल्वे इंजन, यंत्र-उपकरण, स्वचालित वाहन, कृषि उपकरण, आदि उद्योग लौह - इस्पात उद्योग पर आधारित हैं। ये भारत अति प्रमुख लौह आधारित उद्योग है। लौह खनिज गलाने तथा लोहा तैयार करने की कला भारतीयों को प्राचीन काल से ही ज्ञात थी। इसका उत्तम उदाहरण दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है।

भारत में प्रथम आधुनिक लौह-इस्पात उद्योग सन् 1874 में पश्चिम बंगाल की घाटी में स्थापित हुआ। किंतु वास्तविक लौह-इस्पात उद्योग के आरंभ का श्रेय जे.एन.टाटा को जाता है। इन्होंने सन् 1907 में झारखण्ड राज्य के साकची (जमशेदपुर) के निकट टाटा लौह-इस्पात कारखानेकी स्थापना की। इसके बाद भी यह उद्योग स्वतंत्रता के पश्चात् ही अधिक विकसित हुआ। इस उद्योग के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में विशेष उपाय किए गए।

लौह- इस्पात उद्योग की स्थापना से संबंधित है - 1) कच्चा माल (स्रोत) लौह खनिज आपूर्ति। 2) मुख्य शक्ति संसाधन कच्चा कोयला तथा जलविद्युत। 3) रेल यातायात तथा बंदरगाह सुविधाएँ। 4) जल आपूर्ति 5) कम मजदूरी में काम करने वाले मजदूर 6) पूँजी तथा स्थायी बाजार।

उत्पादन केंद्र : आज भारत में 14 समग्र लौह इस्पात उद्योग धन्धे हैं। इनमें 4 निजी तथा शेष सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं। वे हैं -

निजी क्षेत्र -

1) टाटा लौह - इस्पात कारखाना (TISCO) जमशेदपुर (साकची), झारखंड।
2) जिंदाल विजयनगर लौह कारखाना (IVSL) तोरणगल
3) इस्पात लौह कारखाना दोल्वी, रत्नगिरि जिला, महाराष्ट्र।
4) महँगे इस्पात स्थावर - नीलाचल इप्पत निगम, नियमित नीलाचल इप्पत निगम (NINL) गोपालपुर (उडीसा) में हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सरकारी क्षेत्र

1) भारतीय लौह-इस्पात कारखाना, बर्नापुर, पश्चिम बंगाल. (IISCO)

2) विश्वेश्वरय्या लौह - इस्पात कारखाना, भद्रावती, कर्नाटक (VISCO)

3) हिंदुस्तान लौह-कारखाना, भिलाई, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़

4) हिंदुस्तान लौह कारखाना, राउरकेला, सुंदरगढ जिला, उडीसा

5) हिंदुस्तान लौह कारखाना, दुर्गापुर, पश्चिमबंगाल

6) बोकारो लौह स्थावर, बोकारो, झारखण्ड

7) सेलम लौह उद्योग, सेलम, तमिलनाडु

8) विशाखपट्टणम्, लौह उद्योग, आंध्र प्रदेश

9) दायितरी लौह कारखाना, पारादीप के निकट, उडीसा

10) टाटा लौह कारखाना, कालिंग नगर, उडीसा।

इनके अतिरिक्त देश के विविध भागों में 199 से भी अधिक छोटे लौह कारखाने स्थापित हुए हैं। विश्व के लौह उत्पादक देशों में भारत का स्थान 8 वाँ हैं।

2) अल्यूमीनियम उद्योग : अल्यूमीनियम एक प्रमुख अलौह खनिज है। यह बहुत उपयोगी है। इसे हवाई जहाज, स्वचलित वाहनों, रेल यातायात, जहाज, रंग तैयार करने, गृह उपयोगी वस्तुओं के निर्माण, विविध उद्योगों, विद्युत केबलों के निर्माण तथा अन्य सामग्रियों की डिब्बाबंदी करने आदि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

अल्यूमीनियम उद्योग के प्रमुख स्थापन केंद्र उद्देश्य 3 हैं। इनसे - i) कच्चा वस्तु संबंधी बाक्साइट की प्राप्ति ii) जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति iii) पूँजी तथा विशाल बाजार प्राप्त होता है।

वितरण : भारत में लौह-इस्पात उद्योग के बाद अल्यूमीनियम उद्योग भारत का दूसरा प्रमुख लौहाधारित उद्योग है। यह सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के जयकाय नगर में सन् 1942 में प्रारंभ हुआ। आज देश में कुल 9 अल्यूमीनियम उत्पादक केंद्र हैं। वे हैं - पश्चिम बंगाल का जयकाय नगर, केरल का अलूपुरम, तमिलनाडु का मेट्टूर, कर्नाटक का बेलगावी, उडीसा का हीराकुड तथा दमन समूह तथा उत्तर प्रदेश के रेनूकूट, छत्तीसगढ का कोरबा तथा महाराष्ट्र का रत्नगिरी प्रमुख हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

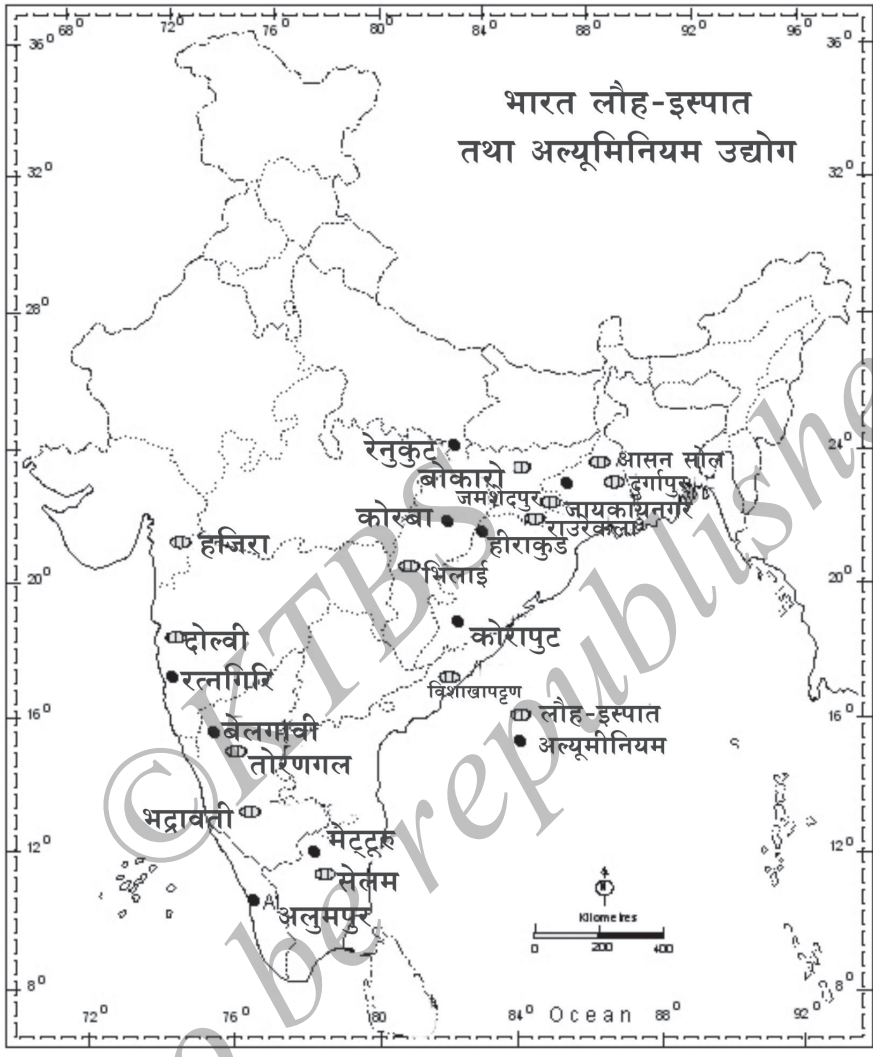

विश्व के अल्यूमीनियम उत्पादक देशों में भारत ग्यारहवाँ स्थान रखता है। अपनी अपार माँग को पूरा करने के लिए भारत अल्यूमीनियम को आयात भी करता है।

3. सूती वस्त उद्योग : भारत के वस्त उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बडा और प्रमुख विभाग है। प्राचीन काल से ही भारतीयों को सूती वस्त्र बुनने की कला ज्ञात थी। किंतु यह हथकरघा द्वारा बुनकर सूती वस्त्र तक सीमित था। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित हुआ जो कपास यंत्र सन् 1854 में प्रारंभ द्वारा लगाया गया। तत्पश्चात् अनेक कपास यंत्र स्थापित किये गये। अनेक कपास निकालने के यंत्रों की स्थापना से उद्योगों में भी अभिवृद्धि हुयी। आज सूतीवस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। सूती वस्त्रों के निर्यात में भी भारत दूसरे स्थान पर है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रुप से स्थानीय, मूल कच्चे माल जैसे-कच्चे कपास की प्राप्ति, विशाल बाजार, विद्युत आपूर्ति, पूँजी, कुशल कारीगरों की आपूर्ति तथा शीत (आर्द्र) जलवायु पर निर्भर है।

वितरण - भारत के विविध भागों में स्थित 76 से भी अधिक नगर और शहरों में सूती वस्त्र उद्योग फैला हुआ है। फिर भी यह अत्यधिक कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रीकृत है। वे राज्य हैं - महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनमें प्रथम दो राज्य देश के कपास (सूती) वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। मुंबई नगर प्रसिद्ध सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसे भारत का 'काटनो पोलिस' तथा भारत का मेनचेस्टर कहा जाता है।

4. चीनी उद्योग : यह भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद द्वितीय प्रमुख कृषि आधरित उद्योग है। प्राचीन काल से ही चीनी तैयार करने की कला भारतीयों को ज्ञात थी। परन्तु तब गुड तथा खांड वाली चीनी तैयार की जाती थी। आधुनिक चीनी तैयार करना 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रारंभ हुआ। किंतु स्वतंत्रता के बाद अत्यधिक विकसित हुआ। यह उद्योग निम्नलिखित स्थनीय प्रमुख अंशों पर निर्भर है - मूल कच्चा माल, गन्ने की प्राप्ति, सस्ते दर और भरपूर मात्रा में यातायात की सुविधाऐं, सरकार का प्रोत्साहन, विद्युत आपूर्ति, पूँजी तथा बाजार की सुविधाएँ।

वितरण - चीनी उद्योग प्रमुख रुप से गन्ना उत्पादक प्रदेशों में केंद्रीकृत है। ऐसे प्रदेशों में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाण, बिहार और उडीस राज्य प्रमुख है। विश्व में चीनी उत्पादक देशों में ब्राजील के बाद भारत द्वितीय स्थान रखता है।

क्या आप जानते हैं :

चीनी उद्योग की उपवस्तुएँ -

**** काकंबी :*** *ईख के रस को चीनी के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला गाढा रस। इसे मद्य तैयार करने तथा खाद के लिए उपयोग किया जाता है।*

**** ईख के छिलके :*** *ईख को छील कर उसका रस निकालने के बाद शेष बचा भाग कागज तैयार करने तथा ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है।*

5. कागज उद्योग : कागज एक आवश्यक उपवस्तु है। इसे अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उदा - लिखाई, मुद्रण, भराई आदि। एक देश की शिक्षा तथा साक्षरता का स्तर उस देश में उपयोग किए जा रहे कागज की मात्रा द्वारा जाना जा सकता है।

भारत में कागज तैयार करने की कला 10 वीं शताब्दी से ही ज्ञात थी। तब वह एक कुटीर उद्योग के रूप में था। देश में प्रथम आधुनिक कागज उद्योग धन्धा पश्चिम बंगाल

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

के सेरामपुर में सन् 1932में स्थापित किया गया। किंतु वह शीध्रही बंद हो गया। इस प्रकार वास्तविक रूप से कागज का कारखाना सन् 1870 में कोलकत्ता के निकट बाली में स्थापित किया गया। किंतु यह उद्योग विश्व महायुद्ध के समय तथा स्वतंत्रता के बाद अधिक प्रचलित हुआ।

कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। क्योंकि इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ जैसे बाँस तथा पेड की छाल और गूदा कोमल पेडों की वस्तुएँ हैं। सबाई तथा बाभर जैसे घासफूस उपयोगी हैं। आजकल वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की कमी के कारण धान, गेहूँ, बार्ली के छिलके, ईख की छाल, कागज के टुकडे, कपडों के टुकडे आदि कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

इसके अतिरक्ति अपार जल, विशाल बाजार, मजदूरों की प्राप्ति, परिवहन सुविधा, विद्युत तथा कुछ रासायनिको की आपूर्ति अन्य कागज उद्योगों के लिए आवश्यक कारक तत्व हैं।

वितरण : प्रारंभ में भारत का कागज उद्योग पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ। आज यह अधिकतर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तयिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उडीसा राज्यों में वितरित है।

भारत में कागज उत्पादन, का अपनी स्थानीय माँगों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। अतः कागज को आयात करना पडता है।

ज्ञानाधारित उद्योग धन्धे : यह ज्ञान पर आधारित, उत्पादन तथा सेवाओं से पूर्ण उद्योग है। अर्थात या तकनीकी और वैज्ञानिक, विकास में वृद्धि के लिए सहायक अधिक उत्पादक क्रियाओं वाला विशिष्ट उद्योग है। इनमें किसी भी प्रकार के शारीरिक बल तथा कच्चे माल से अधिक बुद्धिमता तथा सामर्थ्य की आवश्यकता होती है।

ज्ञानाधारित उद्योग धन्धों के विकास के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, प्रधान साधन हैं। भारत में काफी युवा वर्ग तथा बढता ज्ञान, तकनीकी और प्रमुख ज्ञान आधारित औद्योगिक प्रदेश के रूप में सामने आ रहा है। इस कारण आज देश में ज्ञानाधारित उद्योग धन्धे तीव्र गति से अभिवृद्धि पाने वाले उद्यम है।

सूचना एवं तकनीकी ज्ञान पर आधारित उद्योग महत्वपूर्ण हैं। सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों से प्रोत्साहन मिलता है। इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए देश के विविध भागों में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क (STP) को सन् 1995 में स्थापित किया गया है। किंतु यह दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक विकसित हुआ है। उदाः कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा तेलंगाना। कर्नाटक राज्य सॉफ्टवेयर उद्योग में अति उत्तम रुप में ख्यात है। राज्य में कई सूचना एवँ तकनीकी संस्थाएँ स्थापित हुयी हैं। ये बेंगलूरू, मुंबई, पुर्ण, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकत्ता, दिल्ली तथा नोएडा में केंद्रीकृत है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

बेंगलूरु साफ़्टवेयर उद्योग के लिए पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे भारत का 'सिलिकान सिटी' कहा जाता है। मैसूरु, मंगलूरु, हुब्बली, उडुपि कर्नाटक के अन्य सॉफटवेयर उद्योग के केंद्र हैं। साथही देश में हार्डवेयर उद्योग भी विकसित हुआ है।

भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सॉफटवेयर प्रमुख है। इससे देश को काफी विदेशी विनिमय का अवसर प्राप्त होता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. जिंदाल विजयनगर इस्पात कारखाना _____ राज्य में है।
2. बाक्साइट खनिज _____ उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है।
3. _____ उद्योग वन आधरित है।
4. भारत का प्रथम आधुनिक कागज उद्योग 1932 में _____ नामक स्थान में स्थापित किया गया।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. उद्योगों से आप क्या समझते हैं? उनके स्थानीयकरण के कारक बताइए।
2. भारत के प्रमुख उद्योग प्रदेशों की सूची बनाइए।
3. भारत में अल्यूमीनियम उद्योग के बारे में लिखिए।
4. भारत में सूती वस्त्र उद्योग वितरण के बारे में लिखिए।
5. भारत में ज्ञानाधारित उद्योग के महत्व के बारे में लिखिए।

III. सही मिलान कीजिए :-

क	ख
1. बेंगलूरू	अ) विश्वेश्वरय्या लौह-इस्पात कारखाना
2. मुंबई	आ) भारत का काटोनो पुलिस
3. भद्रावती	इ) अल्यूमीनियम उद्योग
4. रेनूकूट	ई) भारत की सिलीकॉन घाटी

IV. क्रिया कलाप :-

1. भारत के मानचित्र में लौह तथा इस्पात उत्पादन केंद्रों को पहचान कर नामांकित कीजिए।

V. प्रदत्त कार्य :-

1. निकट के किसी कारखाने में जाइए और रपट तैयार कीजिए।
2. कर्नाटक में देखे जाने वाले विविध उद्योग धन्धों की सूची बनाइए तथा वहाँ तैयार की जाने वाली वस्तुओं (उत्पाद) को चार्ट में प्रदर्शित कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 11

भारत की प्राकृतिक विपदाएँ

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- प्राकृतिक विपदाओं का अर्थ।
- भारत की आवर्ती हवाएँ, बाढ, भूस्खलन तटीय घिसाव तथा भूकम्प के कारण, परिणाम तथा वितरण।

अर्थ : प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होने वाले व्यापक विनाश का परिणाम ही प्राकृतिक विपदा है। विपदाओं के प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दो प्रकार है:- 1) भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन तथा हिमपात आदि भूमि की आंतरिक क्रिया से होने वाली प्राकृतिक विपदाएँ है। इसी प्रकार आवर्ती हवाएँ (साइकलोन) अकाल, बाढ तथा संक्रामिक रोग जलवायु संबंधी प्राकृतिक विपदाएँ है। प्राकृतिक विपदाओं में कई विपदाएँ कभी-कभी तथा अकालिक होती हैं। इस बारे में पूर्व जानकारी हो। तो होने वाली हानि को सीमित किया जा सकता है।

भारत विशाल देश होकर भी कई प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता है। उदा: आवर्ती हवाएँ, बाढ़, भूस्खलन, तटीय घिसाव, भूकम्प आदि।

1. आवर्ती हवाएँ : (चक्रवात)

कम दबाव वाले केंद्र की ओर हवाएँ जब चक्राकार रूपमें चलती है उन्हें आवर्ती हवाएँ या चक्रवात कहते हैं। यह प्राकृतिक विपदा जलवायु संबंधी है। चक्रवती में - उष्णकरिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्र के चक्रवात देखे जा सकते हैं। भारत में अधिकतर उष्णकरिबधीय चक्रवात आते हैं।

कारण : उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का उद्गम स्थान तथा आगे बढने की परिस्थिति ये हैं : 1) अधिक उष्णता 2) प्रशांत वायु 3) अधिक नमी युक्त वायु।

ये स्थितियाँ कम दबाव का क्षेत्र बनाती हैं। कम दबाव के क्षेत्र के चारों ओर सापेक्षिक रूप से अधिक दबाव रहता है। इस प्रकार चारों ओर के अधिक दबाव प्रदेश से कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र की ओर चक्राकार रूप में चलने वाली आवर्ती हवाएँ अथवा साइक्लोन की संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियाँ सामायत: उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग में देखी जा सकती हैं।

परिणाम : उष्णकटिबंधीय आवर्ती हवाएँ बहुत विनाश कारी है। यह जन-धन की अपार क्षति करती हैं। इमारतों को नुकसान पहुँचाती है। यातायात और संपर्क साधनों को

©KTBS
Not to be republished

www.textbookpdf.in

अस्त-व्यस्त कर देती है। विद्युत संचार में रुकावट, फसल, स्वाभाविक वनस्पति प्राणि संकुल आदि को अपार हानि होती है।

वितरण : भारत में उष्णकटिबंधीय आवर्ती हवाएँ अधिकतर बंगाल की खाडी से चलती हैं। इस प्रकार देश का पूर्वी समुद्री तट चक्रवात से पीडित हो। परिणामों को झेलता है। इनमें तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के तट शामिल है।

भारत के उष्णकटिबंधीय आवर्ती हवाएँ (चक्रवात) अधिकतर उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के समय चलती हैं। अक्तूबर तथा नवंबर मास में यह अधिक तीव्र हो जाती है। कभी-कभी यह मई तथा जून में भी चलती हैं।

नियंत्रण के उपाय : आवर्ती हवाएँ (चक्रवात) प्राकृतिक विपदाएँ हैं। इन्हें हम रोक नहीं सकते। किंतु लोगों को सतर्क करने की ओर ध्यान दिया जा सकता है। लोग आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य संपर्क साधनों द्वारा सावधानी संबंधी सूचना की ओर ध्यान दे सकते हैं। चक्रवात के समय लोगों के लिए तत्कालीन आश्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए। चक्रवात की मार तथा तटीय घिसाव को नियंत्रित करने में मेग्रोव (सदाबहारी) वन तथा गहराई तक जाने वाली जड़ों वाले वृक्षों को समुद्री तट पर उगाना चाहिए।

बाढ़ :

कभी कभी नदियां अपने किनारे तोड कर बहने लगती हैं। तब अगल बगल के प्रदेशी भाग जलावृत हो जाते हैं। इसे बाढ़ कहा जाता है। यह भारत में जब-तब होता रहता है। प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी भाग में ऐसे बाढ़ आते रहते हैं।

कारण : बाढ़ प्राकृतिक ही नहीं मानव के कार्यों पर भी निर्भर हो प्राकृतिक रूप में अत्यधिक वर्षा, हिमपात, आवर्ती हवाएँ (चक्रवात) मेघरफोट (बादलों कास्फोट) नदी के सरलता से बहाव में रूकावट, नदी पात्रों में तलछट का भर जाना इत्यादि प्रमुख है।

मानव कृत कारणों में वन विनाश, अवैज्ञानिक सिंचाई व्यवस्था तथा कृषि पद्धति, पुल तथा बाँधों में दरार तथा तेजी से नगरी करण प्रमुख है।

परिणाम : बाढ़ से होनेवाले प्रमुख परिणाम हैं : जन-धन की हानि, नुकसान, फसलों और वनस्पतियों का नाश, यातायात संपर्क में अव्यवस्था, मिट्टी का कटाव, प्रमुख सुविधाओं में अड़चन आदि।

बाढ़ पीडित प्रदेश : 1) गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। यह पंजाब, हरियाण, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में विस्तृत है। 2) सतलज, व्यास, रावी और चिनाब का मैदान। यह जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में फैला है। 3) प्रायःद्वीपीय पठार - नदी द्रोणा (मुखज) भूमि उदा: महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

कावेरी नदी का मुखज भाग। ये उडीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीस गढ, तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश के भागों में है। इन भागों में बाढ़ की संभावना कम है। यहाँ कभी-कभी अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ संभवित होता है। 4) नर्मदा तथा तापती नदी का ढलाऊ भाग - उदा : गुजरात।

बाढ़ नियंत्रण के उपाय :

i) जलनयन (बाढ़) प्रदेशों में वन वृद्धि की जाए तथा जल के तीव्र बहाव पर नियंत्रण करें।

ii) बाँध निर्मित कर जलाशयों में जल संग्रह कर नदी जल की मात्रा को कम करें। संग्रहीत जल को सिंचाई आदि कार्यों में उपयोग करे।

iii) निवास प्रदेश तथा कृषि भूमि की रक्षा के लिए पुल आदि निर्मित करें।

iv) बाढ़ की पूर्व सूचना तथा पूर्व सावधानी का प्रबंध हो। यह जन-प्राणी, मृत्यु, दुर्घटना तथा जायदाद संबंधी हानि को रोकने का अनिवार्य सामयिक उपाय है।

भूस्खलन : पर्वत अथवा पहाडों के ढलाऊ तराई भाग को भूमि का खिसकना ही "भूस्खलन" यह भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मिट्टी, पत्थर तथा भग्नावशेषों को नीचे की ओर गिरने या खिसकने से संबंधित है।

कारण : प्राकृतिक तथा मानवीय शक्ति दोनों ही भूस्खलन के कारण है।

मानवी कारण : वन विनाश, रेलमार्ग, बाँध, जलाशय तथा जल विद्युत योजना ओं का निर्माण, तीव्रगति से खुदाई, कोयले की खानें आदि।

प्राकृतिक कारण : तटीय क्षेत्रों में पत्थरों के सतही (तल) भाग पर समुद्री लहरों द्वारा घिसाव उत्पन्न होता है। और सतह घिसती जाती है। अत्यधिक वर्षा तथा भूकम्प आदि।

परिणाम : भूस्खलन भी प्राकृतिक विपदाओं में एक है। इनसे होने वाले परिणाम ये हैं। रेलमार्ग, सड़कों की रुकावट, निवास स्थान तथा वनस्पति का लुप्त हो जाना। दुर्घटनाएँ एवं मृत्यु तथा जायदाद की हानि। इनमें से जब तब सडकों की रुकावट आम बात है।

वितरण : भारत में भूस्खलन पहाडी-पर्वतीय राज्यों में संभवित होते हैं। उदा - जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्य।

नियंत्रण के उपाय : ढलवाँ प्रदेश को समतल करना। राजमार्गों तथा अन्य ढलाऊ क्षत्रों में चट्टानों को गिरने से रोकना। तटीय क्षेत्र के कटाव वाले भागों तथा जननिवास स्थालों में खुदाई तथा कोयले की खानों के कार्य कलापों पर नियंत्रण किया जाए।

वन विकास आदि उपाय भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

4) समुद्री तट का कटाव : समुद्री लहरें निरंतर तटों पर वेग पूर्वक चोट करती रहती हैं। निरंतर इससे तटीय भागों में क्रमशः। कटाव होने लगता है। इस प्रकार समुद्री लहरों की अविरत संघर्षण प्रक्रिया तटीय कटाव तथा वस्तुओं के ले जाने को समुद्री तट का कटाव कहते हैं।

कारण और वितरण : समुद्री तट के कटाव के लिए मुख्य कारण समुद्री लहरें तथा बाढ़ का होना है। भारत के तटीय कराब इत तीन प्रमुख कारणों से होते हैं -

i) दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएँ : यह भारत के पश्चिमी समुद्र तट को तीव्र गति से काटती हैं। वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के तट अधिक कटाव वाले हैं।

ii) उष्णकटिबंधिय आवर्ती हवाएँ : उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के समय बंगाल की खाडी में यह संभवित होता है। यह अत्यधिक विनाशकारी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट के तीव्र कटाब का कारण यह है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा उडीसा के तट इसी कटाव के अंतर्गत आते हैं।

iii) सुनामी : समुद्री तल में होने वाले भूकम्प से उठने वाली दैत्याकारी लहरें "सुनामी" कहलाती हैं। यह भी भारत के तटीय कटाव का कारण हैं। विशेषकर पूर्वी समुद्री तट तथा अंडमान-निकोबार द्वीप के तटों के कटाव अधिक प्रभाव डालते हैं।

मानव के कुछ कृत्य भी समुद्री तट के कटाव का कारण है। उदा: अत्यधिक बालू तथा पत्थरों की खुदाई, लहरों की रोक के लिए निर्माण आदि।

परिणाम : समुद्र तटीय घिसाव एक प्राकृतिक विपदा है। इसका प्रमुख परिणाम है - i) तटीय प्रदेशों की इम ारतों तथा वृक्षों का बहजाना ii) तटीय प्रदेशों की सडकें तथा रेलमार्गों को बाधा iii) अधिक समय तक तटीय क्षेत्रों में जल भर जाने से वहों के लोगों को पुनर्आवास उपलब्ध कराने की समस्या।

ज्ञात रहे

समुद्री बाधा *- बडे आकार के चट्टान या कंक्रीट के ऊबड क्षेत्र समुद्री तट पर समकोण पर ढेर बनाकर कटाव पर नियंत्रण ।*

समुद्री रोक दीवार *- समुद्री लहरों के कटाव से तटों की रक्षा के लिए समुद्री किनारों पर निर्मित की जाने वाली दीवार।*

नियंत्रण के उपाय : i) समुद्री लहरों की चोटों को नियंत्रित करने के लिए समुद्री दीवार, रोक तथा लहरों पर रोक हेतु निर्माण ii) किनारों पर बालू तथा खुदाई पर निषेध iii) समुद्री किनारे तथा बालू के ढेर बचाए रखने तथा सुस्थिरता के लिए बालू का संग्रह करता।

भूकम्प : भूमि की सतह पर होने वाले तीव्र कंपन को भूकम्प कहते हैं। यह प्राकृतिक विपदाओं में से एक है।

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

कारण : भूकम्प भूपटल की गति, ज्वालामुखी, शैल स्तरों का भंग तथा परतों द्वारा भूस्खलन, अंतर्सुरंगों के ऊपरी छत का बैठ जाना, मानव निर्मित जलाशयों के जल भार तथा ऐसे ही अन्य कारणों से होता है। भारत में अब तक हुए भूकम्पों में काफी हाथ भूपटल की गति से संभव हुआ है।

परिणाम : भूकम्प द्वारा होने वाली हानि से होने वाले परिणाम हैं - भूमि पर पडने वाली दरारें इमारतों, रेलमार्गों, सडकों, विद्युत संचार, संपर्क साधन, पुल, बाँध आदि का टूटना, कारखानों की हानि, मानव तथा जानवरों की मौत, जायदाद की हानि साथ साथ अग्नि संबंधी नुकसान, भूस्खलन, अंतर्जाल स्तर पर भिन्नता, नदी व्यवस्था में अंतर या बाधा आदि।

i) हिमालय प्रदेश (क्षेत्र) : यह भारत का अत्यधिक तीव्रता वाला भूकम्प प्रदेश है। यह जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा बिहार के क्षेत्रों में विस्तृत है। यहाँ भूसतह की गति के परिणाम स्वरूप भूकम्प होता है। उदा: चमोली तथा उत्तरकाशी।

ii) सिंधु-गंगा श्रेत्र : यह हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी भाग में है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के मैदान शामिल हैं। यह मध्यम तीव्रता वाला भूकम्प क्षेत्र है।

iii) प्राय:द्वीपीय पठार : यह लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों तथा कच्छ प्रदेशों में विस्तुत है। ये भारत के प्राय:द्वीपीय द्वीपों का अचलभूभाग है।

इस क्षेत्र में भूकम्प कम ही आते हैं। इस प्रकार वर्तमान में इस क्षेत्र को निम्न तीव्रता वाला भूकम्प क्षेत्र माना गया है।

सावधानी के उपाय : (सतर्कता)

- भूकम्प के क्षेत्रों में आवासीय निर्माण का निषेध।
- भूकम्प निरोधक इमारतों के निर्माण किए जाए।
- उत्तम स्तर की इमारतों का निर्माण हेतु उत्तम वस्तु का उपयोग तथा बहुमंजिली इमारतों को न निर्मित करें।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

- अंतर्जल के लिए गहरे कुँए की खुदाई का निषेध।
- भूकम्प की तीव्रता वाले पहाडी - पर्वतीय प्रदेशों का विकास रोकता।
- बहुत बडे बाँध तथा जलाशय के निर्माण पर निषेध।
- वन विनाश तथा तीव्र खुदाई कार्य कलापों पर रोक।
- इसके अतिरिक्त भूकम्प क्षेत्र में भूकम्प होने के बाद समस्या समाधान की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

उदा : खाद्य आपूर्ति, पुनर्वास स्थान की व्यवस्था, संक्रामिक रोगों पर नियंत्रण, चिकित्सा व्यवस्था आदि।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. _____ अत्यंत विनाशकारी वायुमंडलीय विपत्ति है।
2. भारत का पूर्वी समुद्री तट अधिक _____ पीडित प्रदेश है।
3. भारत के प्राय:द्वीपीय पठार में _____ के होने की संभावना बहुत कम है।
4. भारत में जब-तब _____ प्रहाडी राज्यों में होते रहते हैं।
5. तटों का कटाव अधिकतर _____ क्रिया के कारण होता है।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. प्राकृतिक विपदाओं से क्या तात्पर्य है?
2. 'बाढ' से आप क्या समझते है? 'बाढ' आने का प्राकृतिक कारण क्या है?
3. आवर्ती हवाएँ किसे कहते हैं? इनके प्रमुख परिणाम क्या हैं?
4. भूस्खलन होने के बारे में लिखित तथा इसके परिणाम का भी विवरण दीजिए।
5. भारत में तटीय कटाव होने का कारण क्या है? तथा परिणाम के बारे में लिखिए।
6. भूकम्प के परिणाम क्या है? परिणामों को कम करने के लिए आप किस प्रकार की सावधानी बरतेंगे?

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत का नक्शा बनाकर उसमें आवर्ती मानसून हवाओं को पीडित प्रदेशों को नामांकित कीजिए।
2. पिछले 100 वर्षों में भारत में हुए अत्यंत विनाशकारी भूकम्पों की तालिका तैयार कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. प्राकृतिक विपदाओं का चित्र संग्रह कर उसका एक एलबम बनाइए ।

* * * *

www.textbookpdf.in

© KTBS Not to be republished

अध्याय - 12
भारत की जनसंख्या

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- भारत की जनसंख्या का परिमाण।
- भारत की जनसंख्या का विकास(वृद्धि)
- जनसंख्या वृद्धि के कारण।
- जनसंख्या वितरण तथा घनत्व।
- जनसंख्या वितरण पर आधारित तत्व।

जनसंख्या परिमाण : निश्चि प्रदेश में निवास करने वाले जानों की कुल संखया 'जनसंख्या' है। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड है। जो विश्व के भू-भाग का 2.4 प्रतिशत भाग वाले प्रदेश में फैली है। यहाँ विश्वकी कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भाग है।

जनसंख्या वृद्धि : पिछली शताब्दी के आरंभ में अर्थात् सन् 1901 से 1921 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हुयी थी। इसका प्रमुख कारण अत्यधिक मृत्युदर है। जानलेवा बीमारियों तथा चिकित्सा की सुविधा के अभाव में मृत्युदर बढ गई थी। 1921 से 1951 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि सामान्य मानी गई है। इसके लिए भयंकर रोग नियंत्रण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा मलहीनता निर्वहण ही कारण है जिनसे मृत्यु दर कम हो गई।

सन् 1951-1991 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दरशीघ्र बढ गई। लगभग तीन गुनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसका कारण मृत्युदर का निम्न होना था। इसके विपरीत जन्म दर में वृद्धि होती रही। 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आयी। यह 1981 में 24.7 प्रतिशत से 2011 में 17.64 प्रतिशत घट गयी।

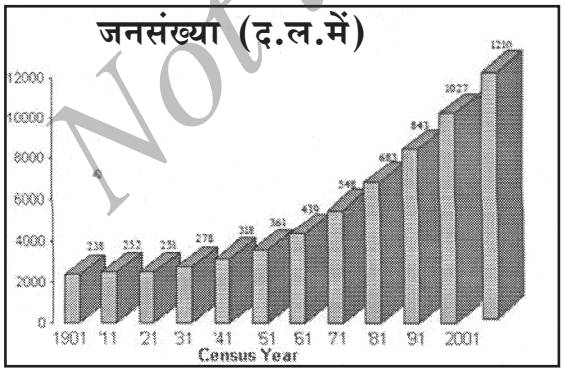

जनसंख्या वृद्धि के कारण : भारत की जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं। उनमे प्रमुख निम्नलिखित हैं -

1) अधिक जन्मदर : यह भारत की जनसंख्या में शीघ्र बढोत्तरी का प्रमुख कारण है। बालविवाह, धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वास, बहुपत्नीत्व, गरीबी, निरक्षरता, उष्णकटिबंधीय जलवायु आदि जन्म दर में वृद्धि के कारण हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

2) (निम्न) कम मृत्यु दर : यह भारत की जनसंख्या वृद्धि का दूसरा प्रमुख कारण है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, जानलेवा संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, शिशुमरण का घटना, शैक्षिक विकास आदि मृत्युदर को घटाने के कारण हैं।

जनसंख्या वृद्धि के परिणाम : जनसंख्या के शीघ्र गति से बढने से कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उनमें प्रमुख हैं - निरुद्योग (बेरोजगारी) खाद्य की कम तथा अपौष्टिकता, अधिक सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्राथमिक सुविधाओं की कमी, कम आय, धीमी गति से आर्थिक विकास, गरीबी, जीवन स्तर में गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण, राजनैतिक अराजकता इत्यादि।

> **ज्ञात रहे -**
>
> **जनगणना :** *जनसंख्या की अधिकृत गिनती।*
>
> **जन्म दर :** *एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या में जन्म लेनेवाले कर जीवित शिशुओं की संख्या है।*
>
> **मृत्युदर :** *एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या में मृत हुए लोगों की संख्या है।*

जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण के उपाय : भारत सरकार ने देश की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के अनेक उपाय जारी किए हैं। उनमें प्रमुख है - परिवार नियोजन, महिला कल्याण योजनाएँ, प्रचार एवं विज्ञापन, ग्रामीण प्रदेश के लोगों को जनसंख्या की समस्याओं के बारे में जानकारी देना इत्यादि।

12.4) जनसंख्या वितरण

भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसके लिए विविध भौगोलिक तथा सांस्कृतिक तत्व कारण हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला (1995 करोड) राज्य है। इसके विपरीत सिक्किम अत्यंत कम जनसंख्या (6.1 लाख) वाला राज्य है। केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली अत्यधिक जनसंख्या वाला (1.67 करोड) क्षेत्र है। किंतु लक्षद्वीप अत्यंत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है।

भारत के विरल (कम अत्यल्प) जनसंख्या वाले प्रदेश में हैं - हिमालय पर्वतीय प्रदेश। केंद्र उच्च प्रदेश, थार मरुस्थल तथा द्वीप। इसके विपरीत अधिक जनघनत्व वाले प्रदेश - गंगा नदी का मैदानी भाग, समुद्र तटीय प्रदेश तथा उद्योग-धन्धों के नगर प्रदेश हैं।

जनघनत्व :

प्रत्येक वर्ग कि.मीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को 'जनघनत्व' कहा जाता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कै जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 382 लोग था। बिहार राज्य अत्यधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। इस राज्य का जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 1102 लोग है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में कम जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 17 लोग

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

है। केंद्रशासित प्रदेश में प्रति वर्ग कि.मी. 11,297 लोग (जनता) वाला दिल्ली अत्याधिक जनघनत्व का प्रदेश है। इसके विपरीत अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में कम जनघनत्व (463 वर्ग कि.मी.) है।

जनघनत्व के आधार पर भारत को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1) अधिक जनघनत्व वाले प्रदेश।
2) साधारण जनघनत्व वाले प्रदेश।
3) कम जनघनत्व वाले प्रदेश।

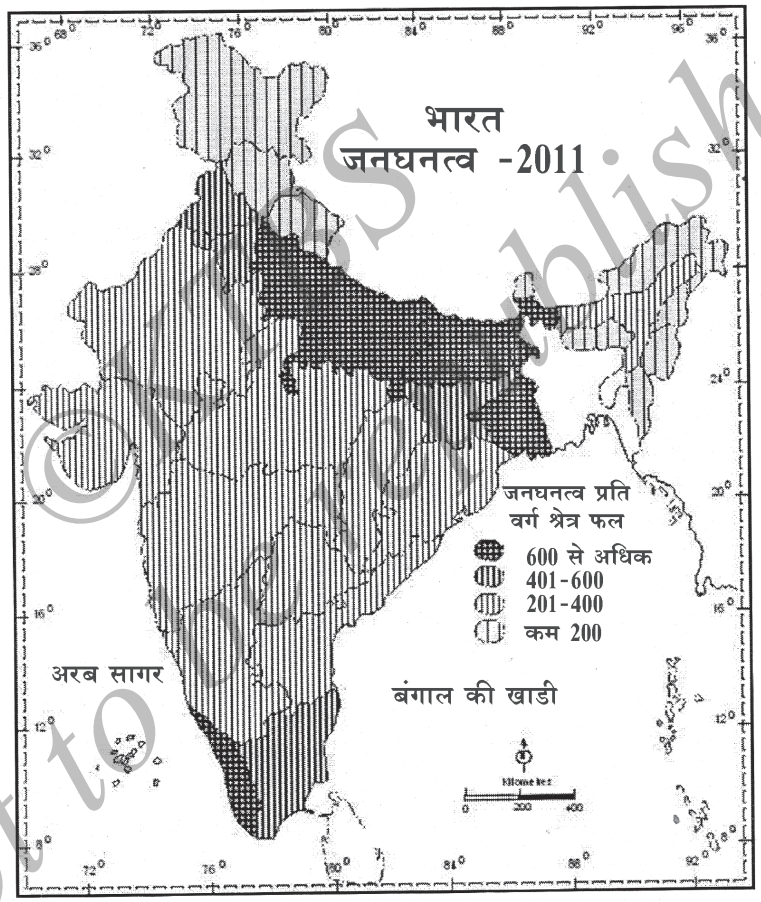

1) अधिक जनघनत्व वाले प्रदेश : उत्तरी मैदान, पश्चिम तथा पूर्वी समुद्री तटीय प्रदेश अधिक जनघनत्व वाले हैं। इन प्रदेशों में बिहार (1102), पश्चिम बंगाल (1030), केरल (859), उत्तर प्रदेश (828), हरियाण (573), पंजाब (550), तथा तमिलनाडु (555) राज्य प्रमुख हैं। यहाँ के अधिक जनघनत्व का कारण उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई, यातायात संपर्क विकास प्रमुख है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ (9252), पांडिचेरी (2598), दमन-दीव (2169), लक्षद्वीप (2113), दादरा नगर हवेली अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं।

©KTBS Not to be republished

इसके अतिरिक्त कुछ उद्योग धन्धों तथा वाणिज्य नगरों में भी जनघनत्व अधिक है। जैसे-मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नै, कोलकत्ता, पूना (पुणे) आदि।

2) साधारण जनघनत्व वाले प्रदेश : यह प्रति वर्ग कि.मी.251-500 लोगों वाला भाग है। यह अधिकतर प्रायःद्वीपीय पठारी भागों में है। वे हैं - झारखण्ड (414), असम (397), गोवा (394), महाराष्ट्र (365), त्रिपुरा (350), कर्नाटक (319), आंध्रप्रदेश (308), गुजरात और उडीसा (269)। यहाँ के साधारण जनघनत्व का कारण खनिज संपदा तथा लौह निर्भर उद्योगों का विकास है।

3) कम जनघनत्व वाले प्रदेश : प्रति वर्ग कि.मी. 250 से भी कम जनसंख्या का भाग इस क्षेत्र में आता है। उदा : मध्यप्रदेश (136), राजस्थान (201), उत्तरांचल (189) छत्तीसगढ (189), मेघालय (132), हिमालय प्रदेश (123), मणिपुर (122), नागालैंड (119), जम्मू कश्मीर (124), सिक्किम (86), अंडमान निकोबार द्वीप (46), तथा अरुणाचल प्रदेश (17), पर्वतीय, पहाडी भागों, वन प्रदेशों कम उष्णता वाले क्षेत्र या अर्ध मरुस्थलीय जलवायु इनके कम जनघनत्व का कारण हैं।

जनसंख्या वितरण पर नियंत्रण के कारक : भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारक तत्व भारत की जनसंख्या के असमान वितरण का कारण है। ये इन पर प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख हैं :-

1. सतही विशेषताएँ : पर्वतीय, पहाडी प्रदेशों में जनसंख्या विरल है। उदा: उत्तर के पर्वतीय तथा उत्तर पूर्वी पहाडी ऊबड खाबड प्रदेश। किंतु उत्तर के महामैदानी भाग तथा नदी द्रोणी (मुख्ज) भागों में जनघनत्व अधिक होता है।

2. जलवायु : उत्तम जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत अत्याधिक ठंड (शीत) तथा शुष्क हवा वाले भागों में जनसंख्या कम या विरल होती है। उदा - हिमालय तथा थार मरुस्थल।

3. मिट्टी : उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में अधिक जनसंख्या होती है। उदा: उत्तर भारत का मैदानी भाग, पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटीय भाग। इसके विपरीत अनुपजाऊ मरुभूमि में जनसंख्या कम होती है।

4. संसाधन : समृद्ध खनिज तथा शक्ति संसाधन वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक होती है। उदा: पश्चिम बंगाल, उडीसा आदि।

5. उद्योग धन्धे तथा वाणिज्य उद्यम : अधिक औद्योगिक विकास, वाणिज्य तथा नगर केंद्रों में जनसंखया अधिक होती है। उदा: नई दिल्ली, बेंगलूरु, मुंबई, चेन्नै, कोलकत्ता, हैदराबाद आदि।

www.textbookpdf.in

©KTBS Not to be republished

जल आपूर्ति, प्रवास उद्यम विकास, जन तथा जायदाद के लिए उपलब्ध सुरक्षा और निर्भयता, रक्षा भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. 2011 की जनगणनानुसार भारत की कुल जनसंख्या _____ करोड थी।
2. विश्व की कुल जनसंख्या का _____ प्रतिशत भाग भारत में है।
3. भारत की अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य _____ है।
4. केंद्रशासित प्रदेशों में _____ अत्यंत कम जनसंख्या वाला प्रदेश है।
5. _____ भारत का अत्यधिक कम जनसंख्या वाला राज्य है।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. जनसंख्या से क्या तात्पर्य है?
2. जनघनत्व की व्याख्या कीजिए।
3. भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है?
4. भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या है?
5. भारत में जनसंख्या वितरण पर नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन हैं?
6. भारत के कुछ भागों में जनघनत्व का कारण क्या है? विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रदर्शित करने के लिए एक नक्शा तैयार की जिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. अपने जिले की जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं का संग्रह कीजिए और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अर्थशास्त्र

अध्याय-3

धन और उधार (ऋण)

इस अध्याय में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगेः

- धन का अर्थ, उद्गम और कार्य।
- बैंकों का महत्व
- भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य।
- धन की पूर्ति और उसका मापन
- भारतीय रिजर्व बैंक से व्यहृत उधार और नियत क्रमः

धन का अर्थ एवं महत्वः

धन एक मूलभूत आविष्कार है। वह हमारे दैनंदिन व्यवहार सुगमकर्ता है। सामान और सेवाओं का मूल्य निर्णय करता है। संपत्ति का संग्रह और व्यापार की मदद करती है।

आप की जानकारी हेतु :-

हर एक विषय का अपना अनुशासन है अतःउसका अपना मूलभूत आविष्कार है। यंत्रशास्त्र चक्र, विज्ञान में आग, राजनीति शास्त्र में मत और अर्थशास्त्र में धन -ये मूलभूत आविष्कार है। मानव सभी वाणिज्य के जीवन में धन एक आवश्यक शोध है। अन्य सभी उस पर निर्भर है।

- जाफरी क्रौथर

धन से सामान और सेवाएँ खरीद सकते हैं। वह भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापन और संग्रह का माध्यम होकर सर्वमान्य है। रार्बट सन के अनुसार 'सामान के भुगतान करने में अथवा अन्य व्यवहारों के उधार चुकाने में व्यापक रूप में स्वीकृत किसी वस्तु धन है।'

धन का विकासः आज हम सभी कागज़ से तैयार नोटों के अलावा सिक्कों को भी धन के रूप में उपयोग करते हैं लेकिन आजकल हम जिस धन का उपयोग कर रहे हैं। वह धन कई सालों की अवधि में विकसित हुआ है। इस विकास के सोपानों पर हम यहाँ विचार करेंगे।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

वस्तुविनिमय पद्धतिः प्राचीन काल में लोग धन का उपयोग नहीं कर, सामान के द्वारा परस्पर वस्तुओं का विनिमय कर सकते थे। वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन व्यवहार था। उदाहरणार्थ- आप के पास एक गाय है, उसके बदले भेड़ का विनिमय चाहे तो भेड़ पालनेवालों को ढूँढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं भेड़ के बदले गाय चाहनेवाले व्यक्ति को ढूँढ़ना पड़ता है। आखिर में ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ने पर भी मूल्य निर्णय प्रश्न उठता है। अर्थात् एक गाय के दाम के लिए कितनी भेड़ समान है? तब गाय और भेड़ों का विनिमय कैसे कर सकते हैं? इस लिए वस्तु विनिमय पद्धति परस्पर इच्छित वस्तुओं का विनिमय, सार्वत्रिक मूल्यांकन समाज के विभाजन की समस्या मूल्य संग्रह की समस्या आदि असुविधाएँ थीं।

वस्तु रूप में धनः मानव नागरिकता के विकास के बाद सोपान में निश्चित मात्रा और वज़न की एक वस्तु को धन के रूप में स्वीकार कर उस वस्तु के द्वारा अन्य एक वस्तु का मापन किया जाता था । विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं को धन मानकर उपयोग किया जाता था। उदाहण के लिए ग्रीक में जानवर, रोम में भेड़, चीन में दाँत आदि लेकिन धन का यह रूप वस्तुविनिमय पद्धति की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका।

लोहे का धनः कीमति लोहा जैसे सोना, चाँदी, तांबा, काँस्यों को धन के रूप में उपयोग किया जाता था। प्रमाणित वज़न और विशेषतः सोना और चाँदी से तैयार कर उसके ऊपर प्रशासनिक मोहरों को सिक्कों पर लगाकर विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। ये विविध निर्धारित मूल्य होने के कारण विभाजित करना आसान था। उनका यातायात और भुगतान भी सरल था।

क्रियाकलापः
इतिहास में विविध राजाओं से उपयोग किये गये सिक्कों के बारे में जानिये।

कागज़ का धनः लोहे के धन को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए व्यापारी से परिचित महाजन तो लिखित दस्तावेज देते थे। वे निर्धारित धन को धन के समान मूल्य मानकर अपने साथ ले जाते थे। ये लिखित दस्तावेज असली धन नहीं थे। लेकिन माँग के अनुसार धन के बराबर विनिमय होने के कारण वे सांकेतिक धन विपुल मात्रा में स्वीकृत होते थे। कालानुक्रम में लोग बैंक से देनेवाले कागज़ के नोटों को असली धन समझकर उपयोग करते थे। कुछ समय में सरकार ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना कर उसे नोट मुद्रित करके जारी करने का एकाधिकार दे दिया। यह धन शासनबद्ध धन माना गया। अपने-अपने देश के व्यवहार में उस धन को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार हमारे देश में रूपया अमेरिका में डॉलर,इंग्लैंड में फौंड, जापान में एन, चीन में युआन, आदि नामों से प्रचलित है।

बैंक धनः व्यापार और वाणिज्य की अभिवृद्धि होते-होते बैंक का धन अस्तित्व में आ गया। चेक, ड्रॉफ्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोग में आये। इनके द्वारा धन का भुगतान

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

और स्थानांतरण किया जा सकता है। चेक, सामान और सेवाओं के व्यवहार में उपयोग किया जाता है।

प्लॉस्टिक धनः यह आज के दिनों को आविष्कार है। बैंकों ने अपने ग्राहकों के क्रेडिट अथवा डेबिटकार्ड द्वारा व्यवहार करने की सुविधा प्रदान की है। क्रेडिट कार्ड को इलेक्ट्रानिक यंत्र के ऊपर बल देकर खींचने से खरीदनेवाले के उधार के खाते से बेचनेवाले के खाते को धन का भुगतान होता है। डेबिट कार्ड भी किसी इसी तरह कार्य करता है। लेकिन डेबिट कार्ड में खरीदनेवालों की बचत खाते से भुगतान होता है। इन्हें प्लॉस्टिक से तैयार करने के कारण प्लॉस्टिक धन कहते हैं।

2. धन के कार्यः

धन के कार्यों कों तीन विभागों में विभाजित किया गया है।

1. प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य
2. पूरक कार्य
3. अन्यकार्य

2.1. प्राथमिक अथवा मुख्य कार्यः

अ. विनिमय माध्यम अथवा भुगतान का साधनः सामान खरीदने और विक्रय करने में धन को बीच के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। धन के उपयोग के व्यवहार को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथमतः बाज़ार में सामान और सेवाओं को बेचने से धन प्राप्त होता है। दूसरा उस धन के द्वारा सामान और सेवाओं को खरीद सकते हैं।

ब. मूल्यांकनः धन ने वस्तु विनिमय की पद्धति की बहुत बड़ी असुविधाओं को सुलझाया है। उसने सामान और सेवाओं के मूल्य को दाम के रूप में व्यक्त किया है। सभी सामान और सेवाओं का मूल्य धन के रूप में व्यक्त करने से व्यवहार सुगम होता है।

2.2 पूरक कार्य - धन पूरक कार्य का अर्थ हैः

अ. देर भुगतान का प्रमाणः

अ. धन भविष्य के भुगतान के लिए भी सहायक है। उधार लेनेवाले निर्दिष्ट प्रमाण में धन को भविष्य के निश्चित दिनांक तक रखकर फिर प्राप्त करने के करार के आधार पर प्राप्त करने उधार भी ले सकते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति सामान खरीद कर उसका मूल्य के निश्चित दिनांक को भुगतान कर सकता है।

ब. मूल्य अथवा खरीद ने की शक्ति का संग्रहः

सामान में क्षीण होने का गुण है। अतः वस्तु विनिमय पद्धति में संपत्ति की बचत अथवा संग्रह बड़ा कठिन था। किंतु धन के प्रचलित होने के बाद सामान को उसके मूल्य रूप में बचत या संग्रह बहुत आसान हुआ है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

क. मूल्य अथवा खरीदने की शक्ति का स्थानांतरण:

धन के द्वारा सामान और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण कर विनिमय करना सरल है। इससे व्यापार की वृद्धि हुई है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का स्थानांतरण भी सुलभ है।

3. बैंक: बैंक वित्तीय अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1949 वाँ भारतीय बैंकिंग नियंत्रण कानून लागू हुआ। उसके अनुसार 'भारत में अपने बैंकिंग व्यवहार करनेवाला कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी कहलाती है। बैंकिंग का तात्पर्य है कि उधार देना अथवा रकम जमा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक लोग जो धन गरिवी के रूप में रखते हैं। उसे स्वीकार कर माँग अथवा अन्य आधारों पर धन देने का चेक, ड्रॉफ्ट-आदेश आदि के द्वारा धन ग्राहक फिर प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसी को बैंकिंग कहते हैं।

भारत के बैंकिंग व्यवस्था में 20 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक के अलावा (1969 में चौदह वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है।फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है।) भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (1976 में स्थापित) गैर सरकारी क्षेत्रों बैंक, सहकारी बैंक/संघ तथा उसके नियंत्रण में रहनेवाले अन्य बैंक भी हैं।

बैंकों का महत्व : आर्थिक अभिवृद्धि में बैंको की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे सार्वजनिक बचत को संगृहीत करके उन्हें जमाकर्ताओं को देते हैं। इनके द्वारा पूँजी संग्रह और संचयन में प्रमुख भूमिका है। विविध साधनों के द्वारा ग्रहकों को धन के भुगतान का मार्ग सूचित करता है। निश्चित अवधि में निधि को सूद का दर देने के अलावा कृषि, उद्यम और सेवा क्षेत्रों की अभिवृद्धि के लिए उधार देते हैं। इतना नहीं वे निधि को संगृहित करने के अलावा ड्राफ्ट, क्रेडिट तथा डेबिट-कार्डो को देकर अपने व्यवहार के लिए आसान बना देते है।

भारतीय रिजर्व बैंक:

1 अप्रैल, 1935 को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उसे 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया।

> ***समझने के लिए :***
> भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में उसके कार्यों को इस प्रकार वर्णन किया गया है। ''बैंक नोटों को देने के नियंत्रण करना और भारत का धन की स्थिरता को पालन करने के उद्देश्य से सुरक्षित रखने के अलावा देश के हित पालन करने के लिए धन और कर्ज की व्यवस्था निभाना''।

आरबीआई के कार्य:

1. नोट जारी करने का एकाधिकार: आर बी आई को 2,5,10,20,50,100,500 और 2000 रुपये के नोटों को मुद्रित करने का एकाधिकारी 1 रुपये के नोट को भी सरकार के पक्ष में मुद्रित कर जारी करने का अधिकारी ।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

2. सरकार के बैंक बनकर कार्य निर्वहणः

आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार के कालावधि निधि स्वीकार करता है। यह सरकार के पक्ष में निर्धारित कर और धन जमाना स्वीकार कर सरकार के आदेशानुसार धन देता है।, खजाने के निधिपत्र अलावा सरकार वित्तीय सलहकार कार्य करती है। सरकारी आवश्यकता के अनुसार अल्पावधि उधार की व्यवस्था भी करता है।

3. बैंकों का बैंक बनकर कार्य निर्वहणः

बैंकों का बैंक बनकर आरबीआई कार्य निर्वहण करता है और देश के सभी बैंकों का निर्वहण करता है। सभी बैंक अपने कालावधि निधि के निर्दिष्ट भाग को आरक्षण के रूप में आरबीआई में रखना चाहिए। बैंकों को अधिक धन की आवश्यकता होती आरबीआई उधार देता है। वह बैंकों के वित्तीय निर्वहण के बारे में मार्गदर्शन करता है।

4. राष्ट्रीय भुगतान का केंद्र बनकर कार्य निर्वहणः

बैंकों के बीच का व्यवहार सही ढंग से सुलझाने के लिए आरबीआई भुगतान का केंद्र बनकर कार्य करता है।

5. उधार के प्रमाण का नियंत्रकः

देश में अपेक्षित वित्तीय परिस्थिति के अनुसार वाणिज्य बैंक प्रदत्त उधार प्रमाण का नियंत्रित करता है।

6. विदेशी विनिमय संग्रह का निरीक्षकः

आरबीआई विदेशी विनिमय संग्रह का निरीक्षक बनकर कार्य करता है। यह कार्य हमारा धन अन्य देशों को स्थानांतरण कर विनिमय की दर के नियंत्रण में सहायक है। विदेशी विनिमय का दर के अनपेक्षित उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए परिस्थिति के आधार पर आरबीआई विदेशी धन खरीदने और विक्रय करने का काम करता है।

7. बैंकिंग लेन देने की अभिवृद्धिः

आर बी आई लोगों में बैंकिंग व्यवहार के लेन-देन की अभिवृद्धि द्वारा बचत को सांस्थीकरण करता है और बैंक की सुविधाओं को सभी क्षेत्रों में विस्तृत करने का प्रयत्न भी कर चुका है। भारत की वित्तीय अभिवृद्धि को तेज करने के लिए आरबीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जानकारी के लिए :

बैंक सन् 1668 में स्थापित स्वीडन के रिक्स-बैंक अत्यंत प्राचीन बैंक है। ब्रिटन का केंद्र बैंक, बैंक आफ इंग्लैंड की स्थापना सन-1664 में हुई। अमेरिका का केंद्र बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना सन् 1913 में हुई।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

लेखा-जोखा संग्रह और प्रभावकारी अनुसंधान तथा बैंकिंग संबंधी ज्ञान का बँटवारा की समृद्ध परंपरा को प्राप्त कर चुका है। देश के कई वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए आरबीआई के नियम अत्यंत सहायक है।

5. धन की पूर्ति का नियंत्रणः

देश के वित्तीय प्राधिकार प्रदत्त करेंसी नोट और सिक्के उस देश के वित्तीय की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंक की बचत और प्रचलित खाते में रहनेवाली बचत को भी धन कहा जाता है। इनका खाताओं में जो धन है, बैंकों से अल्पावधि सूचना देकर अथवा माँग के आधार पर बाहर निकालने के प्रावधान रहने के कारण उन्हें माँग और डिमांड निधि भी कहा जाता है। बचत कालावधि निधि को निश्चित समयावधि के कारण वे कालावधि है। अतः लोगों के पास जो करेंसी हैं और बचत कालावधि निधि उस समय का पूरा धन माना जाता है।

भारत में धन की पूर्ति की चार परिकल्पनाएँ प्रचलित हैं-M1, M2, M3 और M4, इनकी व्यख्या इस प्रकार की जाती है।

M1= नोट और सिक्के + वाणिज्य बैंको कुल माँग निधि।

M2= M1+डाक कार्यालय की बचत कालावधि निधि।

M3 = M1+वाणिज्य बैंकों मकी कालावधि निधि।

M4 = M3+डाक कार्यालय की कुल कालावधि निधि।

वित्तीय निर्वहण की दृष्टि से M1 और M2, लघु कालावधि धन माना जाता है। M3 और M4 विस्तृत कालावधि निधि माना जाता है। इस धन की पूर्ति के अलावा वाणिज्य बैंक स्वीकृत कालावधि निधि के आधार पर अत्यधिक प्रमाण में उधार की सृष्टि कर वाणिज्य और अन्य देशों को दिया जाता है। यह भी वित्तीय व्यवस्था में प्रचलित ढंग के प्रमाण पर प्रभाव डालता है। एक ओर इस धन की पूर्ति होतो दूसरी ओर सामान और सेवाओं की पूर्ति देश के धन के उतार-चढ़ाव को भी प्रभावित करती है। धन की पूर्ति अधिक होकर उसके बराबर सामान और सेवाओं की पूर्ति न होतो मूल्य तीव्र रूप से बढ़े तो पर्याय समस्याएँ प्रारंभ होती है।

मूल्य में लघु बढ़ती का प्रमाण वित्तीय शक्तिदायक पेय के बराबर है। मूल्य की अत्यधिक बढ़ती हो तो लोगों को खरीदने की शक्ति आय का बँटवारे की अत्यधिक बाधा उपस्थित होती है। ग्राहकों की आशा को झूठ सिद्ध करके वित्तीय अभिवृद्धि को रोक देती है।

ऐसे प्रसंगों में परिस्थिति के अनुसार आरबीआई धन की पूर्ति में परिवर्तन करता है। किंतु बैंक उधार देने की सामर्थ्य को नियंत्रित करने के लिए निर्दिष्ट नियमों को अपनाता

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

है। इससे उधार के केवल खर्च के अलावा उधार देने के उद्देश्य भी बन जाते है। धन की पूर्ति और उधार के प्रमाण के नियंत्रण के लिए जो नियम है उन्हें वित्तीय नीति कहते हैं।

अब आरबीआई के उधार देने के क्रम पर विचार करेंगे।

6. उधार और नियंत्रण क्रमः

इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. परिमाणात्मक क्रम 2. गुणात्मक क्रम

परिमाणात्मक उधार के नियंत्रण का क्रमः

यह साधन, व्यवहार और लोगों के अनुकूल धन का प्रमाण है। मुख्य रूप से इस प्रकार है।

i. **बैंक दरः** केंद्र बैंक अन्य बैंकों के लिए अनुमोदित सुरक्षता अथवा उचित विनिमयार्थ निधि के लिए निर्धारित सूद का दर है। यह बैंक अपने ग्राहकों को सूद दर निर्धारित करता है। इससे बैंक जो उधार देता है। उसका प्रमाण प्रभावित है। जब बैंकों का दर बढ़ता है तब कुल उधार का खर्च ज्यादा होकर उधार देना कम होता है। जब बैंकों का दर कम होता है। खर्च कम होकर उधार देना भी कम होता है।

ii. **मुक्त बाज़ार का कार्याचरणः** वित्तीय व्यवहार बाज़ार में मुक्त रूप से सरकार की सुरक्षता को केंद्र बैंक खरीदने और विक्रय करने का क्रम ही मुक्त बाजार का कार्याचरण कहलाता है। सरकारी सुरक्षता का बाज़ार, सार्वजनिकों और बैंक पास के धन को केंद्र बैंकों स्थानंतरण करे तो सुरक्षता की दृष्टि से खरीदी के धन को केंद्र बैंक से सार्वजनिकों और बैंकों को स्थानांतरण करता है। इस प्रकार उधार का प्रमाण आरबीई नियंत्रण करता है।

iii. **आरक्षण के अनुपात की आवश्यकता का उतार-चढ़ावः** वाणिज्य और अन्य बैंक आरबीआई के सूचनानुसार दो प्रकार के आरक्षण करना पड़ता है। एक नकद आरक्षण अनुपात और दूसरा शासनबद्ध द्रव्य अनुपात। शासनबद्ध द्रव्य अनुपात बैंक हम अपने कुल निधि के निर्धारित प्रमाण को नकद के रूप में रखने का शासनबद्ध प्रमाण है। नकद आरक्षण का अनुपात बैंक अपने कुल निधि को निर्धारित प्रमाण के आरबीआई में प्रमाण के रूप में जमा करना है। इस दोनों अनुपातों को बढ़ाने के संदर्भ में बैंकों के दैनंदिन व्यवहार के लिए धन कम होता है और उन्हें कम करने पर ज्यादा प्रमाण का धन प्राप्त होता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

गुणात्मक उधार नियंत्रण क्रमः

गुणात्मक अथवा चयन किया हुआ नियंत्रण क्रम उधार प्राप्त करने के उद्देश्य और उसके उपयोग को प्रभावित करता है। प्रमुख गुणात्मक उधार नियंत्रण क्रम इस प्रकार है-

I. **मार्जिन प्रमाण का परिवर्तनः** उधार प्राप्त करने के समय में बैंक सुरक्षता के आधार पूछता है अथवा उधार के निश्चित प्रमाण को उधार प्राप्त करनेवाले व्यक्ति ही मार्जिन धन को चुकाना पड़ता है। किसी उद्देश्य के लिए देनेवाले उधार को विच्छेदित करने मार्जिन धन का प्रमाण कम किया जाता है। उसी प्राकर उधार देने की व्यवस्था को निश्तेजित करने मार्जिन धन के प्रमाण को बढ़ाया जा सकता है।

II. **उधार की गरिष्ठ सीमा का निश्चिय करना अथवा उधार वितरण क्रमः** निश्चित उद्देश्यों के लिए प्रदत्त उधार का प्रमाण की गरिष्ठ सीमा को आर बी आई निर्धारित करता है। किसी उद्देश्य हेतु अत्यंत ज्यादा उधार देने में रोक लगाता है।

III. **नैतिक दबावः** कई उद्देश्य हेतु कुल देने के उधार अथवा कई उद्देश्य हेतु उधार का प्रमाण कर्म करने के लिए आरबीआई वाणिज्य बैंकों पर परिपत्र के द्वारा नैतिक दबाव क्रम डालने का क्रम अपनाया है।

IV. **सीधा क्रमः** जब सभी क्रम असफल हो जाते हैं। तब आरबीआई वाणिज्य बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सीधे नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार से दंड का रूप है। इसका प्रयोग अंतिम अवस्था पर किया जाता है।

इस प्रकार केंद्र बैंक भारत में आरबीआई , कई क्रमों के द्वारा धन का प्रमाण नियंत्रण कर अपनी ओर से मूल्य परिस्थिति और कुल अभिवृद्धि की गति को प्रभावित करता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजियेः

1. वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तुओं के बदले में _____ विनिमय किया जाता था।
2. चेक _____ धन का साधन हैं।
3. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का वर्ष _____ है।
4. जापान देश के धन को _____कहते हैं।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

5. भारत सरकार 14 वाणिज्य बैंकों को _____ में राष्ट्रीयकृत किया।
6. लघु रूप से धन की पूर्ति को_____और _____ द्वारा मापन किया जाता है।
7. धन का उत्तर चढ़ाव धन की पूर्ति सामान और सेवाओं की पूर्ति _____ तो गठित होता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिये:

1. वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं?
2. धन का अर्थ और कार्यों का विवरण दीजिये।
3. आरबीआई के कार्यों का विवरण दीजिये।
4. भारत में उपयोग करने के धन की पूर्ति की विभिन्न परिकल्पनाओं का विवरण दीजिए।
5. आरबीआई उधार का नियंत्रण किस प्रकार करता है? समझाइए।

III. गतिविधियाँ-

उपयुक्त चित्रों का उपयोग कर धन के विकास का विवरण दीजिये।

IV. परियोजना कार्य:

1. वाणिज्य बैंकों के कार्यों पर ध्यान देकर उन कार्यों का विवरण दीजिये।
2. निकट बैंक में जाकर उसके कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय-4

सार्वजनिक धन और आय-व्यय

इस अध्याय में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे।

- सार्वजनिक धन का अर्थ और महत्व
- आय-व्यय
- सार्वजनिक व्यय और आय
- अपर्याप्त धन और वित्तीय कमी

1. परिचय:

आपको अपने परिवार के किन-किन स्रोतों से कितनी आय प्राप्त होती है? इसकी जानकारी है? हर एक परिवार के सदस्य कृषि, उद्यम अथवा अन्य सेवाओं में अपने को लगाकर अर्थात् काम करते-करते आय प्राप्त करते हैं। व्यक्ति पट्टा अथवा किराया (भूमि, जमीन, और अन्य स्थिर भूसंपत्ति पर) मज़दूरी (विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में भागा लेकर अपने परिश्रम के द्वारा) सूद(वित्तीय संस्थाओं में धन लगाकर अथवा दूसरों को उधार देने के द्वारा) और लाभों के (एक उत्पादक गतिविधि में धन लगाने के द्वारा) रूप में आय प्राप्त करता है।

सामान्यतया आय को एक साल की अवधि के आधार पर हिसाब लगाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त आय के अनुभोग और अभिवृद्धि के उद्देश्यों से खर्च किया जाता है अथवा परिवार अपनी आय और खर्च को उचित ढंग से निर्वहण करने के द्वारा अभिवृद्धि करना एक कला है। आय से खर्च अधिक हो तो उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति और परिवार की आय और खर्च और उधार का निर्वहण के बारे में जानकारी देना व्यक्तिगत धन कहते हैं। उसी प्रकार सरकार अपने धन का निर्वहण करती है। वही सार्वजनिक धन है। इस अध्याय में सरकार अपने धन का निर्वहण कैसे करती है ? इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।

सार्वजनिक धन का अर्थ और महत्वः

डाल्टन की व्याख्यान के अनुसार सरकारी आय, खर्च तथा उधार का निर्वहण और उनमें संतुलन करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करना ही सार्वजनिक धन है। सार्वजनिक धन सरकार की आय, खर्च और उधार के निर्वहण का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

महत्वः आर्थिक अभिवृद्धि और आर्थिक स्थिरता साधित करने के उद्देश्य से सरकार अपनी आय, खर्च और उधार से संबंधित कालानुक्रम में अनुकरण करने की नीति को

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

कोशीय नीति अथवा वित्तीय नीति कहते हैं। आर्थिक -प्रगति और स्थिरता को साधित करके आय का समान करना वित्तीय नीति के मुख्य उद्देश्य है।

प्रगतिशील कर नीति को अपना कर सरकार अमीर लोगों की आय पर अधिक कर लगाकर और संगृहीत आय को गरीब लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने से असमानता कम होती है। इतना ही नहीं है कि उस आय को अभिवृद्धि का स्तर अधिक होकर सब का लाभ होता है। उसी प्रकार आर्थिक स्थिति कम होने के संदर्भ में खर्च बढ़ाकर आर्थिकता बढ़ाने के संदर्भों में खर्च कम करके सरकार आर्थिक स्थिरता का निर्वहण कर सकती है। आय खर्च और उनके बीच संतुलन वार्षिक आय-व्यय अथवा अग्रिम पत्रों का भाग होने के कारण सार्वजनिक धन का अध्ययन आय-व्यय के विश्लेषण में सहायक होता है।

2. आय-व्यय अथवा अग्रिम पत्रः

सरकार हर एक साल अपने वित्तीय वर्ष का आय-व्यय को पहले ही तैयार करता है। भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल एक से प्रारंभ होकर उसके अगले साल के मार्च 31 को समाप्त होता है। अगले वर्ष के आय-व्यय को सरकार उस वर्ष में तैयार करके संसदि का अनुमोदन प्राप्त करती है। इस आय-व्यय के द्वारा अपनी कोशीय नीति के उद्देस्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करती है। तब तो आय-व्यय किस कहते हैं?

सरकार एक वर्ष की आय और व्यय के बारे में तैयार की गयी अंदाज के आय-व्यय पत्र को अग्रिम पत्र कहते हैं। यह सरकार के आय-व्यय को बताने का एक दस्तावेज है। केंद्र और राज्य सरकार अपने-अपने आय-व्यय को अलग-अलग तैयार करती है। भारत में केंद्र सरकार के आय-व्यय को केंद्र का वित्तीय मंत्री आर्थिक विभाग के सहयोग से तैयार करते हैं। सामान्यतया वित्तीय मंत्री हर एक साल फरवरी और मार्च महीने के अधिवेशन में लोकसभा में केंद्र आय-व्यय प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा और राज्य सभा दोनों में आय-व्यय पत्र पर सुदीर्घ चर्चा होकर मार्च 31 के अंदर दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त करता है।

आय-व्यय के पत्र तीन प्रकार के हैं-

1. आय-व्यय पत्र में सरकार की आय, सरकार के खर्चे से अधिक होतो उसे बचत आयव्यय कहते हैं।
2. आय-व्यय पत्र में सरकार की आय से खर्च अधिक हो तो उसे घाटा आय-व्यय कहते हैं। सरकार के आय-व्यय बराबर हो तो उसे संतुलन आय-व्यय कहते हैं।
3. अभिवृद्धि में अग्रसर भारत जैसे राष्ट्र की सरकार घाटा-आय-व्यय प्रस्तुत कर अपने खर्च ज्यादा कर वित्तीय अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं।

2.1 सार्वजनिक व्यय(खर्च)- सरकार राष्ट्र की सुरक्षा, प्रशासन निर्वहण, वित्तीय अभिवृद्धि तथा लोगों के हित की दृष्टि से विभिन्न कार्यों के लिए धन खर्च करती है। इसे सार्वजनिक

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

व्यय (खर्च) कहते हैं। अर्थात् प्रजा के हित की दृष्टि से जो खर्च किया जाता है वह सार्वजनिक व्यय है। 20वीं सदी में कल्याण-राज्यों के उदय के साथ आधुनिक सरकार का कार्यक्षेत्र और उसकी भूमिका विस्तृत हुए हैं। सार्वजनिक खर्च भी ज्यादा है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के अपने-अपने खर्च से संबंधित विषय होते हैं।

बीसवीं सदी में सरकार की भूमिका व्यापक होने के कारण खर्च भी अधिक है। सार्वजनिक खर्च आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करनेवाली सुविधाओं का निर्माण करना पड़ता है। वह पूँजी लगाने प्रस्तुत वातावरण का सुधार करना पड़ता है। बचत पूँजी लगाना और नये उत्तेजकों को देना पड़ता है। इतना ही नहीं आर्थिक प्रगति को तीव्र कर स्थिरता को निर्धारित करना पड़ता है। अर्थात् सार्वजनिक खर्च का उद्देश्य इस प्रकार हैः

i. आर्थिक प्रगति को तीव्र करना।
ii. उद्यम,व्यवहार और वाणिज्यों को प्रोत्साहन देना।
iii. कृषि तथा ग्रामीण अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देना।
iv. संतुलित प्रादेशिक प्रगति को प्रोत्साहन देना।
v. सामाजिक और आर्थिक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण।
vi. सामूहिक रूप में उपयोग हेतु सामान देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ाना।
vii. संपूर्ण रूप से उद्योगों का निर्माण।

2.2 सार्वजनिक आयः

सार्वजनिक आय, विभिन्न आर्थिक कार्य और जनता पर लागू किये गये कर, सरकार के उद्यमों से प्राप्त आय और अनुदान से प्राप्त होती है। लोगों की आय की आधिकता के कारण और सरकार क आवश्यकता भी अधिक होने के कारण सरकार संगृहीत आय का प्रमाण भी बढ़ रहा है। संविधान केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ उनकी आय के स्रोतों को भी निर्धारित कर युका है। केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे।

A. राजस्व की आयः (Revenue Receipts): सरकार विभिन्न कर और कर के अलावा अन्य स्रोतों से संगृहीत आय को राजस्व आय कहते हैं। यह सरकार की वास्तविक आय है। राजस्व आय मुख्य रूप से दो प्रकार की है। एक कर की आय । दूसरी कर के अलावा अन्य आय।

1. कर की आयः (Tax Revenue): प्रजा किसी प्रकार के प्रतिपलापेक्ष बिना सरकार को देने की अनिवार्य रुपये को कर कहते हैं। केंद्र सरकार अपनी प्रजाओं पर अनेक प्रकार के कर निश्चित कर आय का संग्रह करती है। कर सरकारी की बहुमुख्यक आदाय का स्रोत हैं. सरकार आय को निर्धारित करते समय अधिक आयवाले लोगों पर अधिक कर, और

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

कम आयवाले लोगों पर कम कर निर्धारित करता है। गरीबों की आय कम होने के कारण कर में छूट दी गयी है। अमीर लोग उपयोग करनेवाले सामान और सेवाओं पर ज्यादा कर डालते हैं। आम जनता उपयोग करनेवाले-सामान सेवाओं पर कम कर डालते हैं। सरकार कर लगाने के समय जिस नीति का प्रयोग करती है उसे प्रगति पर कर की नीति कहते हैं। केंद्र सरकार दो प्रकार के कर लगाती है। अ. प्रत्यक्ष कर आ. परोक्ष कर

अ. प्रत्यक्ष करः(Direct Taxes) सरकार किस पर कर लगाती है वे ही उस कर दिये तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ऐसे करों को अन्य लोगं को स्थानांतरण किया जाता। सामान्यतया व्यक्ति और संस्थाएँ प्राप्त आय और संपत्ति पर लगानेवाले कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। आय पर निर्धारित कर कंपनी पर निर्धारित कर,संपत्ति पर निर्धारित कर टिकट पर निर्धारित कर आदि।

आ. परोक्ष करः(Indirect Taxes) सरकार निर्धारित कर अन्यों पर स्थानांतरण करने का प्रावधान हो तो ऐसे करों को परोक्ष कर कहते हैं। सामान्यतया परोक्ष कर को सामान और सेवाओं पर निर्धारित किया जाता है। उदा-सरकार सामान और सेवाओं के उत्पादन के समय में उत्पादन के समय मे उत्पादक पर कर निर्धारित करती है। इस कर को उत्पादक व्यापारियों पर स्थानांतरण करता है। व्यापारी अंतिम रूप से कर की बोझ ग्राहकों पर स्थानांतरण करता है। केंद्र सरकार के निर्धारित मुख्य परोक्ष कर इस प्रकार हैं-जैसे केंद्र अबकारी कर, आयात-निर्यात कर और सेवा कर आदि। 2017-18 वाँ आर्थिक साल से सरकार ने सभी परोक्ष कर के बदले सामान और सेवा कर को (जी एस टी) एक ही रूप से निर्धारित किया है।

सामान्य और सेवा कर *(Goods and Services Tax, GST)*

जीएसटी पूरे भारत में उत्पादन व्यवहार तथा उपयोग पर एक समग्र परोक्ष कर है। केंद्र तथा राज्य सरकार प्रस्तुत निश्चित करने को सभी परोक्ष कर के बदले जीएसटी लागू किया जाता है ? उसे सामान और सेवाओं का व्यापार अथवा खरीदी के सभी स्तर पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन उत्पादक अथवा व्यापारी तत्संबंधित सामान अथवा सेवाओं को पहले ही दिये गये कर के प्रमाण को रद् करने की व्यवस्था है।

जीएसटी परोक्ष कर के सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहु प्रकार के कर औ उसके परिणामों को रोककर पूरे भारत में एक ही प्रकार के बाजार का कर स्थापित करने में सहायक है। कर के सललीकरण से उसका प्रशासन और जारी करना आसान है। ग्राहक की दृष्टि से देखे तो अत्यंत प्रमुख लाभ यह है कि कर कम होता है। सामान मुक्त रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य को रवाना कर सकते हैं और दस्तावेजीकरण कम होता है।

2. कर रहित आय (Non-Tax Revenue) : सरकार के करों के अलावा अन्य स्रोतों से आय संगृहीत होती है। इसे कर रहित आय कहते हैं। केंद्र सरकार संगृहीत प्रमुख कर रहित आय इस प्रकार है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

1. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आय (सभी खर्च करने के बाद बचा धन)
2. भारतीय रेल्वे से प्राप्त आय।
3. डाक और दूरभाष सेवाओं से प्राप्त आय।
4. सार्वजनिक, मुद्रणालय और एक साल से प्राप्त आय।
5. सिक्के,मुद्रणालय और टकसाल से प्राप्त आय।
6. विविध प्रकार के शुल्क और दंड आदि।

B. पूँजी आयः (Capital Receipts)

यह मूल्य आय सरकार को भार होता है अथवा उसकी अन्य संपत्ति को कम करती है। उदाः सरकार द्वारा किये गये उधार को ज्यादा करे तो सार्वजनिक उद्यमों के षेरों से बेचने से उसकी संपत्ति का प्रमाण क्षीण हो जाता है। इनको पूँजी आय कहते हैं।

2.3 सार्वजनिक उधार :

सरकार पूँजी आय को अत्यंत मुख्य रूप से आंतरिक तथा विदेशी स्रोतों से उधार के द्वारा संगृहीत करती है। देश की प्रजाओं,बैंको,वित्तीय संस्थाओं उद्यम संस्थाओं आदि के द्वारा संगृहीत उधार को आंतरिक उधार कहते हैं। विदेशी सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं और अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधार को विदेशी उधार कहते हैं।

सरकार उधार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी पूँजी की आय संगृहीत करती है। वह सार्वजनिक उद्यमों में लगायी गयी अपनी पूँजी को वापस ले लेती है। इसके लिए लगी हुई पूँजी का वापसी कहते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त उधार तथा वित्तीय सहायता को कालानुक्रम में वापस दे देती है। इस लगायी हुई पूँजी और उधार को लौटाने से संगृहीत धन को उधार के अन्य पूँजी आय कहते हैं।

निम्नलिखित चित्र भारत सरकार की 2014-15 वाँ साल का आय-व्यय का विवरण दर्शाता है।

आये हुए रुपए (पैसों में) **जाये हुए रुपए (पैसों में)**

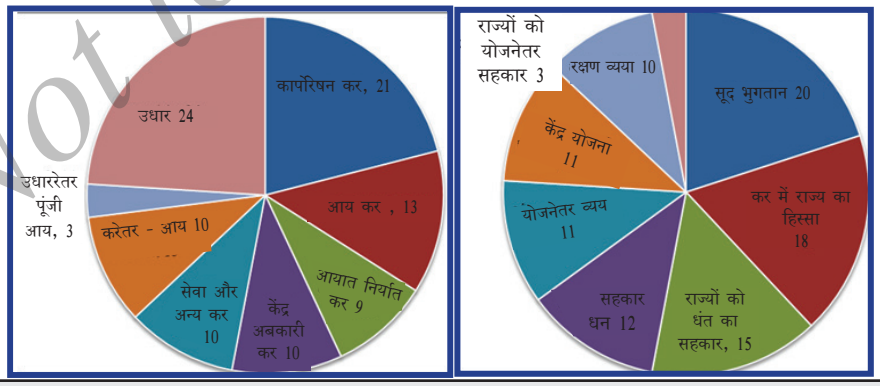

गतिविधिः उपर्युक्त चित्र का अध्ययन कीजिये और उसका अर्थ लिखिये।

©KIRS Not to be republished

www.textbookpdf.in

3. घाटा-वित्तः (Deficit Financing)

पहले बताया गया है कि सरकार पहले का अपना खर्च अंदाज कर तत्संबंधित आय को संतुलन करता है। ऐसा करते समय सामान्यतया अपनी आय से अधिक खर्च करती है। यह देश की अभिवृद्धि की दृष्टि से उत्तम है। सरकार अपनी आय और खर्च के भीतर का अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी नकद संग्रह को वापस ले लेती है। आंतरिक और विदेशी स्रोतों से उधार संग्रह करना, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करना-आदि क्रमों के द्वारा धन का संतुलन करती है। यदि जरूरत होतो अधिक प्रमाण के नोटों के मुद्रित करना भी इसमें मिला है। इस प्रकार घाटा वित्तीय का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना और नया धन की सृष्टि करना। इसे घाटा वित्तीय नामों से कहा जाता है। इन सभी क्रमों से धन का चलन अधिक से अधिक रूप से अभिवृद्धि होती है।

भारत में चार प्रकार के घाटा परिकल्पना मौजूद है और उनको निम्नलिखित ढंग से लेखाजोखा किया जाता है।

I. वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) : आय-व्यय में सरकार राजस्व की आय और उधार के अतिरिक्त अन्य पूँजी की आय से भी सरकार की कुल खर्च ज्यादा होतो उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। उसका लेखाजोखा निम्नलिखित प्रकार किया जाता है।

वित्तीय घाटा = (राजस्व आय और उधार से भिन्न पूँजी की आय)-कुल खर्च

II. राजस्व घाटा : राजस्व खाता का खर्च राजस्व खाता की आय अधिक होतो राजस्व घाटा होता है। उसका सूत्र इस प्रकार है।

राजस्व घाटा = राजस्व खाता की आय- राजस्व खाता का खर्च

III. प्राथमिक घाटा : प्रस्तुत वित्तीय घाटा से पिछले वर्ष की सूद भुगतान को घटाने से प्राथमिक घाटा मिलती है।

प्राथमिक घाटा = वित्तीय घाया-शूद-भुगतान

IV. अग्रिम पत्र अथवा आय व्यय की घाटा : यह कुल आय तथा खर्च के बीच का अंतर है। उसका हिसाब इस प्रकार है।

अग्रिम अथवा आय-व्यय की घाटा= कुल आय-कुल खर्च

लेकिन अधिक प्रमाण की घाटा आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से उत्तम नहीं है क्योंकि वे राष्ट्र के लिए भार स्वरूप है। अनियंत्रित घाटा वित्तीय अननुशासन दिखाती है। वह धन के उतार-चढ़ाव को भी अधिक करती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए सन् 2003 में भारत सरकार कोशीय जिम्मेदारी और अग्रिम पत्र निर्वहण कानून लागू किया गाय है।(Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBMA) यह प्रमुख रूप से वित्तीय अनुशासन और घाटे को कम करती है। आर्थिक निर्वहण को उत्तम करती है और सार्वजनिक निधियों से उपयुक्त निर्वहण के द्वारा अग्रिम पत्र में संतुलन साधने की लक्ष्य प्राप्त करती है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

निम्नलिखित -2017-18 वें साल के केंद्र सरकार का अग्रिम पत्र का विवरण निम्नलिखित है।

अ.क्र	विषय विवरण	करोडों रूपये
1	राजस्व खाता के आय	15,15,771
2	कर आय(केंद्र का हिस्सा)	12,27,014
3	करएतर आय	2,88,757
4	पूँजी खाता आय(5+6+7)	6,30,964
5	उधार वसूल करना	11,932
6	अन्य वसूल	72,500
7	उधार और अन्य बाध्य	5,46,532
8	कुल वसूल(1+4)	21,46,735
9	योजना पर व्यय	9,45,078
10	राजस्व खाता	6,74,057
11	पूँजी खाता	2,71,021
12	योजनेतर व्यय (13+15)	12,01,657
13	राजस्व खाता	11,62,877
14	सूद भुगतान	5,23,078
15	पूँजी खाता	38,780
16	कुल खर्च(9+12)	21,46,735
17	राजस्व खाता पर खर्च(10+14)	18,36,934
18	उनमें से अनुदान और संपत्ति की सृष्टि के लिए	1,95,350
19	पूँजी खाता खर्च	3,09,801
20	राजस्व घाटा (17-1)	3,21,163
21	प्राथमिक घाटा (20-18)	1,25,813
22	वित्तीय घाटा (16-(1+5+6)	5,46,532
23	प्राथमिक घाटा (22-14)	23,454

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:

1.सरकार सार्वजनिक धन को _____ के द्वारा निर्वहण करती है।

2. आय-व्यय में सरकार की आय उसके खर्च से अधिक होतो उसे _____ कहते हैं।

3. केंद्र सरकार के आय-व्यय को लोकसभा में प्रस्तुत करनेवाले _____।

4. जी.एस.टी _____ दिनांक से लागू हुआ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिये:

1. सार्वजनिक धन का अर्थ बताइये।
2. आय-व्यय का मतलब क्या है?
3. घाटा के आय-व्यय का अर्थ बताइये।
4. प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है?
5. वित्तीय घाटे को सूत्र रूप में लिखिये।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के पाँच-छः वाक्यों में उत्तर लिखिये:

1. सार्वजनिक व्यय बढ़ने का कारण बताइये।
2. भारत सरकार किस प्राकार के कर निर्धारित करती है ?
3. 2017-18 वाँ केंद्र सरकार के आय-व्यय में सूद भुगतान प्रतिशत कितना है?
4. केंद्र सरकार की कर रहित आय के स्रोतों को बताइये।
5. वित्तीय घाटा किसे कहते है? उनके चार प्रकारों को बताइये।

IV. गतिविधियाँ:

1. आपके नज़दीक की ग्रामपंचयत अथवा तालुक पंचायत जाकर उनके आय-व्यय के बारे में जानकारी संगृहीत कीजिये।
2. केंद्र और राज्य सरकार के आय-व्यय प्रस्तुतीकरण को दूरदर्शन से देखकर उसके बारे में चर्चा कीजिये।
3. आय-व्यय प्रस्तुति के बाद अगले दिन समाचार पत्र में प्रकाशित सूचनाओं को संगृहीत करके, कक्षा में प्रदर्शित कीजिये।
4. अपने घर के आय-व्यय की तैयारी कीजिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

व्यावहारिक अध्ययन

अध्याय-3

व्यवहारिक सार्वभौमिकता

इस अध्याय में निम्नलिखित अशों की जानकारी प्राप्त होगी

- सार्वभौमिकता का अर्थ ।
- साव ंभौमिकता में निहित तत्व।
- सार्वभौमिकता के प्रमुख विशेषताएँ ।
- सार्वभौमिकता की सुविधाएँ ।
- सार्वभौमिकता की असुविधाएँ ।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाएँ (WTO)।

सार्वभौमिकता व्यापार क्षेत्र में नयी नहीं है। 1870 से 1913 तक इस क्षेत्र में सार्वभौमिकता की एकविशेष भूमिका रही है। किंतु 1980 में सार्वभौमिकता का प्रसार तेजी से हुआ और प्रगतिशील (विकासशील) राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। वर्तमान में विश्व से तकनीकी तथा सम्पर्कमाध्यम तथा इंटरनेट संप्रसार विस्तृत व्यवहार इकाई के रूप में सार्वभौमिकता का उदाहरण है। अर्थात् इनके क्रिया-कलाप इनकी स्थापना क्षेत्र तक मात्र सीमित न होकर विश्वव्यापी रूप में प्रचलित है। इससे विश्व के सभी देशों के बीच निकट संबंध तथा पारस्परिकता बढती है और व्यवहार तथा बाजार व्यवस्था विश्वव्यापी हो रही है।

सार्वभौमिकता का अर्थ : अंतर्राष्ट्रीय धनराशि (IMF) पूँजी ने सार्वभौमिकता की इस प्रकार व्याख्या की है- ''सामग्रियों तथा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का लेन-देन (बहाव) तीव्र तथा व्यापक तकनीकी प्रसार द्वारा विश्वव्यापी रूप से अत्यधिक मात्रा में विविधता की सीमापार कर व्यवहारों में आगे बढने वाले देशों की अर्न्तस्वावलंबिता है।''

इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि -

- सार्वभौमिकता - सामग्री तथा सेवाओं के विकास की सीमारहित प्रक्रिया है।
- पूँजी का तकनीकी और सूचना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन।
- सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार के रुप में कच्चा माल और अन्य संसाधनों को विश्व के सस्ते बाजारों से उपलब्ध होता है।
- विश्व के किसी भी प्रदेश में कम खर्च में सामग्री उत्पादन कराना।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

सार्वभौमिकता में निहित तत्व :

- सार्वभौमिकता सम्पूर्ण विश्व के आधुनिक संपर्क जाल, संचार सुविधा, कानून की मूलभूत स्थिरता तथा ज्ञानात्मक रूप से आर्थिक, तकनीकी, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विनिमय को प्रस्तुत करती है।
- राजनैतिक संबंधों से सीमावर्ती प्रदेशों के संबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तथा व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।
- आयात तथा निर्यात संबंधी रुकावटों को समाप्तकर मुक्त क्षेत्रों की सृष्टि होती है।
- सार्वभौमिकता, समुद्रीयान द्वारा कंटेनर सेवा का उपयोग कर यातायात के व्यय को कम करती है।
- पूंजी संबंधी नियंत्रण को कम करना या सुविधाजनक बनाना।
- विश्वव्यापी संस्थाओं को प्रोत्साहन धन की व्यवस्था करना।
- अनेक देशों के बीच बौद्धिक सम्पत्ति संबंधी नियमों को निर्बंधि रूप से समानता उत्पन्न करना।

(**उदा:** चीन की कुछ समान वस्तुएँ अमेरिका की कुछ प्रमुख दुकानों में उपलब्ध हैं।

सार्वभौमिकता की प्रमुख विशेषताएँ :

- सार्वभौमिकता विश्व की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिये तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी वृद्धि कर पूंजी विस्तार तथा पूंजी को सीधा जमा करने में मदद करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वादे की सृष्टि करता है। इससे ही विश्व व्यापारिक संस्था का प्रारंभ हुआ ।
- विश्व की सम्पत्ति संबंधी नीतियों का विकास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापारिक संघटन (थढज) तथा अंतर्राष्ट्रीय जमा धनराशि की प्रमुख भूमिका है।
- कुछ आर्थिक व्यवहार पद्धति का बाह्य संसाधनों आदि का बहुराष्ट्रीय संस्थाओ द्वारा विकास होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन मिलता है।
- विविध सांस्कृतिक पद्धतियों के प्रसार में सहायक है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

- अंतर्राष्ट्रीय संचार एवं पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराना।
- देशों के बीच आवा जाही (एक दूसरे देश में आना जाना) को बढाता है। यह कानूनन स्वदेश त्याग के अवसर उपलब्ध कराता है।
- स्थानीय खाद्य पदार्थ दूसरे देशों को पहुँचाने में सुविधा होती है।
- विश्वव्यापी संवहन, इंटरनेट तथा संपर्क माध्यम अपने प्राथमिक साधनों के साथ सीमा पार जाने में मदद करते हैं।
- सूचनाओं का विनिमय तकनीकी, सेलफोन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संपर्क प्रक्षेपण व्यवहारगत होता हैं।

सार्वभौमिकता से लाभ - (सकारात्मक परिणाम)

- सार्वभौमिकता आर्थिक (सकारात्मक परिणाम) विकास को प्रोत्साहन देती है। अधिकतममाल तथा सेवा के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है।
- सार्वभौमिकता जन-जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक होती है।
- सार्वभौमिकता से विश्वव्यापी स्तर पर एक प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हो सकती है।
- सार्वभौमिकता देश के राष्ट्रीय उत्पाद को बढाती है।
- सार्वभौमिकता एक देश के लोगों की आय बढाती है।
- दूसरे देशों की वस्तुएँ भी बाजार में उपलब्ध होने के कारण लोगों को वस्तुओं के चयन में विशालता दिखाई देती है।
- स्थानीय व्यापार संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा होकर सामाग्रियों का मूल्य कम होता है।
- सार्वभौमिकता सामग्रियों के उत्पादन में निपुणता उत्पन्न कर विविध देशों के विविध प्रकार की वस्तुओं को तैयार कराती है। ये वस्तुएँ उत्तम दर्जे की होती हैं।
- विश्व के देशों के बीच आर्थिक निर्भरता उत्पन्न होकर उनमें सामाजिक तथा राजनैतिक समानता उत्पन्न करने में सुविधा होती है।

सार्वभौमिकता के नकारात्मक प्रभाव

सार्वभौमिकता विश्व में कुछ नवीन आयामों को लागू करती है और लोगों को अधिक से अधिक परस्पर कार्य करने को प्रेरित करती है। फिर भी कुछ नकारात्मक परिणाम को इस नवीन दिशा में देखा जा सकता है तथा इन्हें मानना आवश्यक है। ये नकारात्मक परिणाम हैं

- खर्च कम करने की दिशा में विकसित देश अपने उत्पादित वस्तुओं को बाह्य स्रोतों से प्रेरित हो नौकरशाही कार्यों को प्रेरणा देते हैं। इससे विकासशील राष्ट्रों में गुलामों और बालश्रमिक पद्धति की संभावना होती है।

© KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

- सार्वभौमिकता से विश्व के बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक अनैतिक प्रकार के व्यवहार की संभावना होती है।
- सार्वभौमिकता भयोत्पादन तथा अपराध के लिए सहायक है। सार्वभौमिकता सीमाओं से परे मानव, वस्तु, खाद्य, सम्पत्ति आदि के मुक्त संचार की प्रेरणा देता है।
- सार्वभौमिकता से नगरों के विकसित होकर कूडेदान की तरह परिवर्तित होने की संभावना होती है। उद्योगों का कूडा जमा होकर प्रदूषण फैलाता है। इनके जमा कूडों का ढेर लगजाता है।
- फास्ट फूड चेन (शीघ्र खाद्य की कडी) का तेजी से विकास हो रहा है। जैसे- KFC, MC Doland आदि। इससे (Jank food) बेकार के खाद्य पदार्थो का सेवन बढ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य का पतन हो रहा है। जिससे अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। परंपरागत खाद् य सेवन क्रमशः समाप्त होता जा रहा है।
- एक अन्य घातक परिणाम यह है कि धनवान और धनवान होते जा रहे हैं और निर्धन और निर्धन। गरीबों को एक वक्त की रोटी के लिए भी मेहनत करना पड रहा है।
- अनेक हानिकारक, अनैतिक व्यवहारों से फैलने वाली घातक बीमारियाँ जैसे- एड्स, कैंसर पूरे विश्व में फैल रही हैं।
- सार्वभौमिकता पर्यावरण के नाश का कारण बन रही है।
- उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होने के कारण भू-भाग पर मलिनता (प्रदूषण)बढ रहा है। हमारे द्वार श्वास में ली जाने वाली वायु भी प्रदूषित हो रही है जिससे जीवित रहना भी कष्टदायक हो रहा है।
- सस्ती वस्तुओं के आयात से अभिवृद्ध हो रहे राष्ट्रों में उत्पादन की कमी होने से बेरोजगारी की समस्या बढ रही है।
- बढती प्रतिस्पर्धा से अभिवृद्ध हो रहे राष्ट्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती और अधिक से अधिक वस्तुओं की अभिवृद्धि वाले देश उसे लाते हैं जिससे वस्तुओं की दर के घटने से स्थानीय वस्तुओं के लिए बाजार ठप्प पड जाता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापारसंगठन विश्व का एक शाश्वत संगठन है जो विश्व के व्यापार व्यवहार से संबंधित सभी विचारों के प्रति कर्तव्य निभाता है। यह 1995, 1 जनवरी को प्रकाश में आया । आज 149 देश इस संगठन की सदस्यता रखते हैं। इसका केन्द्रीय कार्यालय स्विटजरलैण्ड के जैनेवा में है। यह प्रति दो वर्ष में एक बार सम्मेलन का आयोजन करता है।

विश्वव्यापार संगठन के उद्देश्य -

- बहुपक्षीय व्यापार के समझौतों की स्थापना करता है।
- बहुपक्षीय व्यापार व्यवहार के बीच मध्यस्थता करता है।
- पूरे विश्व में मुक्त तथा स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जोर देता है।
- विविध देशों के बीच उत्पन्न होने वाली व्यापारिक भिन्नताओं का समाधान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करों की कटौती करता है।
- विश्व संसाधनों को सही ढंग से उपयोग कर उत्पादन तथा व्यापार विस्तार तथा सेवा केन्द्रों को दृढ एवं बलशाली बनाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कानून के दायरे में सीमित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछडे राष्ट्रों को लाभ/उपयोग प्राप्त करने के संभवनीय प्रयास करता है।

विश्व व्यापार संगठन के अन्य उद्देश्य :

- जीवन के खर्च को कम कर सदस्य राष्ट्रों के जीवनस्तर को बढाना।
- सदस्य राष्ट्रों के बीच उद्योग करने वाले व्यापारिक विवादों को सुलझाना।
- सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक स्तर को बढाकर अधिक उद्योग के अवसर प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के खर्च को कम करना।
- सदस्य राष्ट्रों में उत्तम सरकार बनाने में सहायता करना।
- सदस्य राष्ट्रों में शांति, स्थिरता(स्थायित्व) या दृढता बनाये रखने में सहयोग देना।

अभ्यास

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. सार्वभौमिकता से क्या तात्पर्य है?
2. सार्वभौमिकता विश्व में आर्थिक विकास के लिए कैसे सहायक है?
3. सार्वभौमिकता से होने वाले लाभ क्या हैं?

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

4. सार्वभौमिकता में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं?
5. सार्वभौमिकता से होने वाले नकारात्मक परिणामों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए।
6. विश्वव्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं?

II क्रिया-कलाप :

1. सार्वभौमिकता से प्रकाश में आए उद्योगों की तालिका बनाइए।
2. सार्वभौमिकता से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के विवरण का संग्रह कीजिए।
3. सार्वभौमिकता से प्रारंभ हुयी एक वाणिज्यिक संस्था और परंपरागत स्थित वाणिज्य संस्था में जाकर इनके अंतर को समझें और इसकी एक सूची बनाएँ।

III प्रदत्त कार्य :

1. सार्वभौमिकता के प्रभाव के बारे में इंटरनेट की सहायता से चित्र सहित सूचनाएँ एकत्र कर रिपोर्ट तैयार कीजिए।
2. चर्चा कीजिए कि ''सार्वभौमिकता से आहार पद्धति में परिवर्तन आया है।''

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

अध्याय - 4
ग्राहकों की शिक्षा और रक्षा

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे :-

- ग्राहक, ग्राहकों का अधिकार, शोषण तथा ग्रहकों की जागृति।
- ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख अंशों तथा उसके महत्व को जानना।
- वस्तु तथा सेवाओं को प्राप्त करते समय सावधानी का अभ्यास।
- ग्राहक शिक्षा का महत्व जानकर ग्राहक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का तरीका और उनका कार्यान्वयन।

©KTBS Not to be republished

उपभोक्ता और उत्पादक (उपलब्ध करानेवाला)

सेवा और वस्तुओं का उपयोग करने वालों को स्वयं सेवी संस्थाएँ ''उपभोक्ता'' कहती है। उपभोक्ता द्वारा धनप्राप्त कर वस्तु अथवा सेवाएँ प्रदान करने वाला ''उत्पादक'' ग्राहक सुरक्षा अधिनियम में उपभोक्ता को ग्रहक कहा गया है। ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले धन के फलस्वरूप उत्तम स्तर की वस्तु या सेवाएँ उपलब्ध करानेवाले व्यापारी अथवा उत्पादक ग्राहकों का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। इसे रोकने या बचने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थओं ने कुछ आंदोलन को प्रारंभ किया। ग्रहक सुरक्षा आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका के संयुक्त संस्थान में प्रारंभ हुआ। भारत में योजना आयोग से भारत के ग्राहक संघ की स्थापना के लिए सन् 1956 में जोर दिया। अनेक कारणों से यह ''अवेर'' (Aware) (उभरते लागत के विरुद्ध महिलाओं की संस्था) के रूप में आरंभ हुयी। यह आंदोलन देश के विविध भागों में राष्ट्रीय स्तरपर सेवा संस्थाओं के प्रारंभ का कारण बना। इनमें प्रमुख था - 'राष्ट्रीय ग्राहक संघटन' तथा 'राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा कौन्सिल' आदि।

उपभोक्ताओं के शोषण का कारण -

एक स्तर पर उत्पादक - सेवा और सामग्री ग्राहकों को सीधे पहुँचाते थे। उदाहरण के लिए : दूध, फल, सब्जियाँ आदि। यहाँ बिचौलियों को अवकाश नही था। व्यवसाय के उद्योग विविध प्रकार से जैसे जैसे बढ़े बेचने का तरीका भी बदला। ग्राहक और उत्पादक के बीच का अंतर बढगया और इसके बीच सीधे व्यवहार समाप्त हो गया। उत्पादक और ग्राहकों द्वारा निर्धारित किए जाने पाले मूल्य को बिचौलियों द्वारा निर्धारित किया जाने लगा। इससे ग्राहकों को कठिनाई, नुकसान और समस्याएँ होने लगीं। सूचना एंव तकनीकी के विकास से आज घर बैठे वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। इसे ''टेलिशॉपिंग'' कहा जाता है।

www.textbookpdf.in

टेलिशॉपिंग

ग्राहक वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यापारी दुकानों में जाने की बजाय दूरदर्शन या अन्य माध्यमों से प्रकट होने वाले विज्ञापनों पर ध्यान दे कर, अंतर्जाल एस.एम.एस. या दूरवाणी द्वारा विज्ञापन कर्ताओं से संपर्क कर आवश्यक सामग्री का चयनकर प्राप्त करने के लिए माँग की जा सकती है। वस्तुएँ प्राप्त होने के बाद मूल्य चुकाया जा सकता है। इस प्रकार किए जाने वाले व्यवहार को 'टेलि शापिंग' कहते हैं।

ग्राहक :

ग्राहक का तात्पर्य - वस्तुओं को खरीदने वाला अथवा सेवाओं को मूल्य के रूप में धन या वेतन प्रतिफल देकर कार्य करवाने वाले या पदार्थों को उपयोग करने वालों से है। किसी भी व्यवहार को लाभ के उद्देश्य से किए जाने को व्यापार कहते हैं। ग्राहक अपनी माँग की पूर्ति के लिए वस्तुएँ खरीदते हैं। उत्पादक का कर्तव्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हमारे यहां मुक्त आर्थिक नीति का प्रचलन ग्राहकों को ''बाजार का राजा'' कहना आकर्षक नारा है। अतः ग्राहक अत्यंत प्रमुख स्थान पर अलंकृत है। किंतु अनेक संदर्भों मे बेचने वाले ग्राहक की उपेक्षा करते हैं। उनका शोषण करते हैं और धोखा करते हैं।

ग्राहक सुरक्षा :

ग्राहकों की उत्पादक तथा व्यापारियों के शोषण से सुरक्षा के लिए अपनाए गए कार्य को ''ग्राहक सुरक्षा'' कहते हैं। शोषण से मुक्त करने के लिए ग्राहक सुरक्षा आवश्यक है। ग्राहकों के हित की सुरक्षा के लिए अनेक अधिकारों और विश्वास को दिलाया गया है। इस विश्वास को ग्राहकों का अधिकार कहते हैं।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम :

निरंतर शोषण से तंग आकर कुछ लोगों ने उपभोक्ताओं की असहाय स्थिति को समझ ग्राहकों के पक्ष में संघर्ष, आंदोलन आदि आरंभ किया (कुछ अंश इस अध्याय से पूर्व के अनुच्छेद में दिए गए हैं।) इस प्रकार के दबाव से सरकार ने जाग्रत होकर ग्राहकों के पक्ष में अधिनियम नवीन की रचना की। पिछले पाँच दशकों मे लगभग तीस से अधिक अधिनियमों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए - आवश्यक वस्तुओं का नियम, तौल तथा माप का नियम, खाद्य में मिलावट पर प्रतिबंध का नियम आदि। भारत सरकार द्वारा 1986में ग्राहक सुरक्षा का अधिनियम लागू किया गया अधिनियम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

''विश्व ग्राहक दिवस''

विश्व ग्राहक आंदोलन के इतिहास में 15 मार्च सन् 1962 एक महत्व पूर्ण दिन है। इस दिन उन दिनों के अमेरिका के अध्यक्ष जॉन.एफ. केनेडी ने वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा, सूचना, निवेदन तथा समाधान नामक चार अधिकार देने वाले विधेयकों को अंगीकृत किया गया। इस कारण प्रति वर्ष मार्च 15 को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस का आचरण किया जाता है।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य

- ग्राहक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा और गुणवत्ना को प्रथम स्थान देना।
- खतरनाक वस्तुओं को बनाने तथा बेचने को रोकना।
- बाजार में संभवनीय अनुचित व्यवहार पद्धति पर रोक लगाना।
- गुणवत्ता, नाप, तौल, मूल्य आदि पर ध्यान देना।
- उपभोक्ता स्वयं खरीदी जाने वाली वस्तु या सेवा से समस्या होने पर उन्हें उचित समाधान दिलाना।
- ग्राहक शिक्षा दिलाने के द्वारा लोगों में जागृति उत्पन्न करना।

कुल मिलाकर स्वास्थ्यकर स्पर्धा द्वारा सही मूल्य में उत्तम गुणों वाली वस्तु या सेवा उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोडकर भारत के सभी प्रदेशों में लागू होता है। यह अधिनियम आगे दिए गए ग्राहक उपकारी तत्वों की रक्षा करता है।

- ग्राहकों के जीवन और इच्छा के लिए खतरनाक (नुकसान प्रद) सामाग्रियों के विक्रय के विरुद्ध सुरक्षा देने का अधिकार।
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार - सामग्रियों और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति सामर्थ्य, परिशुद्धता तथा मूल्यों के विरुद्ध सूचना पाने का अधिकार।
- वस्तुओं के चुनाव (चयन) का अधिकार - स्पर्धात्मक मूल्यों में विविधता पूर्ण सामग्री का चयन करने या चुनने का अधिकार।
- वस्तुओं के बारे में समझने का अधिकार - ग्राहकों की इच्छा जानकर, पूछकर समझकर उसे ठीक प्रकार से विचार करने का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध समाधान माँगने का अधिकार - ग्राहकों का धोखे या बेइमानी के आचरण के विरुद्ध अधिकार पाना।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

- ग्राहक शिक्षा अधिकार - ग्राहकों को अपने अधिकार के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- बेइमानी या धोखे के विरुद्ध अधिकार।
- ग्राहकों को उत्तम स्वास्थ्य और भौतिक वातावरण उपलब्ध करके उनको जीवन शैली को उत्तम बनाने का अधिकार।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम केंद्र ने सुरक्षा मंडली की स्थापना का अवसर दिया। इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा मंच, राज्य स्तर पर राज्य ग्राहक सुरक्षा मंच तथा जिला स्तर पर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडली स्थापित की गई है। केंद्र सरकार के ग्राहक कल्याण विभाग के मंत्री राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के ग्राहक संबंधी विभाग के मंत्री राज्य ग्राहक सुरक्षामंच के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार ग्राहकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित मंच निर्मित किया गया है -

i) जिला मंच (Forum)

ii) राज्य आयोग (State Commission)

iii) राष्ट्रीय आयोग (National Commission)

इन मंचों या आयोगों के कार्य इस प्रकार हैं -

i) जिला मंच : प्रत्येक जिलों में एक मंच होता है। जिला मंच के न्यायपीठ पर राज्य सरकार द्वारा नामांकित जिला न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आसीन होता है। यह मंच बीस लाख रूपयों से अधिक खर्च न होने वाले ग्राहकों की शिकायतें दर्ज कराता है। इसमें दो सदस्य होते हैं। जिनमें एक महिला होती है।

ii) राज्य आयोग : इस आयोग के राज्य के उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश अध्यक्ष होते है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सामर्थ्य (क्षमता) युक्त दो सदस्य होते हैं। इनमें एक महिला होती हैं। यह आयोग बीस लाख रुपयों से अधिक तथा एक करोड तक के खर्च के ग्राहकों की शिकायत दर्ज करता है।

iii) राष्ट्रीय आयोग : इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अध्यक्षता रखता है। यहाँ इनके अतिरिक्त अन्य चार सदस्य होते हैं। ये सार्वजनिक व्यवहार या प्रशासनिक क्षेत्र में दक्ष होते है। इनमें से एक महिला सदस्या होती है। यह आयोग एक करोड रूपयों से अधिक मूल्य (खर्च) से युक्त ऐसी शिकायतें दर्ज कर उनका फैसला करता है।

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

ग्राहक द्वारा न्यायालय में दर्ज कराए जाने वाली सूचनाएँ :

- शिकायतें हस्तलिखित या हस्तलिखित प्रति में होनी चाहिए।
- इस सूचना में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता और संपर्क संख्या स्पष्ट रूप से लिखित हो।
- जिस व्यापारी या उत्पादक के विरुद्ध शिकायत दी जानी है उसका स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण हो।
- जिस वस्तु द्वारा नुकसान हुआ है या धोखा हुआ है उसका तथा नुकसान की धनराशि का स्पष्ट विवरण हो।
- नुकसान की उचित समाधान (भरपाई) धनराशि और तत्संबंधी रसीद या बिल जमा करें।
- शिकायत के लिए कोई शुल्क या नामांकन शुल्क नहीं होता।
- ग्राहक सीधे अपनी शिकायत अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती।

अभ्यास

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए :-

1. 'ग्राहक' से क्या तात्पर्य है?
2. ग्राहक आंदोलन का मूल आशय क्या है?
3. प्रत्येक ग्राहक के अधिकार क्या हैं?
4. भारत में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ?
5. जिला ग्राहक न्यायपीठ की अध्यक्षता कौन करता है?

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :-

1. ग्राहकों द्वारा अनुभव किया जा रहा संकट क्या है?
2. उपभोक्ताओं के शोषण का कारण क्या है?
3. ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के चारप्रमुख उद्देश्यों को लिखिए।
4. ग्राहक सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं?

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

5. तीन स्तरों के ग्राहक न्यायालयों का विवरण दीजिए।
6. ग्राहकों द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए किन प्रमुख सूचनाओं का होना जरुरी है?

III. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. ग्राहक को _____ भी कहा जाता है।
2. धन प्राप्त कर वस्तु या सेवा प्रदान करने वाला _____ होता है।
3. प्रतिवर्ष विश्व ग्राहक दिवस _____ को मनाया जाता है।
4. समाधान (भरपाई) का धन 20 लाख रुपयों से अधिक हो तो शिकायत _____ आयोग में दर्ज करायी जानी चाहिए।

IV. दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए:-

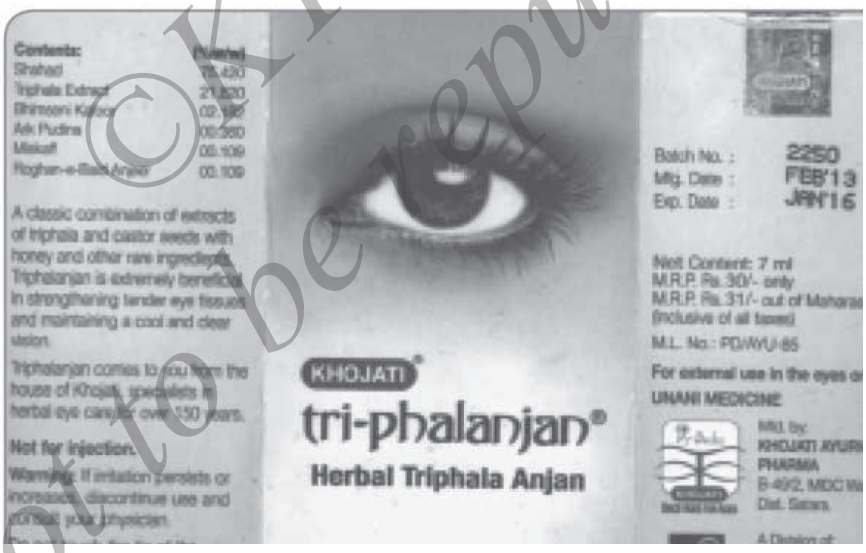

1. पैकेट पर अंकित उत्पादक संस्था का नाम क्या है?
2. अंकित अधिकतम बेचने का मूल्य कितना है?
3. इस वस्तु को तैयार किया गया दिनांक क्या है?
4. किस दिनांक के अंदर इसका उपयोग होना चाहिए ?

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in

V. क्रिया कलाप :-

1. आपके जिला केंद्र के जिला ग्राहक मंच में अपने शिक्षक के साथ जाइए। वहाँ के कार्य विधान पर ध्यान देते हुए सूचना एकत्रित कीजिए ।
2. ग्राहक में जागृति उत्पन्न करने वाले चार नारों को तैयार कीजिए ।
3. 'विश्व ग्राहक दिवस' को प्रभात फेरी का आयोजन कर ग्राहक जागृति की दिशा में स्वयं कार्यरत रहिए ।
4. विविध प्रकार की रसीद (बिल) संग्रह कीजिए ।

VI. क्रिया योजना :-

1. एक वस्तु की खरीदारी में यदि आपने धोखा खाया है तो उसकी कल्पना कर जिला ग्राहक मंच को शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत का नमूना तैयार कीजिए। आवश्यक दस्तावेजों को आप स्वयं तैयार करें ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

www.textbookpdf.in